खण्ड-287, अंक-1
मंगलवार, 1 पौष, शक संवत् 1892
(22 दिसम्बर, 1970 ई0)

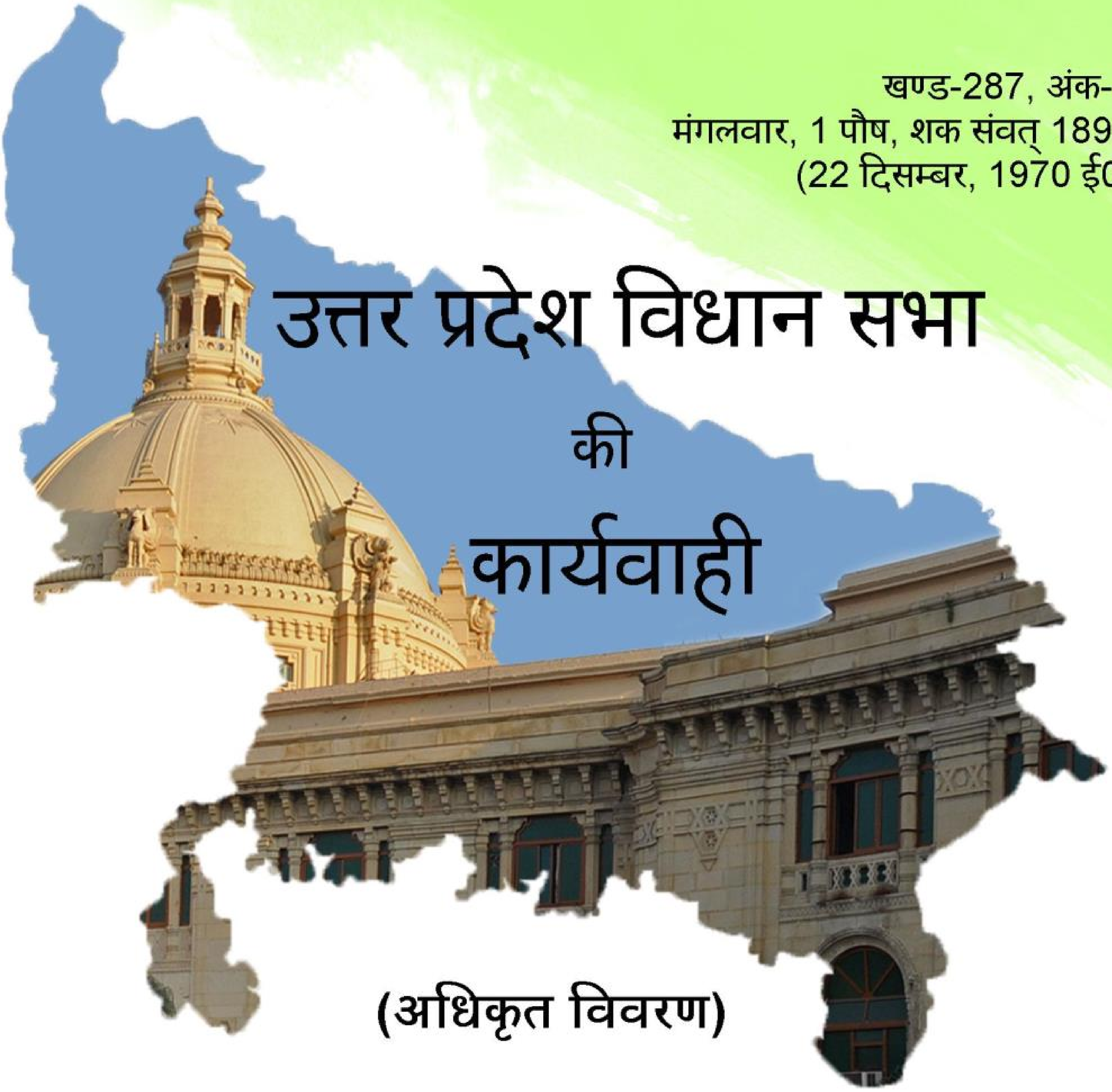

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 287 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१—५
प्रश्नोत्तर	६—२९
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में जानकारी	३०
विधान सभा सचिवालय की वित्त समिति का तथाकथित निर्माण तथा कर्मचारियों का मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	३०—३२
गृह (पुलिस ख–१) विभाग की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	३३
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में विधायिका विभाग की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	३३
उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० को वापस लेने के सम्बन्ध में विधायिका विभाग की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी)	३३
विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३३
उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	३४
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड ऐविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३४
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय–कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३४
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३४
विविध विषय	३४—३५
अध्यादेशों को वापस लेने तथा अध्यादेश के अननुमोदन के प्रस्ताव पर विचार हुये बिना विधेयक के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	३५—४५
कानपुर में रामगंगा नहर से निकली हुई आंट माइनर के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	४६
देवरिया में नवलपुर चौराहे पर बस दुर्घटना में चार व्यक्तियों की मत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	४७—४८
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (जारी)	४८—५२
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के अननुमोदन का प्रस्ताव	५२—७४
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	७४
उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	७४—७५
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	७५—८१
माध्यमिक शिक्षकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	८२—८४
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (पारित)	८४—१०८
बस्ती जिले के विकास क्षेत्र गौर के ग्राम सेवक श्री राम कृपाल मिश्र की सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१०८—१११
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के चुनाव के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	१११—११२
नत्थियां	११३—१२५

139149 R IA 6049

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मगलवार, २२ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४०१

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्दसिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायती देवी, श्रीमती
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा,
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन वन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री

परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीराज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती

राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामभूति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू , श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)

शिव कैलास, श्री
शिवदास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिव राज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण वाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री,
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा,
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा) फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—मुख्य मंत्री श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलास प्रकाश, शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र, राज्य स्वास्थ्य, मंत्री श्री पुरुषोत्तमदास कपूर तथा राजस्व मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

साम्प्रदायिक दंगे के फलस्वरूप इलाहाबाद में दण्ड कर लगाना

***१—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इलाहाबाद में १९६८–६९ के साम्प्रदायिक दंगे के फलस्वरूप जनता पर १२ लाख रुपये का दण्ड-कर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार जनता के असन्तोष को देख कर इस कर को माफ करने जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मार्च, १९६८ में इलाहाबाद नगर के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात पुलिस स्थिति का सामना करने के लिये सक्षम नहीं थी, अतः वहां पुलिस ऐक्ट की धारा १५(१) के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस लगानी पड़ी। नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस पर होने वाला १२,०३,५०० रु० का व्यय स्थानीय जनता से वसूल किया जाना है। वसूली समाप्त किए जाने के लिये प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर सरकार ने फिलहाल वसूली स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वसूली अन्तिम रूप से समाप्त किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्रीजी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के नागरिकों का एक शिष्ट मंडल जिसमें इलाहाबाद के नगर प्रमुख और सभी दलों के सभासद और कई विधायक थे और जिसमें प्रश्नकर्ता भी थे, पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि अब इसकी वसूली रोक दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रतिनिधि मंडल मिला था ऐसी मेरी जानकारी है और वसूली फिलहाल रोक ही दी गयी है और भविष्य के लिये भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

दंगा–ग्रस्त क्षेत्र में इलाहाबाद नगर के कौन कौन से मोहल्ले हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

थाना कोतवाली, मुट्ठीगंज, अतरसुइया, खुल्दाबाद।

श्री रामगोपाल संड—

१९६८ के बाद इलाहाबाद में इन चार थानों के अन्तर्गत जिसमें असेम्बली के तीन चुनाव-क्षेत्र आते हैं वहां हिन्दू और मुसलमान बड़े प्रेम से रह रहे हैं, नगरपालिका का चुनाव भी हो चुका और १२ लाख रुपया जो एक–एक व्यक्ति पर ३०० से ६०० रुपये तक लगाया गया है अगर वसूल किया जायेगा तो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा, तो मेरी इस सूचना को सही मान कर माननीय मंत्रीजी को क्या कठिनाई है कि आज ही इस सदन में वह घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वसूली अंतिम रूप से बन्द कर दी जायेगी जब कि मुख्य मंत्रीजी यह आश्वासन दे चुके हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय रामगोपाल संड साहब ने अपने प्रश्न के जरिये जो सुझाव दिये हैं उन सभी की रोशनी में तो यह स्थगित किया गया है और सरकार इस पर इसी रोशनी में विचार कर ही रही है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

केवल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में ही यह टैक्स लगाया गया और किसी जगह नहीं लगाया गया जबकि और जगह भी झगड़े हुये। तो ऐसी सूरत में इलाहाबाद से भी यह कर क्यों न माफ कर दिया जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्रीजी को पुकारा नहीं गया।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

यह जो अलग-अलग व्यक्तियों पर कर लगाया गया इसका आधार क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

किस से कितना वसूल किया जायेगा इसके आधार के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार के सामने यह जो प्रश्न विचाराधीन है, यह कब तक विचाराधीन रहेगा और कब तक अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किसी अन्य शहर में भी दंगे के कारण यह प्युनिटिव टैक्स लगाया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, और कहीं लगा यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन जैसा मैंने उत्तर दिया जहां पर अतिरिक्त पुलिस को तैनात करना पड़ता है उसके ऊपर जितना व्यय होता है उसी आधार पर यह फाइन रखा जाता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सम्बन्धित साम्प्रदायिक दंगे में कुछ जन धन की भी क्षति हुई थी, यदि हां, तो कितनी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार

**२—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया), श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल), श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि २७/२८ नवम्बर, १९७० को लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों की सभा में मुख्य मंत्री जी को उन कर्मचारियों की ओर से एक मांग-पत्र दिया गया था और मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह आश्वासन दिया था कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की शीघ्र घोषणा कर दी जायगी ? यदि हां, तो यह महंगाई-भत्ता कब तक घोषित किया जायगा ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

दिनांक २८ नवम्बर, १९७० को लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों की सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र कर दी जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने कोई मांग-पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया था ? यदि हां, तो उस सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामसिंह खन्ना—

दिनांक २८ नवम्बर, ७० को मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मुझे निम्न वर्ग के कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है और बढ़ती हुई कीमतों को देखकर उनको बहुत दुख है । खुले अधिवेशन का अधिकृत विवरण तो उपलब्ध नहीं है किन्तु उनकी ७ मांगे थीं जो उन्होंने रखी थी :—

१—महंगाई भत्ता, २—स्थायी करण एवं बेगार प्रथा की समाप्ति, ३—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कालोनी ४—चिकित्सा व्यवस्था, ५—रविवारीय एवं पर्व पर अवकाश, ६—वर्क चार्ज्ड एवं दैनिक मफर कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लिया जाना, ७—कर्मचारी परिषद् की स्थापना । यह उन्होंने अपनी मांगों में कहा था ।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में क्या इन बातों का जिक्र किया था ?

श्री रामसिंह खन्ना—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन सब मांगों के बारे में अपने भाषण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर के क्या कार्यवाही की ?

श्री रामसिंह खन्ना—

अभी तक अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन बराबर विचार हो रहा है और सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या सरकार, इस बात को देखते हुये कि मुख्य मन्त्री जी को अपना आश्वासन याद नहीं है, यह व्यवस्था करने जा रही है कि मुख्य मन्त्री जी अपने भाषण में जो आश्वासन दें उनको रिकार्ड करके रखा जा सके ?

श्री रामसिंह खन्ना—

इस सवाल के अन्तर्गत यह बात नहीं आती है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी के सम्मुख जो मांगें रखी गयीं थीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ओर से, उन्होंने बताया कि उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है तो वह अपनी सहानुभूति के क्रम में बतायेंगे कि वह किस नम्बर की मांग को पहले ले रहे हैं और किसको बाद में ?

श्री रामसिंह खन्ना—

मैंने जैसा कि बताया कि सारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है और जैसे-जैसे सरकार को संसाधन उपलब्ध होंगे उन को पूरा करने की कोशिश की जायगी।

नोटिफाइड एरियाओं के चुनाव

**३—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की समस्त नोटीफाइड एरियाओं को जब्त कर सरकार द्वारा अपने हाथ में व्यवस्था लेने के क्या कारण हैं ?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद असरार अहमद)—

सरकार किसी भी नोटीफाइड एरिया को जब्त नहीं कर रही है और न उनकी व्यवस्था अपने हाथ में ले रही है। वास्तव में नोटीफाइड एरियाओं को जब्त करने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरियाज का प्रबन्ध इस समय किस के हाथ में है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

नोटीफाइड एरियाज की कुल संख्या ४४ है। इनमें से कुछ तो नवनिर्मित हैं और उनका चार्ज जिलाधिकारी के हाथ में है। जहां कमेटियां नहीं बनी हैं, वहां उनके हाथ में है, लेकिन १७ नोटीफाइड एरिया ऐसे हैं जिनका कार्यकाल ३१ दिसम्बर तक था, उन का समय आगे बढ़ा दिया जायगा।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इन नोटीफाइड एरियाज के जनतांत्रिक चुनाव वह ३१ मार्च, सन् १९७१ तक करा देंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में अभी आश्वासन देने का प्रश्न नहीं है क्योंकि अभी सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया और नगरपालिकाओं सभी के चुनाव अप्रैल तक कराने की कृपा करेंगे चूंकि इन की मियाद बीत रही है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैंने बताया कि नोटिफाइड एरियाज के और अन्य निकायों के चुनाव के सम्बन्ध में अभी शासन ने निर्णय नहीं लिया है, कैबिनेट का फैसला हो जायगा तब बताया जा सकता है।

श्री मोहनलाल कपूर—

जब नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया और नगरपालिकाओं के चुनाव एक साथ हुये थे तो कार्यकाल समाप्त होने पर काल की वृद्धि भी एक ही साथ होनी चाहिये थी लेकिन ऐसा क्यों है कि नगरपालिकाओं की तो हो गई और दूसरे इन निकायों की नहीं की गई ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह प्रश्न केवल नोटिफाइड एरियाज का था औरों के लिये नोटिस चाहिये।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नोटिफाइड एरियाज का चुनाव अभी तक कराने में सरकार को क्या कठिनाई है? और क्यों सरकार ने १७ को छोड़ कर सब को अपने हाथ में लेने की बात सोची? और उन्होंने क्यों यह उचित नहीं समझा कि उन के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र सन् १९७० की समाप्ति से पहले करा दिये जाते?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

प्रशासनिक कारणों से यह नोटिफाइड एरियाज के चुनाव अभी नहीं हुए हैं। सामान्य चुनाव होंगे तो उन के भी हो जायंगे।

श्री कृष्णचन्द्र—

सरकार को इस से क्या कठिनाई थी कि वह इन नोटिफाइड एरियाज को अपने हाथ में लेने के बजाय उनके चुनाव सन् १९७० के पहले करा ले?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

प्रशासनिक कठिनाइयां थीं जैसा कि मैंने बताया और जो नये चुनाव हुये थे वही जिलाधिकारियों के हाथ में हैं।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि अभी कैबिनेट का फैसला नहीं हुआ है तो क्या मंत्री जी केबिनेट के मंत्री नहीं हैं? जब सदन यह आश्वासन चाहता है कि मार्च, १९७१ तक चुनाव हो जांय तो क्या वह इस का उत्तर केबिनेट के बिहाफ पर नहीं दे सकते?

श्री उपाध्यक्ष—

वह मंत्रि-परिषद के सदस्य हैं, वह क्या नहीं कह सकते कि अभी विचाराधीन है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

इस प्रश्न को विचारार्थ रख कर कब तक कैबिनेट का फैसला कराने की कृपा करेंगे?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इस पर जल्दी ही फैसला होने वाला है।

सैनिक स्कूल, लखनऊ के प्रधानाचार्य तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

**४—श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित सैनिक स्कूल जिसके वे पदेन अध्यक्ष हैं, के प्रधानाचार्य तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों पर उच्चाधिकारियों द्वारा जांच १९७१ में हुई थी? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम सरकार को प्राप्त हुए? क्या सरकार बतायेगी कि जांच के परिणामस्वरूप प्रधानाचार्य व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो क्या?

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध, उपमन्त्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

जी हां। स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य को सेवा निवृत्त कर दिया गया है, क्वार्टर मास्टर की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं तथा एक मास्टर, जोकि शिक्षा विभाग के स्थाई अध्यापक थे उनको शिक्षा विभाग में प्रत्यार्पित कर दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस दिन से प्रधानाचार्य और दूसरे अध्यापकों को सेवा से पृथक किया गया था और उस तिथि से आज तक सभी सुविधाओं के उपयोग करते रहने के क्या कारण हैं?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

लैफ्टीनेन्ट कर्नल बी० के० दास जो कि प्रधानाचार्य हैं उनकी सेवा २-९-१९७० से समाप्त कर दी गयी हैं, श्री मुज्जफर हुसैन जो कि मेस इंचार्ज थे, वे एजूकेशन विभाग से लिए गए थे, उन्हें वापस कर दिया गया है और क्वार्टर मास्टर, श्री घनानन्द की सर्विस १६-११-१९७० को टर्मिनेट कर दी गयी। लेफ्टीनेन्ट कर्नल दास अभी तक बंगले में रह रहे हैं क्योंकि उनकी रिटायरमेंट डेट ३०-१२-१९७० है। उस दिन के बाद वे बंगला खाली कर देंगे।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी जिन अधिकारियों और चतुर्थ और तृतीय कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उनको अपने पदों पर पुनः रख कर बकाया वेतन देने की कृपा करेंगे?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इस पर विचार किया जायगा।

श्री कल्यान सिंह—

जब प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गये हैं तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

उनकी सेवा समाप्त करना ही काफी था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया इस बात को ध्यान में रखकर कि इन अधिकारियों के विरुद्ध बहुत गम्भीर भ्रष्टाचार और गबन के आरोप साबित हुए हैं। तो फौजदारी के अन्दर मुकदमा दायर करना मुनासिब नहीं समझते हैं?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

जो रिपोर्ट आयी है, उस हिसाब से जो ऐक्शन उनके खिलाफ ले लिया गया है वह काफी है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके खिलाफ क्या आरोप थे और उन्हें सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

उनके खिलाफ एक तो एलीगेशन यह था कि गोश्त कम लिया जाता था लेकिन ज्यादा चार्ज किया जाता था, टेलीफोन वगैरह के मिसयूज की बात थी। इसी प्रकार से ऐसी ही छोटी-छोटी चीजें निकाली हैं।

तारांकित प्रश्न

नगरपालिकाओं के विद्युत् प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जाने वाले विद्युत् प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को शासनादेश, दिनांक २० जून, १९६६ के अनुसार तदर्थ वृद्धि की धनराशि दी जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस नगरपालिका में ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

प्रदेश में ऐसे १३ विद्युत् प्रतिष्ठानों में से १२ प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को तदर्थ वृद्धि दी जा रही है। इन स्थानों के नाम यह हैं:—

नगरपालिका, कासगंज, हल्द्वानी, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, मेरठ, ऋषिकेश, खुर्जा, रुड़की, हरिद्वार, उन्नाव तथा मुजफ्फरनगर।

केवल नगरपालिका, ललितपुर ने सूचित किया है कि उसने अपने कर्मचारियों को यह वृद्धि नहीं दी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन नगर पालिकाओं को जहां तदर्थ वृद्धि देने की बात स्वीकार कर ली गई है, वह वृद्धि दे दी गई है या नहीं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मुझे जो सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक उनको दे दी गई है।

श्री कृष्णाकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वृद्धि की गई है उसमें कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

वह कम से कम १५ रुपये और अधिक से अधिक ३० रुपये के हिसाब से दी गई है। कितनी धनराशि दी गई है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्युत् कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय वेज अवार्ड है उसको तुरन्त लागू करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, ये आदेश जारी हो गये हैं। यह केन्द्रीय अवार्ड नहीं था यह शासन की ओर से था।

श्री कृष्णचन्द्र—

सम्भवतः माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि ललितपुर की नगरपालिका ऐसी है जहां वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। वहां की नगरपालिका ने वेतन वृद्धि देने से इन्कार कर दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन से कारण थे जिन कारणों से ललितपुर, नगरपालिका द्वारा वेतन वृद्धि नहीं दी गई और सरकार क्या कर रही है उस नगरपालिका को परसुएड करने के लिये कि वह वेतन वृद्धि दे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

ललितपुर के बारे में पूछतांछ हो रही है। पहले यह शासन का आदेश हो गया था १९६५-६६ में, उसके बाद श्रम विभाग से आदेश हो गये। पहले जो पा रहे थे और जो श्रम विभाग के आदेश हुए हैं उन दोनों में फर्क होगा। दोनों को मिला कर १५ और ३० के हिसाब से होगा। अभी वहां से जवाब नहीं आया है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वेज बोर्ड जो विद्युत् परिषद् द्वारा बिठाया गया था उसकी सिफारिशें लागू करने में उत्तर प्रदेश शासन को कौन-कौन कठिनाइयां हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

बड़ा विस्तृत सवाल है। सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० जून, १९६६ क अनुसार तदर्थ वृद्धि के क्या शासनादेश थे और कर्मचारियों को जो वेतन वृद्धि दी गई है वह उस रिकमन्डेशन के अनुसार कम है या अधिक है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आदेश तो मैंने बतलाया कि वह २० जून को हुआ है श्रम विभाग से जिसम कम से कम १५ रुपये और अधिक से अधिक ३० रुपये वृद्धि कर सकते हैं और यह आदेश श्रम विभाग की विज्ञप्ति में छप भी गया है। आप को देखने का मौका मिल जायेगा। ललितपुर में इसका पालन नहीं हुआ है जिसकी हम पूछ-तांछ कर रहे हैं।

पीली मक्खी द्वारा आम की फसल को क्षति

*२—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष एक किस्म की पीली मक्खी ने प्रदेश में कई करोड़ रुपये की आम की फसल को क्षति पहुंचाई है जिसके फलस्वरूप आमों का निर्यात नहीं हो सका ? यदि हां, तो उपरोक्त मक्खी से भविष्य में आमों की फसल बचाने हतु सरकार ने क्या उपाय किये ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप)—

आमों की पिछली फसल असफल रहने के कारणों की जांच करने के लिए शासन ने एक तकनीकी सर्वेक्षण दल की नियुक्ति की थी। इस दल के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में पीली मक्खी से आम की फसल को नुकसान पहुंचने का उल्लेख नहीं है। सेसीडोलाजिकल सोसाइटी आफ इंडिया, इलाहाबाद के कुछ अनुसन्धान कर्त्ताओं के कुछ उद्यानों में फसल की असफलता का मुख्य कारण पीली मक्खी ही बताया है।

अगली फसल में इस संबंध में सेसीडोलाजिकल सोसाइटी के अनुसंधानकर्ताओं के साथ एक सम्मिलित विस्तृत अध्ययन का प्रस्ताव है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पीली मक्खी आम की फसल को किस प्रकार तथा किस सीमा तक क्षति पहुंचाती है। इस अध्ययन के बाद समस्या का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं आया.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप फिर प्रश्न कर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष अनुमानतः कितने रुपये की हानि आमों की फसल खराब होने के कारण हुई ?

श्री कृष्णस्वरूप—

यह बात सही है कि गत वर्ष आमों की फसल को अत्यधिक हानि हुई जो अनुमानतः ८—९ करोड़ के लगभग होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अब आगे आम की फसल खराब न होने पाये, इसके लिये सरकार अभी से क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री कृष्णस्वरूप—

हम इसके लिये सेसीडोलाजिकल सोसाइटी आफ इंडिया, इलाहाबाद से भी बात कर रहे हैं। उनके साथ अध्ययन करेंगे कि इसके क्या कारण हैं और क्या इसका उपचार है। वैसे इसके लिये हमने यह किया है कि तीन बार स्प्रे किया जायेगा—पहला बौर आने के पूर्व, दूसरा बौर आने पर तथा आवश्यकता हुई तो बाद को एक बार और। इसके अतिरिक्त जहां पर आमों की फसल उगाई जाती है, वहां पर स्वायल की टेस्टिंग भी करायी जायेगी।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

इस बात को देखते हुए कि आमों से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, सरकार फल संरक्षण बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण कराकर ऐसी दवाइयों का प्रबन्ध करायेगी ताकि इस रोग से फसल को बचाया जा सके ?

श्री कृष्णस्वरूप—

मैंने कहा कि बौर आने के पहले और बाद में इस बार स्प्रे कराया जायेगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश भर में आमों की फसलों पर स्प्रे कराने के लिये उनके पास कितना स्टाफ है और क्या वह पर्याप्त है ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

स्प्रे हम स्वयं नहीं करेंगे, जो बागों के मालिक इसके लिये हमसे मांग करेंगे, और उसका मूल्य देंगे, उनके बागों में हम स्प्रे करवा देंगे। विभाग अपनी तरफ से स्वयं कोई स्प्रे नहीं करेगा।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

सरकार इस विषय में जो पढ़ाई कर रही है, यानी अध्ययन, यह पढ़ाई उसकी कब तक जारी रहेगी और उसके लिये कोई रास्ता कब तक निकल आयेगा ?

श्री कृष्णस्वरूप—

जो सर्वेक्षण हमने कराया उसका परिणाम अभी तक यह निकला कि पीली मक्खी से यह नुकसान नहीं हुआ है, इसके अन्य कारण थे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह अन्य कारण क्या-क्या थे ?

श्री कृष्णस्वरूप—

बौर आने के समय अत्यधिक वर्षा, उपयुक्त मौसम का न होना, रात्रि को अत्यधिक ओस पड़ना आदि थे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि जब आम की फसलों के मालिक कहेंगे तब वे स्प्रे करायेंगे। तो क्या माननीय मन्त्री जी ने इसके लिये अपने विभाग द्वारा कोई प्रचार आदि भी कराया है जिससे कि जनता को इसके बारे में सही जानकारी हो सके और वह विभाग से उसके लिये मांग कर सके ? यदि हां, तो सरकार ने कौन–कौन से साधन अपनाये हैं ? और इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कृष्णस्वरूप—

हमारे हार्टीकल्चर विभाग वाले प्रचार से और जाकर बाग वालों को उसकी जानकारी कराते हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन ने जो एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई थी, उनकी राय थी कि पीली मक्खी से नुकसान नहीं हुआ है जब कि बाहरी तकनीकी लोगों का कहना है कि पीली मक्खी के कारण ही आम की फसलों का नुकसान हुआ है, जिससे सिद्ध होता है कि आपके अनुसन्धान केन्द्र बिल्कुल निकम्मे हैं और उनसे कोई उपयोगी राय शासन को नहीं मिल रही है, तो क्या सरकार उनके पुनर्गठन के बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें क्या बात है, दो रायें हो सकती हैं जांच में।

वैना, जिला बलिया के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में डाक्टर एवं कम्पाउण्डर की नियुक्ति

*३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि बलिया जिला में सरकार द्वारा संचालित कौन-कौन आयुर्वेदिक औषधालय और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं और उनमें से कितनों के पास अपनी भूमि और भवन हैं ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर)—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११३ पर)

*४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, वैना, जिला बलिया के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो वहां डाक्टर और कम्पाउन्डरों की नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

जी हां, वहां पर चिकित्साधिकारी एवं कम्पाउन्डर की नियुक्ति की जा चुकी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चूंकि व्यवहारिक रूप में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से अच्छे जनता के हितार्थ नहीं साबित हो रहे हैं, सरकार भविष्य में बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही खोलने का कष्ट करेगी ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

यह तो माननीय सदस्य की राय है, यदि सदस्य महोदय सुझाव लिख कर भेज दें तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह शासन की नीति है कि एक प्रकार की सुविधा जनता को ५ मील के दायरे के बाद दी जाए, किन्तु प्रश्न के उत्तर से विदित है कि एक ही स्थान पर प्राथमिक चिकित्सालय और आयुर्वेदिक चिकित्सालय दोनों हैं, तो क्या आपने अपनी नीति अब परिवर्तित कर दी है कि दोनों साथ-साथ रह सकते हैं ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

यह सरकार की नीति है कि ५ मील के दायरे में कोई न कोई अस्पताल अवश्य हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक स्थान पर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों अस्पताल नहीं हो सकते हैं।

*५—श्री कल्पनाथ सिंह—

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*६—श्री कृष्ण स्वरूप —

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[४ थे सोमवार के ता० प्र० सं० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८—श्री रामगोपाल सण्ड—

[३रे गुरुवार के ता० प्र० सं० ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य विभाग में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का स्थानान्तरण

*९—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि जून और जुलाई, १९७० के महीनों में ट्रान्सफर स्कीम के अनुसार अतिरिक्त निदेशक (एडिशनल डाइरेक्टर) स्वास्थ्य विभाग ने कितने क्लास १ एवं कितने क्लास २ अफसरों के ट्रांसफर किये हैं ? तथा कितने ऐसे ट्रांसफर हो जाने के बाद कैंसिल किये गये तथा क्यों ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

इस अवधि में किसी भी क्लास १ अधिकारी का स्थानान्तरण अतिरिक्त निदेशक द्वारा नहीं किया गया जब कि क्लास २ के कुल १२ अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये। केवल एक अधिकारी का स्थानान्तरण निरस्त किया गया जो जनहित में आवश्यक था।

श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी सदन को इस बात से अवगत कराएंगे कि वे कौन से कारण थे सरकार के सामने जिनसे बाध्य हो कर स्वास्थ्य निदेशक ने इतनी संख्या में अधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया और छुट्टी पर भेज दिया।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

मान्यवर, क्लास एक के किसी अधिकारी को एडीशनल डाइरेक्टर ने स्थानान्तरण नहीं किया है, क्लास २ के १२ अधिकारियों का किया है, जिनका कारण यह है कि जो स्थान रिक्त हो गये थे उनको भरने के लिये उनका स्थनान्तरण करना पड़ा।

श्री रामगोपाल संड--

क्या माननीय मन्त्री १२ उन अधिकारियों के नाम बतायेंगे जिनके स्थानान्तरण किये गये और क्या ये स्थानान्तरण राजनीतिक थे?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

नाम इस प्रकार से है--१--डा० जी० बी० एस० पन्नू, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सहारनपुर, २--डा० एस० बी० सक्सेना, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, सहारनपुर, ३--डा० डी० एस० राठौर, अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा, ४--डा० आर० पी० सिंह, मेडिकल आफिसर, रूरल रिसर्च सेन्टर, कार्यालय उप निदेशक, मलेरिया, लखनऊ, ५--डा० एन० के० मिश्रा, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, वाराणसी, ६--डा० एन० सी० दास, अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी, ७--डा० जगपालकृष्ण, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अलीगढ़, ८--डा० बी० के० बरुआ, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलीगढ़, ९--डा० एस० एन० एस० गौतम जिला परिवार नियोजन अधिकारी, चमोली, १०--डा० एस० एस० वर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जालौन, ११--डा० ओ० पी० गर्ग, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, बदायूं, १२--डा० बी० एम० मिश्रा, बैक्टीरियालोजिस्ट, संक्रामक रोग शाखा, लखनऊ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या यह सही है कि ये स्थानान्तरण तीन वर्ष के अन्दर कर दिये गये और क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रायः तीन वर्ष तक अपने अधिकारियों को जिलों में रखती हैं?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

प्रायः तीन वर्ष के बाद ही स्थानांतरण किया जाता है।

श्री छांगुर--

माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन १२ अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है, जिस स्थान से स्थानान्तरित किया गया है, उसमें सबसे अधिक अवधि क्या थी?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न क्या है?

श्री छांगुर--

यह कहा गया कि तीन साल के बाद ट्रांस्फर होता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक अधिकारी को बताएं जो तीन साल से अधिक उस स्थान पर रह चका हो।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो ब्योरे का प्रश्न है। इतना समय नष्ट होगा।

श्री छांगुरराम---

मैं एक अधिकारी का पूछ रहा हूं, १२ का नहीं पूछ रहा हूं जो सबसे अधिक समय तक एक स्थान पर रह चुका हो।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास---

मेरे पास १२ की सूची है।

श्री छांगरराम---

मैं एक अधिकारी का पूछ रहा हूं जो सब से अधिक समय तक रहा हो।

श्री उपाध्यक्ष---

तीन साल से अधिक कितने हैं? सूचना है, यह देखना पड़ेगा। यह ब्यौरे का सवाल है।

श्री छांगुरराम---

लगता है कि कोई अधिकारी तीन साल से अधिक नहीं रहा। मैं निश्चित यह सवाल पूछ रहा हूं कि एक अधिकारी का समय बताएं जो उस स्थान पर तीन साल से अधिक रहा हो। उसकी क्या अवधि है। मेरी जानकारी है कि तीन साल से अधिक का स्थानांतरण नहीं किया गया।

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर---

मैं बारहों की अवधि पढ़ कर सुना दूं?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर तीन साल से ज्यादा कोई हो तो बता दें।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

डा० एन० के० मिश्रा, २७-२-१९६७ से १५-७-१९७० तक।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

क्या मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो ट्रान्सफर्स हुये हैं वह किस की शिकायत पर हुये हैं?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर---

यह तो रुटिन में हुये हैं।

जिला पौड़ी-गढ़वाल में चिकित्सालय खोलने का निश्चय

*१०---श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में जनपद पौड़ी-गढ़वाल के किन-किन विकास क्षेत्रों में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का निश्चय हुआ है? क्या विकास क्षेत्र खिर्सू में भी कोई चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)---

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ग्राम खिर्सू में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पहले से ही कार्य कर रहा है, अतः वहां पर चिकित्सालय स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*११---श्री कृष्ण स्वरूप---

[मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अगास्त]

सैंजी, चपलोड़ी तथा मरोड़ा, जिला गढ़वाल में चिकित्सालय खोलने की मांग

*१२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पावो ब्लाक, जिला गढ़वाल के अन्तर्गत स्थान सैंजी चपलोड़ी और मरोड़ा में जो सरकारी डिस्पेन्सरी खुलने वाली हैं वे कब तक खुल जायेंगी ?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर—

सैंजी चपलौड़ी में डिस्पेन्सरी खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। मरोड़ा में चिकित्सालय खोले जाने की एक प्रार्थना शासन को प्राप्त हुई है, परन्तु शासन ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

*१३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त स्थानों पर डिस्पेन्सरी बनाने के लिये क्या वहां की जनता ने भूमि देने का बचन दिया है ?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर—

ग्राम मरोड़ा में जनता ने ४० × २० फीट का दो मंजिला मकान एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु तैयार कर लिया है और इसे वे सरकार को हस्तान्तरित करने हेतु तैयार हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सैंजी चपलोड़ी और मरोड़ा से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, तो क्या पास के किसी गांव से आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव मिला है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न साफ नहीं है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इन दो गांवों के अलावा पूछ रहा हूं।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

मान्यवर, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में १० ग्राम एलोपैथिक डिस्पेन्सरी स्थापित करने का लक्ष्य है जिनमें से चार की सहमति दी जा चुकी है। छः डिस्पेन्सरी अभी और खुलना हैं लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि कहां खुलेंगी ?

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि शासन की यह नीति है कि ५ मील के अन्दर चिकित्सालय खोले जायं ? यदि हां, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय जिलों में इस नीति के अनुसार पूरे अस्पताल खोले जा चुके हैं ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

मान्यवर, पूरे अस्पताल नहीं खोले जा चुके हैं। प्रस्ताव बहुत से हैं। जहां अधिक जरूरी समझा जाता है वहीं खोले जाते हैं।

श्री छांगुरराम—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने कहा है कि वहां के लोगों ने जमीन देने का वादा किया है, तो क्या इस बात को खाल में रखते हुए कि वहां ५ मील में कोई डिस्पेन्सरीनहीं है, मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि वहां पर डिस्पेन्सरी खोली जायगी ?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर---

जैसा कि मैंने पहले कहा कि पंच वर्षीय योजना में १० ग्राम एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने का लक्ष्य है। चार खोली जा चुकी हैं और ६ बाकी ह। उनके लिये जो सुझाव आयेंगे, उन पर विचार किया जावेगा।

सहारनपुर स्थित हार्टिकल्चर अनुसंधान केन्द्र के नर्सरी विभाग का स्थानान्तरण

*१४---श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में हार्टीकल्चर की एक बहुत पुरानी अनुसन्धान संस्था है जिसमें नर्सरी विभाग भी है? क्या सरकार इस संस्था का विकेन्द्रीकरण करके इसके कुछ विभागों को अथवा पूरी संस्था को जिला मेरठ में स्थानान्तरित करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कृष्णस्वरूप---

सहारनपुर नगर में हार्टिकल्चर अनुसंधान केन्द्र नामक एक संस्था स्थापित है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से सहारनसुर म स्थापित नर्सरी से संबंधित कार्य निदेशक अनुसंधान केन्द्र सहारनपुर को सौंपा गया था। नर्सरी का अनुसंधान कार्य से कोई संबंध नहीं है।

अनुसंधान केन्द्र का न तो विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और न इसके किसी भाग को मेरठ स्थानान्तरित किया जा रहा है।

श्री रामसिंह---

कृषि मंत्री जी ने बतलाया कि इस संस्थान के दो हिस्से हैं। (१) अनुसन्धान और (२) नर्सरी। तो अनुसन्धान को तो स्थानान्तरण करने का सरकार का विचार नहीं है लेकिन नर्सरी का स्थानान्तरण करने का विचार है?

श्री कृष्णस्वरूप---

नर्सरी इसका अंग नहीं है। इस केन्द्र को यह एडीशनल काम दिया गया था। मेरठ में डिप्टी डायरेक्टर, हार्टीकल्चर की नियुक्ति हो गई है, इसलिये वहां यह नर्सरी खोलने का विचार किया गया है।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि इलाहाबाद के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने भी यह मांग की थी कि इस विभाग का एक हिस्सा इलाहाबाद भी स्थानान्तरित किया जाय? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

श्री कृष्णस्वरूप---

यह प्रश्न सहारनपुर और मेरठ का था। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसिंह---

अनुसंधान केन्द्र से नर्सरी का कोई सम्बन्ध नहीं है। वहां जो अनुसंधान कार्य होते हैं तो किस चीज के होते हैं?

श्री कृष्णस्वरूप---

अनुसंधान केन्द्र सहारनपुर में है और उसके साथ ही नर्सरी भी थी। अब मेरठ म नर्सरी की स्थापना की जा रही है और वहां एक आफिसर का एप्वाइन्टमेंट भी हो गया है।

श्री रामसिंह--

जिन प्रशासनिक कारणों से यह नर्सरी सहारनपुर से मरठ स्थानान्तरित की जा रही है तो सरकार का सहारनपुर में भी नर्सरी को रखने का विचार है ?

श्री कृष्ण स्वरूप--

सहारनपुर में भी नर्सरी रहेगी। मेरठ में एक और नर्सरी बनायेंगे। चूंकि सहारनपुर से मेरठ और बुलन्दशहर दूर पड़ते हैं, इसलिए मेरठ में एक नर्सरी की स्थापना की जा रही है।

पौड़ी नगरपालिका में अनियमिततायें तथा उसकी जांच

*१५--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पौड़ी नगरपालिका के सुपरसीड किये जाने के बाद वहां के हिसाब में कोई गड़बड़ी पाई गई ? यदि हां, तो ऐसी अनियमिततायें किन-किन कार्यों एवं विभागों में पाई गई और दोषी व्यक्तियों को क्या सजा दी गई ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

जी हां, ऐसी अनियमिततायें विभिन्न टैक्सों की वसूली, बोर्ड के निर्माण कार्यों एवं अन्य सामग्री के क्रय, अग्रिम धनराशियों के भुगतान, बजट, पालिका के टेलीफूनों से ट्रंक-काल, सरकारी अनुदानों के उपभोग, नगरपालिका रोकड़ बही आदि में पाई गई ; दोषी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही चल रही है।

*१६--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पौड़ी नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष ने व्यक्तिगत टेलीफोनों का बिल भी नगरपालिका के ही द्वारा भुगतान करवाया था ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

जी हां।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जितनी अनियमितताएं हुई हैं कितने रुपये की हुई हैं और जो दोषी पाये गये उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

३८ हजार ९०० रुपये के अनुदान की स्वीकृति थी जिसका दुरुपयोग किया गया। और भी गड़बड़ियां हैं जो विस्तृत हैं। करीब बारह तेरह हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कथित नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितताएं गम्भीर हैं, उनके विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में भी मुकदमा दर्ज करायेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

इसमें जिला मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं और अगर कोई कारण पाया गया तो कार्यवाही की जायेगी। चूंकि हाई कोर्ट में उन्होंने रिट कर दी है इसलिए कुछ देर लगेगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस तरह के केसेज पुलिस इंवेस्टीगेशन के लिए क्यों नहीं दिये गये ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इस वक्त बोर्ड सुपरसीडेड है। हम इसकी यथासम्भव जांच करायेंगे और अगर प्राइमा फेसी केस हो जायेगा तो पुलिस इंवेस्टीगेट करेगी ही।

श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उन पर आरोप साबित हो गये तो विभाग की तरफ से सस्पेंड किया गया या नहीं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

इसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह---

माननीय मंत्री जी ने, प्र० सं० १६ के उत्तर में बताया है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने व्यक्तिगत टेलीफोन का बिल भी नगरपालिका से दिलाया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह नियम के अनुकूल है और यदि नहीं, तो नगरपालिका की तरफ से क्या व्यवस्था की गयी है कि भूतपूर्व अध्यक्ष से इस बिल के भुगतान की वसूली की जाय ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

अपने प्राइवेट टेलीफोन का १६२५ रु० का बिल का भुगतान करवा दिया था जिसकी वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री छांगुर राम---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गड़बड़ी बताई गई है और उसके बाद म्युनिसिपैल्टी को सुपरसीड किया गया वह किन कारणों से किया गया ?

श्री रूप नाथ सिंह यादव---

कारण तो मैंने बताया कि इसके बहुत से कारण थे उनमें से एक प्रमुख कारण यह था कि ३८,९०० रु० का जो सड़क अनुदान था और जिसकी स्वीकृति हो गई थी उस आदेश का उल्लंघन किया गया। साथ ही पहले की और भी बहुत सी गड़बड़ियां हैं जिसके लिये यदि उपाध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो पढ़ कर सुना दूं। इन्हीं कारणों से उसको सुपरसीड किया गया।

नगरपालिका मारहरा, जिला एटा के अध्यक्ष एवं सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१७---श्री कल्यान सिंह---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मारहरा, जिला एटा के नागरिकों के हस्ताक्षरों से युक्त दिनांक ६ अप्रैल, १९७० का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें नगर-पालिका मारहरा, जिला एटा के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाये जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जी हां। श्री ओम प्रकाश शाह अध्यक्ष, एवं चार सदस्यों सर्वश्री रमेश चन्द्र राठी, पूरन लाल, झमन तथा खुशाली के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें विस्तृत रूप में आरोपों का जिक्र किया गया है। आरोपों की जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट एटा से अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। इन आरोपों की जांच शासन के विचाराधीन है और परीक्षण के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री कल्यान सिंह---

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत किया था कि प्रार्थना-पत्र में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं। परन्तु उत्तर में यह कहा गया कि उनके ऊपर बड़े विस्तृत आरोप लगाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता था कि किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं और जांच के बाद किस-किस के आरोप सिद्ध हो गये हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसकी मैं छानबीन कर रहा हूं और उसके बाद ही मैं पुनः उत्तर दे सकूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच के बाद वह रिपोर्ट सही पाई गई अथवा नहीं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है।

प्रदेश में ट्रैक्टर का कारखाना खोलने की मांग

*१८---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों का कारखाना खोले जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से कुछ जानकारी मांगी है ? यदि हां, तो क्या और वह कारखाना प्रदेश के किस भाग व स्थान में लगाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है ?

श्री कृष्णस्वरूप---

उत्तर में ट्रैक्टरों का कारखाना खोले जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से कोई जानकारी नहीं मांगी है। बाकी प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल---

प्रदेश में किसानों की आवश्यकता को देखते हुये मान्यवर, क्या मंत्री जी ने कभी केन्द्र सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर का कारखाना खोला जाय ?

श्री कृष्ण स्वरूप---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने २८ सितम्बर, १९७० को केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये ट्रैक्टर का कारखाना यहां पर खोला जाय। जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो उनकी बातचीत भी उनसे हुई थी तथा उन्होंने पत्र भी लिखा था, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने कोई भी जानकारी हमको नहीं दी है और उत्तर प्रदेश सरकार पुनः उनको लिख रही है कि उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर का कारखाना खोलने की अनुमति दी जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

क्या कोई यह भी सुझाव दिया गया है कि किन-किन स्थानों पर इसको खोला जाय ?

श्री कृष्ण स्वरूप---

तालकटोरा लखनऊ में खोलने का सुझाव दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन मिर्जापुर और बनारस का भी नाम रहा है ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

हमारे उद्योग विभाग ने केन्द्रीय सरकार के उद्योग विभाग को रामनगर, वाराणसी में एक ट्रैक्टर का कारखाना खोलने के लिये लिखा था। परन्तु उस समय केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि बजाय इसके कि उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक्टर का कारखाना खोला जाय, जो ट्रैक्टर का कारखाना है उसकी क्षमता को बढ़ाया जाय और उन्होंने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की हरियाणा शाखा को शक्ति बढ़ाने के लिये लिख दिया और उत्तर प्रदेश को नया ट्रैक्टर का कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

माननीय मंत्री जी कृपया यह बतलायेंगे कि जिस ट्रैक्टर के कारखाने के लिये उन्होंने केन्द्रीय सरकार से बातचीत चलाई है, तो क्या उन्होंने कोई रूपरेखा तैयार की है, यदि की है, तो वह क्या है ?

श्री कृष्णस्वरूप—

अभी तो हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि लखनऊ में तालकटोरा रोड पर यह कारखाना खोला जाय। जहां तक रूप रेखा की बात है उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री माताप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रतापगढ़ जिले में ट्रैक्टर का एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया है और वहां सर्वेक्षण का कार्य भी हो रहा है ?

श्री कृष्णस्वरूप—

हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्रैक्टर के कारखाने के लिये तालकटोरा स्थान क्यों चुना गया है ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

विस्तृत सूचना के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये और जब तक यह ट्रैक्टर का कारखाना नहीं खुल जाता उस वक्त तक उस जरूरत को पूरा करने के लिये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जैसा गुजरात और पंजाब सरकार ने किया, फौरन ट्रैक्टर के इम्पोर्ट के लिये क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—

जो सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजे गये हैं, तो क्या प्रदेशीय सरकार अपने तौर पर यह ट्रैक्टर का कारखाना खुलवाना चाहती है या किसी कम्पनी के द्वारा खुलवाना चाहती है ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

जैसा मैंने पहले कहा विस्तत रूपरेखा के सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता है।

फैजाबाद के जूट-केन्द्र, धोरहरा को तोड़ना

*१९—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत जूट केन्द्र धोरहरा, जो सन् १९४८ से जनहित में प्रसार कार्य कर रहा था, क्या वर्ष १९७० में जूट विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा तोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कृष्ण स्वरूप—

धोरहरा जूट विकास केन्द्र वर्ष १९५० में स्थापित किया गया था। इसको वर्ष १९७० में इसलिये तोड़ दिया गया कि इस केन्द्र के आस-पास जूट के क्षेत्र में धीरे-धीरे कमी होती गई जिससे जूट की पैदावार भी घटती गई।

श्री धूम प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह विभाग सन् १९५० में कायम किया गया था तो फिर उसके तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, उसके क्या कारण थे और उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री कृष्ण स्वरूप—

जिस समय सरकार ने १९५० में फैजाबाद में जूट का केन्द्र बनाया था उस समय लगभग ५०० एकड़ भूमि में जूट की पैदावार होती थी। उसके बाद समय-समय पर यह रकबा घटता चला गया और अब केवल ५९ एकड़ क्षेत्र रह गया है। हमने उसके करीब गोंडा में एक नया क्षेत्र खोल दिया है और एक अधिकारी, काशीनाथपुर में रहेगा और उस क्षेत्र का काम देखेगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिल फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जूट का कारखाना लगाया गया था तो वहां जूट उत्पादन के विकास के लिये क्या पग उठाये गये थे?

श्री कृष्ण स्वरूप—

हमने कोई कारखाना स्थापित नहीं किया था, हमने तो केन्द्र स्थापित किया था। चूंकि वहां मक्का और धान बुवाया जाने लगा इसलिये वह क्षेत्र घटता चला गया।

ग्राम रार, जिला कानपुर के कृषकों के तकावी पर खाद प्राप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जून, १९७० में ग्राम रार, विकास क्षेत्र घाटमपुर, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर के कितने काश्तकारों ने खरीफ १९७० के लिये तकावी पर फर्टिलाइजर्स प्राप्त करने के लिये खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर को प्रार्थना पत्र दिये थे?

कृषि मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

ग्राम रार, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर के दस काश्तकारों ने जून, १९७० में खरीफ, १९७० के लिये तकावी पर खाद प्राप्त करने के लिये खंड विकास अधिकारी, घाटमपुर को प्रार्थना-पत्र दिये थे।

नोटः—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२१—श्री शिवानन्द मौटियाल—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त काश्तकारों में से कितने काश्तकारों को खाद दी गई तथा जिन काश्तकारों को नहीं दी गई उसके क्या कारण हैं ?

श्री अनवार अहमद—

उपरोक्त दस काश्तकारों में से चार काश्तकारों को खाद तकावी पर दी गई थी तथा बाकी छः काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र इसलिये अस्वीकार कर दिये गये क्योंकि वे सरकारी देय धन के बकायादार थे जिनको नियमानुसार तकावी नहीं मिल सकती थी।

सीड स्टोर इंचार्ज, बभनान, जिला गोंडा के विरुद्ध गबन की शिकायत

*२२—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि सीड स्टोर इंचार्ज, बभनान, जिला गोंडा के विरुद्ध क्षेत्रीय विकास अधिकारी स्वामी नारायन, छपिया, जिला गोंडा ने कोई रिपोर्ट गबन के सम्बन्ध में मई-जून, सन् १९७० में कृषि विभाग, जिला गोंडा के अधिकारियों के यहां किया है ? यदि हां, तो उसके (सीड स्टोर इंचार्ज के) विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अनवार अहमद—

खंड विकास अधिकारी, छपिया, जिला गोंडा से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा एक पत्र २७-४-७० को जिला कृषि अधिकारी, गोंडा को भेजा गया था जिसमें उन्होंने बभनान सीड स्टोर के इंचार्ज के विरुद्ध यह लिखा था कि उक्त गोदाम के हिसाब में तथा स्टाक में गोलमाल की संभावना है। परन्तु उक्त पत्र जिला कृषि अधिकारी, गोंडा को प्राप्त न होने के कारण उक्त सीड स्टोर के इंचार्ज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की परिवार नियोजन विभाग में नियुक्तियां

*२३—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि अभी हाल में मलेरिया विभाग से बहुत से कर्मचारियों को हटा कर हस्पतालों एवं परिवार नियोजन विभाग में नियुक्त किया गया है तथा उपरोक्त नियुक्तियों के आर्डर कुछ कर्मचारियों को विलम्ब से मिलने के कारण वह निर्धारित तिथि पर अपनी नई नियुक्तियों पर नहीं पहुंच सके और उनकी सर्विसों में ब्रेक कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे मामलों में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, मामला शासन के विचाराधीन है।

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा जिलों को दिये गये ट्रैक्टर तथा गोरखपुर जिले को देने के सम्बन्ध में जानकारी

*२४—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६९-७० तथा १९७०-७१ के वित्तीय वर्ष में एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में किस आधार पर डी० टी० १४ और जेटर २० हार्स पावर ट्रैक्टर दिये गये हैं ?

श्री अनवार अहमद—

वित्तीय वर्ष १९६९–७० तथा १९७०–७१ में एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों को छोड़कर अन्य समस्त जिलों को प्राप्त आवेदन पत्रों तथा आवंटन हेतु उपलब्ध ट्रैक्टरों के अनुपात में, डी० टी० १४ और जेटर २० हार्स पावर के ट्रैक्टर दिये गये हैं।

*२५—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में जिनका नम्बर आ गया है उन्हें तत्काल ट्रैक्टर देने की कृपा करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

गोरखपुर जिले में जिनका नम्बर आ गया है उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम द्वारा, भारत सरकार से ट्रैक्टर प्राप्त होते ही, देने की व्यवस्था की जायगी।

सीड स्टोर इंचार्ज, मेला रायगंज, जिला बाराबंकी के विरुद्ध शिकायतें

*२६—श्री सजीवन लाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १० मार्च, १९७० को ग्राम पंजरौली हाता का पुरवा व मैला रायगंज, जिला बाराबंकी के निवासियों की ओर से मेला रायगंज बीज भंडार, जिला बाराबंकी के अवैध कार्यों की शिकायत की पुनः जांच कराने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनवार अहमद—

आवेदन पत्र सितम्बर, १९७० में प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जांच अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा की गई। जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए। फिर भी प्रशासनिक आधार पर श्री सिंह की, सीड स्टोर इंचार्ज, मेला रायगंज का स्थानान्तरण कर दिया गया।

बलिया सदर अस्पताल के अन्दर सड़कों तथा महिला सर्जिकल कक्ष बनवाने की मांग

*२७—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बतलायेगी कि जिला बलिया सदर अस्पताल की चहार दीवारी, उसके अन्तर्गत सड़कें तथा स्त्रियों के लिये सर्जिकल कक्ष बनाने की मांग वहां के अधिकारियों तथा जनता ने सन् १९६९–७० में की है ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस प्रकार की मांग प्राप्त हुई है। यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि ये सब कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

*२८—श्री नगीना सिंह—

[३रे बुधवार के ता० प्र० सं० ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रबड़ फैक्ट्री, बरेली की अप्रयुक्त भूमि को सरकार द्वारा वापस लेना

*२९—श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबड़ फैक्ट्री, बरेली को दी गई भूमि को पुनः वापस लेकर कृषकों को वितरित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक कृषकों को भूमि वितरित की जायगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रबड़ फैक्ट्री, बरेली ने जिस भूमि का अब तक उपयोग नहीं किया है उसे उनसे वापस ले लिया जावे। जब सरकार भूमि को वापस ले लेगी तब उसके समुचित उपयोग पर विचार किया जावेगा।

जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

*३०—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध २३ सितम्बर, १९७० को अथवा उसके आस-पास भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र तात्कालिक उप मन्त्री कृषि के माध्यम से श्री त्रिभुवन प्रसाद शुक्ल द्वारा मिला ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनवार अहमद—

उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

*३१-३२—श्री रामलाल राही—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*३३—श्री नौनिहाल सिंह—

[५वें शुक्रवार के ता० प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३४—श्री तेजपाल—

[३रे बुधवार के ता० प्र० ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में अस्थायी व स्थायी सहायक अभियंता

*३५—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग में कितने अभियन्ताओं के पद हैं और उनमें कितने स्थाई व अस्थायी सहायक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग से है। इस विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के २०७ और सहायक अभियंता (विद्युत् एवं यांत्रिक) के ३३ पद हैं। इन पदों पर नियुक्ति की स्थिति इस प्रकार है :—

१—कोई स्थायी सहायक अभियंता (सिविल) सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि सभी अधिशासी अभियंता के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। केवल एक स्थायी सहायक अभियंता (विद्युत् एवं यांत्रिक) सहायक अभियंता के पद पर कार्य कर रहा है।

२—१९१ सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा २९ सहायक अभियंता (विद्युत् एवं यांत्रिक) अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

जिला बलिया के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई की गई चीनी

*३६—श्री नगीना सिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पहली अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९७० तक बलिया जिले के चीनी के थोक विक्रेताओं ने कितने बोरे चीनी जिले के शहरी क्षेत्र को बेचा तथा कितने बोरे उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई की ?

खाद्य मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)—

१ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, सन् १९७० की अवधि में बलिया जिला में थोक विक्रेताओं द्वारा वितरण हेतु १७,७५२ बोरी चीनी नगर क्षेत्रों में और १६,६८१ बोरी ग्रामीण क्षेत्रों में दी गयी।

*३७—श्री सजीवन लाल—

[३रे बुधवार के ता० प्र० ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३८—श्री नेतराम सिंह—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*३९—श्री कल्यान सिंह—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

उत्तर प्रदेश फाइनेन्सियल कारपोरेशन की पन्द्रहवीं वार्षिक जनरल मीटिंग

*४०—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश फाइनेनशियल कारपोरेशन की २७ जून, १९७० ई० को होने वाली पन्द्रहवीं वार्षिक जनरल मीटिंग का नोटिस उत्तर प्रदेश के गजट दिनांक २५ जुलाई, १९७० ई० में प्रकाशित हुआ है? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

२७ जून, १९७० को होने वाली उत्तर प्रदेश फाइनेन्सियल कारपोरेशन की पन्द्रहवीं वार्षिक जनरल मीटिंग का नोटिस ३ जून, १९७० के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ है। वही नोटिस कारपोरेशन के पन्द्रहवीं रिपोर्ट में भी सम्मिलित है। चूंकि वह पूरी रिपोर्ट २५ जुलाई, १९७० क उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित हुई है अतः उसके साथ उक्त नोटिस भी २५ जुलाई, के गजट में प्रकाशित हुआ है जो पन्द्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट का एक अंग है। वास्तविक नोटिस ३ जून, १९७० के असाधारण गजट में प्रकाशित हो चुका था।

अतारांकित प्रश्न

जिला बलिया में भूमि संरक्षण कार्य प्रगति

१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में भूमि संरक्षण विभाग कब कायम किया गया है और ३० जून, सन् १९७० तक इस जिले में कितने एकड़ भूमि के संरक्षण का कार्य हुआ है?

श्री अनवार अहमद—

बलिया जिले में भूमि संरक्षण कार्य वर्ष १९६६–६७ में आरम्भ हुआ था और ३० जून, १९७० तक १०,८६२ एकड़ कृषि क्षेत्र संरक्षित हो चुका है।

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की मागों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्राथमिक शिक्षक अपना प्रदर्शन यहां करने आये थे लेकिन उनको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई सचिवालय के सामने तो वे सारे एम० एल० ए० के क्वार्टर पर गये और उन्होंने अपनी कठिनाइयां रखीं। मुझे यह भी बताया गया कि वे आप के पास भी आये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आप के पास आये थे जिससे सरकार के सामने उनकी मांग रखी जा सके ?

श्री उपाध्यक्ष--

५१ में आई है.....

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं आप से एक व्यवस्था चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के बहुत से अध्यापक पूरे प्रदेश भर से यहां आये हुये हैं और उन्होंने विधायक निवास का घेराव किया.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो ५१ का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ५१ में जो सवाल दिये हैं उनमें यह आयेगा।

श्री त्रिवेणी--

मुख्य मंत्री जी से आश्वासन दिलवा दें ताकि वे अध्यापक चले जायं।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)--

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल चतुर्थ श्रेणी के लोग ३०, ३२ गिरफ्तार किये गये हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नोटिस आया है, चार बजे लिया जायगा।

श्री राममूर्ति अंचल--

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री का आदेश हो जाय अथवा निर्णय हो जाय और उसकी सूचना उनको आज ही मिल जाय ताकि प्रदेश में जो संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गयी है वह समाप्त हो और माध्यमिक शिक्षक वर्ग दमन चक्र से बच जाय।

उपाध्यक्ष--

वह मैंने बतला दिया कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नियम ५१ में इस पर चर्चा हो जायगी।

विधान सभा सचिवालय की वित्त समिति का तथा कथित निर्माण तथा कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैंने जो लिख कर दिया है वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं निवेदन यह करूंगा कि जो माध्यमिक शिक्षकों का प्रश्न है उस को जरूर देख लें और उसको जरूर लिया जाय, वक्तव्य भी उस पर हो जाय क्योंकि न मैंने जो लिख कर दिया है वह यह है कि विधान सभा सचिवालय

का जो पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन यहां आया था उस पर १७-१२-७० को यहां बहस हुई थी और वह बहस अधूरी रही । उसके अन्दर दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । अगर उन पर इसी सत्र में विचार न हो सका तो वे प्रश्न रह जायंगे । कल कार्य मंत्रणा समिति के अन्दर किसी विषय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया और इस विषय पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका । पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो दो समितियां बना दी गयी थीं, पहले से चली आ रही थीं उनका निर्माण हो जाय । भूतपूर्व जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे और उसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह की सहमति इसमें थी और अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की थी कि वित्त समिति तथा स्टाफ कमेटी दोनों की दोनों कार्य करें । इस प्रकार का आश्वासन सदन के अन्दर दिया गया था । दूसरी महत्वपूण बात यह है कि जो हमारे कर्मचारी इस सचिवालय के हैं उनको मानदेय देने का निर्णय था कि एक महीने के वेतन के बराबर मानदेय दिया जायगा लेकिन वह नहीं दिया जा रहा है । इस पर चर्चा हो जाय ताकि यह विषय अधूरे न रह जायं और इतना आश्वासन सदन के अन्दर होना चाहिये कि ये समितियां फंक्शन करेंगी और कर्मचारियों को मानदेय दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर चर्चा की क्या आवश्यकता है । मैं आश्वासन दिये देता हूं । इस विषय में अध्यक्ष से कह दूंगा । उनके आधिकार क्षेत्र में जो दो समितियां निर्मित की जानी हैं उनको वे कर देंगे । दोनों समितियां कायम हो जायंगी । अब रह गयी चर्चा तो सब एक राय के हैं इस बारे में कोई दो राय तो है नहीं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

उस समय जो चर्चा हुई थी तो अन्त में यह कहा गया था कि फिर इसके लिए समय दिया जायगा । कार्यवाही निकाल कर देख लें । कोटेशन पढ़ कर सुनाया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों को भ्रम है ।(व्यवधान) मैं आप लोगों को स्मरण दिला दूं । मैंने जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष की सम्मति है उसको भी पढ़ दिया था और वह इसलिये पढ़ा था कि यह अधिकार अध्यक्ष में सन्निहित हैं । जो संविधान के अन्तर्गत शक्तियां हैं, सरकार भी उनको पूरा करेगी और यदि वह पूरा नहीं करती है तो जैसा कि मैंने कहा था कि अध्यक्ष को स्वयं सीधे सदन में आना पड़ेगा । सदन में जो आपने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसी के अनुरूप यदि सरकार वह विधेयक लाई तो ठीक है और मान लीजिये कि सरकार वह नहीं करती है तो ऐसे विषय में संविधान के अन्तर्गत निहित शक्तियां अध्यक्ष और सदन की हैं उसी हिसाब से हम आपके सामने आयेंगे ।

दूसरी बात यह है कि जो दो समितियां निर्मित करने की बात कही गई है, उसे भी अध्यक्ष निर्मित कर देंगे । तो इसमें अब बहस की बात नहीं रह जाती है. . .

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जैसा कि आज तक की सूचना है कि यह सदन अब दो दिन के बाद उठने वाला है । मैंने सुना है कि मंत्रि-परिषद् ने उस रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया है । इस हालत में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और इसमें आपके सम्मान की भी बात है । तो मैं चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसी समय सदन को आश्वस्त कर देंगे कि मंत्रि-परिषद् ने उस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया है, तभी आगे का कार्यक्रम होना चाहिए । इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में बैठे हैं वे हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट बता दें कि मंत्रि-परिषद् में वह रिपोर्ट अस्वीकृत हो गई है । उसके बाद ही आगे की कार्यवाही हम लोग करेंगे । क्योंकि आप जानते हैं कि दो दिन बाद यह सदन उठ जायेगा इसी से हम लोग चिन्तित हैं . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री बेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

इस तरह से कहना बिलकुल गलत है, आप बैठें। मुख्य मंत्री खड़े हैं आप उनकी बात को सुनें।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

अगर इस तरह से बात होगी तो अच्छा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, असल में बात तो यह है कि मंत्रि-परिषद् में हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं। बात यह हो गई कि मैं इधर कुछ अस्वस्थ हो गया जिसके कारण मंत्रि-परिषद् की बैठक इधर २–३ दिन तक नहीं हो सकी। किन्तु इसका यह नतीजा निकालना कि हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं और हमने इसे अस्वीकार कर दिया है, यह बिल्कुल अन्याय की बात है। ऐसी बात नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो बयान दिया है कि २/३ दिन तक मंत्रि-परिषद् की बैठक न हो सकी, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन को यह विश्वास नहीं हो सकता कि यह टालने का प्रश्न है। मान्यवर, तीन दिन हो गये हैं और मंत्रि-परिषद् की बैठक नहीं हुई है, दो ही दिन और सदन के लिये बाकी रह गये हैं २३ और २४ दिसम्बर। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हीं दो दिनों के अन्दर उसे सदन में ले आयेंगे?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद अब स्थिति काफी स्पष्ट हो गई है। एक तो समितियों के निर्माण के बारे में और दूसरा मानदेय के बारे में यह बात है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यह मानदेय रुका हुआ पड़ा है। एक महीने के करीब का यह मानदेय कर्मचारियों को मिलना है। इन दोनों बातों के ऊपर उनकी घोषणा हो जानी चाहिए। श्रीमन्, आप जानते हैं कि ये जो आपके कर्मचारी हैं ये सुबह ९ बजे से रात के १२ बजे तक यहां काम करते हैं। इनको मानदेय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं, वह अध्यक्ष जी से कह दिया जायगा। समिति भी बन जायगी। सरकार जब आश्वासन दे रही है तो फिर विशेष चिन्ता की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, १० हजार अध्यापक आये हुए हैं..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस संबंध में सदन के सामने जो भी प्रश्न आये हुए हैं, वे सायंकाल चार बजे लिये जायेंगे। (व्यवधान)

आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं, एक एक करके बात नहीं कहते हैं, इसका मतलब है आप कुछ पूछना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

RA 6049

गृह (पुलिस—ख—१) विभाग की अधिसूचना †

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेंद्र प्रताप सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गृह (पुलिस-ख-१) विभाग की अधिसूचना संख्या ४४७५-पी/आठ-ख-१-५५५-पी-७०, दिनांक ९ सितम्बर, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० की धारा १५ की उप धारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में विधायिका विभाग की विज्ञप्ति †

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५९३५/१७ ३०९—७०, दिनांक १९ दिसम्बर, १९७० को, जिससे उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १७, १९७०) को वापस ले लिया गया है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० को वापस लेने के सम्बन्ध में विधायिका विभाग की विज्ञप्ति†

मुख्य-मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५५१४/१—२७९—७०, दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को, जिससे उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १३, १९७०) को वापस ले लिया गया है, सदन के पटल पर रखती हूं ।

विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५० (२) के अन्तर्गत "विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०" को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित, सदन के पटल पर रखता हूं । यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था और २१ दिसम्बर, १९७० को विधान परिषद् द्वारा एक संशोधन सहित वापस प्राप्त हुआ है ।

---

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त गुन्डा नियंत्रण विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ११४-११९ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड ऐविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा --

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इक्विशन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०, जो विधान सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के २१ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधयक, १९७०, जो विधान सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २१ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है। (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

विविध विषय

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर इतने आदमी एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा।

(व्यवधान)

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी---

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न हम उठाते थे तो आप समय देते थे । आज हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव उठाये । जैसे २५ हजार अध्यापक जाड़े में मर रहे हैं । वे यहां आये हुये हैं तो आप उनको मुख्य मंत्री जी से आश्वासन दिला सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके लिये ४ बजे का समय है । अभी कैसे कर दूं ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी---

अध्यापक पुलिस के घेरे में पड़े हुये हैं । मुख्य मंत्री जी कोई बयान दे दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

नियमानुसार जो आपने पूछा है उसका ४ बजे समय आयेगा । जो निर्णय होगा वह आपको उस समय बता दिया जायेगा । (व्यवधान)

अध्यादेशों को वापस लेने तथा अध्यादेश के अननुमोदन के प्रस्ताव पर विचार हुये बिना विधेयक के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

कार्य सूची के विषय में एक व्यवस्था का प्रश्न है ।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जब एक साथ इतने आदमी बोलते हैं और आप कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमको सुनाई नहीं पड़ता । जब इतने आदमी एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा ?

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

आप एक आदमी का नाम ले दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोगों में सहमति नहीं है । जब आप नहीं मानते हैं तो कैसे सदन चलेगा ? अगर इस तरह से हल्ला मचायेंगे तो न मैं कुछ सुन सकूंगा और न आप ही सुन सकेंगे । कामरोको तथा नियम ५१ के अन्तर्गत जो सवाल हैं वे ४ बजे लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

आप हमारी बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो आदमी एक साथ बोल रहे हैं तो कैसे सुना जा सकता है । अगर एक सदस्य बोले तो मौका दिया जा सकता है । इतने आदमी एक साथ बोलें तो कैसे सुना जा सकेगा । मैंने गोविन्दसिंह जी को बुलाया है ।

श्री गोबिन्द सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी कार्य सूची के आइटम नम्बर ३ के संबंध में आपने कहा है कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश वापस लेना चाहते हैं । इसलिये सदन के सामने रखा गया है । मेरा निवेदन यह है कि यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है और सदन के पटल पर नहीं रखा गया है । दूसरी चीज यह है कि कल व्यवस्था दी जा चुकी है कि पहलेअननुमोदन के प्रस्ताव लाये जायेंगे तब यह आयेगा । इसपर वैधानिक आपत्ति यह है कि इन अध्यादेशों का नोटिस सदन उस समय ले सकता है जब सदन के पटल पर रखे जायं । जब तक नहीं रखे जाते हैं तब तक सदन उसका नोटिस नहीं ले सकता है । और जब यह नोटिस नहीं लेते हैं, तब यह सूचना सदन के पटल पर रखना या न रखना, जब कि अध्यादेश को वापस नहीं लेते हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता । मेरा निवेदन यह है कि पहले अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जाता, उसके बाद अननुमोदन का प्रस्ताव आता, उसके बाद सरकार वापस लेना चाहती है तब यह कार्यवाही हो सकती थी । मैं आपका ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल इस बात की स्पष्ट घोषणा की थी कि पहले अननुमोदन का प्रस्ताव इस सदन में आयेगा, उसके बाद पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जायगी । मैं समझता हूं कि यह अवैधानिक है । अध्यादेश को सदन के पटल पर नहीं रखना चाहिये और इस पर सदन को नोटिस नहीं लेना चाहिये । इसके वापस करने की सूचना को सदन के पटल पर रखने का कोई महत्व नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो अध्यक्ष महोदय, का हवाला दिया वह सही है लेकिन आगे आप देखेंगे कि जब यह अध्यादेश विवाद के लिये आयेगा तब इस अननुमोदन के प्रस्ताव को पहले लिया जायेगा और उसके बाद विधेयक लिया जायेगा । लेकिन पुरःस्थापित नहीं होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा और जो वापस हुये हैं सभी रखे जा चुके हैं । ८ दिसम्बर, को यह रखा जा चुका है, पुरः स्थापित तो किया ही जा सकता है । जब उस पर बहस करनी होगी तब तो यह बात सही है जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा और मैं भी उनसे सहमत हूं । अननुमोदन पहले लिया जायगा और विचार बाद में ।

(व्यवधान)

श्री रामकरन—

श्रीमन्, मुख्य बात यह है कि कल अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था—जब माननीय शिक्षा मंत्री ने उसका एक अंश पढ़ दिया तो इसके ऊपर बहुत सी बातें हुईं, कल की प्रोसीडिंग आप निकाल लें । अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से यह रूलिंग दी थी कि पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा बाद में दी जायगी और अननुमोदन का प्रस्ताव पहले लिया जायेगा । आज भी वही बात है । आप देखेंगे कि नं० १५ पर माननीय शिक्षा मंत्री ने पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगी है, उसके बाद फिर नं० १६ पर इसी तरह की अनुज्ञा मांगी है । यह सही है कि डिस्कशन के लिये अनुज्ञा मांग ली जायगी, उसके ऊपर अननुमोदन के प्रस्ताव पर बहस पहले होगी । खतरा यह है, उनके प्रस्ताव को देखा जाय, उसमें बिल के साथ यह कहते हैं कि अध्यादेश को निरस्त कर दिया जाय, तो इसलिये यह शंका पैदा होती है कि जब आप पुरःस्थापित कर देंगे

तो प्रस्ताव में ही निरस्त की चीज भी निहित है । फिर अननुमोदन के प्रस्ताव पर बहस क्या होगी, यह मैं जानना चाहता हूं ? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि अननुमोदन के प्रस्ताव को पहले ले लिया जाय, उसके ऊपर चर्चा हो जाय और वोटिंग हो जायेगी और उसके बाद पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा माननीय मंत्री जी मांगें तो उसे आप दे दें । कल की प्रोसीडिंग्स आप मंगा लें और कल जो अध्यक्ष महोदय ने कहा उस पर विचार कर लें, फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक एक का जवाब तो दे दें ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

बात यह है कि विरोधी पक्ष के अपने अधिकार होते हैं जिसके द्वारा प्रजातंत्र की बातों पर वह इस सदन में डिस्कशन कर सकता है। इसके लिये कुछ नियम भी बने हुये हैं । जो अननुमोदन का प्रस्ताव है उसकी साफ मंशा है, वह बिलकुल अलग चीज है और अध्यादेश का एक दम से विरोध करने में बहुत सी चीजें हैं । अननुमोदन की प्रक्रिया से इसका संबंध नहीं है । अगर आप पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दे दें और फिर बहस जारी करा दें तो उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है । एक पहले और बाद की चीज होती है लेकिन उससे यह हो जायेगा कि हमारा जो अधिकार है और हम जो सरकार से कहना चाहते हैं स्पष्ट तरीके से, वह कहने का अवसर हमें मिल जायेगा । एक और बात है जो फंडामेंटल है । अननुमोदन का प्रस्ताव एक विशेष अध्यादेश के लिये लाया गया है । जो बिल हमारे सामने आया है उसमें भी भेद है। वह विस्तृत तरीके से एक चीज आयी है। अध्यादेश में दो वर्ष के लिये सरकार ने अधिकार लिये थे और जो बिल आया है उसमें वह जो कुछ करने जा रही है वह तो अलग चर्चा का विषय होगा । तो बहुत मैटीरियल डिफरेंस हो जाता है उस अध्यादेश में और अननुमोदन के हमारे प्रस्ताव में ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो कह रही हैं उसमें दो राय नहीं हैं। आप उसको बार-बार कह रही हैं । अभी सवाल केवल यह है कि जो पुरःस्थापित किया गया है और जो अभी माननीय रामकरन जी ने कहा है कल की कार्यवाही के बारे में, तो कल की कार्यवाही यह है कि राज्य शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार त्रिपाठी जब उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांग रहे थे तभी श्री गोबिन्द सिंह, श्री उदित नारायण, श्री राम करन तथा नेता विरोधी दल ने आपत्ति की कि चूंकि उक्त विधेयक के विषय में संबंधित अध्यादेश के अननुमोदन के प्रस्ताव बहुत पहले दिये जा चुके थे अतः पहले उन प्रस्तावों पर ही विचार किया जाय बाद में इस विधेयक को लाया जाय । इसे आज पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति न दी जाय । श्री नारायण दत्त तिवारी ने प्रक्रिया नियमावली के नियम १२३ के अन्तर्गत आपत्ति उठाई कि चूंकि विधेयक की प्रतियां विरोधी दल के सदस्यों को नहीं मिली हैं, अतः इसको आज पुरःस्थापित करने की अनुमति न दी जाय । श्री अध्यक्ष ने कहा कि उनके कार्यालय की सूचना के अनुसार विधेयक की प्रतियां १८ तारीख कोपीजन होल में रख दी गयीं थीं । हो सकता है कि शनिवार तथा रविवार को बैठक न होने के कारण कुछ सदस्यों को न मिल पायी हों इसलिये यह विधेयक आज पुरःथापित न करके कल किया जायगा और उस पर विचार भी कल हो सकेगा ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको स्थिति बता रहा हूं । पूरी बात अभी हो नहीं पायी इस बीच में क्या व्यवस्था आ गयी जो आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगेंगे ? प्रश्न यह है कि पुरःस्थापित हो सकता है या नहीं । मैं आप से कहता हूं कि ८ तारीख को संबंधित मंत्रियों ने निम्नलिखित अध्यादेश सदन के पटल पर रखे :

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० ।
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० ।
उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० ।
उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० ।
उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० ।
आदि आदि ।

श्री चेतराम गंगवार---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि करीब ६ हजार प्राथमिक शिक्षक यहां पर आये हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरा सवाल है । आप दूसरे प्रश्न को उठा रहे हैं ।

श्री चेतराम गंगवार---

मैंने नियम ५१ के अनुसार अविलम्बनीय लोक महत्व का दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५१ का ४ बजे रोज होता है ।

श्री चेतराम गंगवार---

आप सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय मैं नहीं सुनूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार---

स्वीकार करें या न करें यह दूसरी बात है । अभी तो प्रश्न यह है कि हमारे अधिकारों का जो हनन होता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

जो विवाद खड़ा हुआ है वह शायद विपक्ष आपको समझाने में सफल नहीं हुआ । प्रश्न यह है कि जब कल यह रूलिंग हुई कि अननुमोदन के प्रस्ताव पर पहले विचार होगा और उसके बाद पुरःस्थापन होगा तो यह जो कार्यसूची है उसमें पुरःस्थापन पहले आया और अननुमोदन बाद में आया । यह नम्बर १५ पर है और वह १९ नम्बर पर है । तो प्रश्न यह है कि अननुमोदन का प्रस्ताव पहले आना चाहिये और पुरःस्थापन वाले को बाद में आना चाहिये यह प्रश्न था और इसी के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि आप बतायें पहले अननुमोदन वाला लिया जाय या पहले पुरःस्थापन वाला लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

१९,२० जब आइटम लाया जायगा तो जो बात अभी नेता विरोधीदल ने कही है उसी के अनुसार कार्यवाही होगी । ऐसा ही इसमें लिखा भी है ।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

हम लोग भी ऐसा ही स्वीकार करते हैं । ऐसा ही क्रम होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले सब सदन के पटल पर रखे जाते हैं । १९,२० आइटम जब आयेगा तो जो बात आपने उठाई अननुमोदन जब लिया जायगा तो पुरःस्थापन भी हो जायगा ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

आपको क्या आपत्ति है जो पुरःस्थापन की बात है उसको आप बाद को कर लें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

पुरःस्थापन करने का मतलब यह नहीं है कि तुरन्त ही उस पर विचार आरम्भ हो जायगा । पहले पुरःस्थापन हो जाय, फिर अननुमोदन का प्रस्ताव आ जाय और तब विचार हो जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

यह दुर्भाग्य का विषय है कि कार्य मंत्रणा समिति कई रोज से सदन को कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं दे सकी । आपकी जानकारी में यह होगा कि अध्यक्ष जी ने जैसा कि सदन के बाद भी कल यह कहा था कि यह जो पुरःस्थापन का मामला है वह बाद में आयेगा और अननुमोदन का पहले हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह नहीं कहा था । उन्होंने यह कहा था कि चूंकि विधेयक की प्रति विरोधी दल के सदस्यों को वितरित नहीं की गई इसलिये इसको आज पुरःस्थापित करने की अनुमति न दी जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल---

अध्यक्ष जी ने बराबर यह कहा था कि जो व्यवस्था मैं दे चुका हूं उस पर मैं रहूंगा । आज वह विधान सभा में भी नहीं आये हैं । उन्होंने यह कहा था कि जो निर्णय दे चुका हूं उस पर कायम रहूंगा । दूसरी बात यह है कि जो अध्यादेश जारी हुये हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो अननुमोदन पहले लिया जायगा पुरःस्थापन बाद में होगा । आज छात्रसंघ वाले के लिये केवल कहा था । उसको १५ से १९ पर कर दिया है । चूंकि कार्य मंत्रणा समिति में तय नहीं हो सका तो सरकार बड़ी होशियारी से अनेक अध्यादेश एजेंडे पर ले आई । इस एजेंडे को आज इतना बड़ा कर दिया है जिसमें बहुत से अध्यादेश रख दिये हैं । छात्रसंघ वाले पर कब अननुमोदन का विचार होगा ? आप उसको पहले लेंले । । यह होशियारी की बात है जिस तरह से सरकार ने रखा है हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं । अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि छात्रसंघ वाले अध्यादेश का अननुमोदन पहले होगा और उसके बाद पुरःस्थापन होगा ।

(श्री उदितनारायण शर्मा के बुलाने पर तथा गृह मंत्री के कुछ कहने पर)

श्रीमन्, अगर गृह मंत्री जी की ओर से इस प्रकार की अव्यवस्था करने का प्रयास किया जायगा तो हाउस का चलना मुश्किल हो जायगा अगर इस तरह से हर वक्त गृह मंत्री जी टोकेंगे तो कोई भी उधर से नहीं बोल पायेगा । मैं इस व्यवस्था का हामी नहीं रहा हूं लेकिन अगर उधर से ऐसी अव्यवस्था शुरू होगी तो सदन का चलना मुश्किल हो जायगा ।

(व्यवधान)

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने कल जिस क्रम में बात कही थी उसी क्रम में वह आ सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल की बात जो आप कह रहे हैं, उसमें अन्तर यह है कि आप कहते हैं कि कल उन्होंने इजाजत दी.....

(इस समय १२ बज कर ३६ मिनट पर अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये ।)

श्री अध्यक्ष—

किन को बोलने के लिये उपाध्यक्ष जी ने बुलाया था ?

श्री उदित नारायण —

मुझे बुलाया था श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप बोलें ।

*श्री उदित नारायण—

अध्यक्ष महोदय, आप तशरीफ लाये हैं इसके पहले उपाध्यक्ष जी ने इस संबंध में विचार रखने की मुझे इजाजत दी थी । आप के आने के पहले यहां पर यह विषय चल रहा था कि कल इस सदन में जिस समय सरकारी पक्ष की ओर से इस बात की अनुज्ञा मांगी जा रही थी कि विद्यार्थियों से संबंधित विधेयक को पुरःस्थापित किया जाय तो ठीक उसी समय पर यह एतराज किया गया था कि वह अनुज्ञा उस वक्त तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उससे पहले अनुमोदन का प्रस्ताव सदन के समक्ष न आ जाय, उस पर चर्चा न हो जाय और वह समाप्त न हो जाय, तो यह चर्चा कल उठी थी और उसी समय माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कहा था कि इतने दिन से जो चर्चा चल रही है और जब इतने दिन से यह विषय रखा जा रहा है तो किसी भी सूरत में अननुमोदन के प्रस्ताव से पहले इस विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर चर्चा किसी भी रूप में किसी प्रकार भी यहां पर नहीं होनी चाहिये और मांग की गई थी कि इसलिये इसकी अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अभी पहले उन को बोलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उदितनारायण—

तो जो मूल बात कल थी वह यह थी कि जब तक अननुमोदन का प्रस्ताव नहीं आ जायगा और उस पर चर्चा नहीं हो जायगी तब तक इस विधेयक को पेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक तो यह बात थी और दूसरे उसी समय श्री नारायणदत्त जी ने कहा था कि अभी उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को नहीं मिली हैं लेकिन वास्तविक मुख्य एतराज वह नहीं था बल्कि वास्तविक एतराज जो कितने ही दिन से चल रहा था और मैंने भी उसके बारे में कहा था और हमारे हिसाब से वह एक सिद्धान्त की बात है कि पहले अननुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा हो जाय और उसके बाद विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जायगी। इसके अलावा व्यवस्था के प्रश्न में दो एक बातें और भी हैं। यह अध्यादेश जिन के ऊपर अननुमोदन के प्रस्ताव मौजूद हैं उनको वापस लेने की बात को कार्यसूची में पहले रख दिया गया है, यह कैसे हो सकता है? इस में तो और भी ज्यादा एतराज की बात होगी। पहले तो अननुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा होना चाहिये थी और उसके बाद वापसी का सवाल आता है। जब आप के और सदन के समक्ष अननुमोदन का प्रस्ताव मौजूद है तो पहले वापसी का क्या सवाल है। इस तरह से सरकारी पक्ष अननुमोदन के अधिकार से सदन को वंचित करना चाहता है। इस लिये हमारा निवेदन है कि इन तमाम बातों पर गौर करके आप अपनी आज्ञा दें कि पहले अननुमोदन के प्रस्ताव आये और उसके बाद बिल आये, और उनकी वापसी या पुरःस्थापन का सवाल बाद में ही आता है।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जो बात शर्मा जी ने कही है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि अभी लक्ष्मी रमण जी आचार्य बोलेंगे।

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर जैसा कि हम लोग इधर सदन में बैठे समझ पाये मेरे विचार से बहुत विवाद की बातें नहीं हैं और न कोई विवाद का प्रश्न ही पैदा होता है। कल भी यह प्रश्न पैदा हुआ था सदन के सामने। एक तो यह है कि क्या सरकार को यह अधिकार है कि कुछ आर्डिनेन्स को यहां सदन के समक्ष वापस ले ले। जैसा कि कार्य सूची में दिया हुआ है, कृपया आप इसके आइटम ४ और ५ देखने का कष्ट करें। इसके आइटम ४ पर दिया हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, को वापस लेने की सूचना है और इसके आइटम (३) पर सामुदायिक विकास मंत्री जी के लिये है कि वे पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश को वापस लेने की सूचना देंगे।

तो सबसे पहले यह विवाद पैदा हुआ कि उनको वापस लिया जा सकता है या नहीं जब तक अननुमोदन के प्रस्ताव पर विचार न हो जाय। हमारा कहना यह है कि हमको वापस लेने का अधिकार है और उसके बाद जब वापस ही ले लिया तो अननुमोदन का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे आइटम में यह आया कि विश्वविद्यालय डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक को पुरः स्थापित करना चाहिये था। श्रीमन्, पुरःस्थापित करने की और विचार करने की प्रक्रिया अलग-अलग है। मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं है कि विचार करने की प्रक्रिया उस समय प्रारम्भ होनी चाहिये जबकि अननुमोदन के सम्बन्ध में उस समय सदन विचार कर ले। ये दोनों एक साथ होने चाहिये। आज की परिपाटी भी यही रही है कि अगर अननुमोदन का प्रस्ताव हो तो अननुमोदन का प्रस्ताव और सरकार द्वारा विचार करने का जो बिल हो तो ये दोनों प्रश्न एक साथ हो सकते हैं। यदि अनुमोदन का प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो उसकी एवज में जो हम बिल रख रहे हैं वह एक तरीके से अस्वीकार हो गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष—

नहीं, यह आप गलत कह रहे हैं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, अननुमोदन के प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद में अननुमोदन तो हम भी करते हैं जब हम रिपील करते हैं अपने बिल के साथ में उस अध्यादेश को । तो मान्यवर जब हम अध्यादेश को रिपील करते हैं, तो अध्यादेश के अनुमोदन या उसके अनुमोदन का कोई महत्व नहीं रहता तो उस समय बिल पर विचार करते हैं तो उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है । पुरःस्थापित करना दूसरी चीज है ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो तर्क दिये हैं, आप देखेंगे कि वह परम्परा की कसौटी में खरे नहीं उतरते । पहली बात तो माननीय मंत्री जी ने यह कही कि ये दो अध्यादेश—पंचायत राज अध्यादेश, १९७० और उत्तर प्रदेश निवारण निरोध अध्यादेश, १९७०—हमने वापिस ले लिये हैं । इनके अननुमोदन का प्रस्ताव नहीं उठता । कम से कम सरकार को इतनी अकल तो आई है कि उसने यह पंचायत राज संशोधन अध्यादेश जिसमें ग्राम सभाओं के प्रधानों के अधिकार छीन रहे थे इसको वापिस लिया और इस डर से वापिस लिया कि यह अननुमोदन प्रस्ताव पास हो जायेगा....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आपको अकल तो आई है । आप अकल हमसे सीखें...

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, कृपया इनको निर्देश देने का कष्ट करें कि विधान सभा में कैसे कार्यवाही की जाती है ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सरकार ने बुद्धि से काम लिया, विवेक से काम लिया और इस सदन के बहुमत की आकांक्षाओं को समझा और ये दो आर्डिनेन्स वापिस लिये । यह ठीक किया । मैं तो कहता हूं कि और भी आर्डिनेन्स वापिस ले लें तो मैं समझूंगा कि उन्होंने विवेक से काम लिया । इसमें सवाल यह था कि आइटम नं० १५ पुरःस्थापन की अनुज्ञा का रक्खा हुआ है और आइटम नं० १६ अनुज्ञा का है और आइम नं० १९ अननुमोदन का है । तो यहां पर यह बात कही गई कि पहले अननुमोदन वाली बात को ले लिया जाय और उसके बाद जब उस पर निर्णय हो जाय तो पुरःस्थापन हो । यानी क्रम बदला जाय, यह बात थी । यही बात कल माननीय नेता विरोधी दल ने भी कही कि पहले अननुमोदन के प्रस्ताव पर विचार हो जाय और उसके बाद यह विधेयक लिया जाय । उस पर उस क्रम में माननीय मंत्री जी ने नई बात जोड़ दी । उनका कहना यह है कि आर्डिनेन्स और बिल यह एक साथ लाने की बात हो गई ।

श्रीमन्, आपने परम्पराओं की रक्षा की । आपने कल इसमें निर्णय दे दिया है और सदन ने उसको स्वीकार कर लिया है । श्रीमन्, आपने प्रशंसा का कार्य किया है । आपने पुरानी परम्पराओं को निभाया । कल आपने अननुमोदन का प्रस्ताव अलग से लिया और विचार का प्रस्ताव अलग से लिया । वह कार्यसूची में भी अलग-अलग छपा और उन दोनों पर अलग-अलग विचार हुआ । कल सदन ने यह परम्परा स्वीकार कर ली जिसका विरोध माननीय मंत्री जी कर रहे हैं । कल एक्साईज विधेयक आपके सामने आया था । वह दो हिस्सों में बंटा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप श्रीमन्, कल की कार्यसूची में देखें। उसमें एक्साइज अध्यादेश पर अलग से विचार रक्खा गया और विधेयक जो बाद को अध्यादेश के आधार पर आया उस पर अलग से विचार रक्खा गया और सदन की कार्यवाही उसी तरह शुरू हुई और सिद्धान्ततः वे सहमत थे तो माननीय गेन्दा सिंह माननीय सदस्या इलाहाबाद ने अननुमोदन के प्रस्ताव को वापिस ले लिया। अब श्रीमन् जो प्रक्रिया कल निश्चित हो चुकी है वही आज भी होनी चाहिये और कल से बुनियादी बात में फर्क है, अध्यादेश में और विधेयक में जमीन-आसमान का फर्क है। उसका आधार बिल्कुल दूसरा है और इस विधेयक का आधार दूसरा है। कोई कारण नहीं हो सकता कि नई बात जोड़ दें कि दोनों का विवाद अलग से हो। आपने ठीक कहा कि आर्डिनेन्स गिर जाय। उसका अर्थ यह नहीं है कि बिल भी गिर जायेगा, फिर तो श्रीमन्, सरकार गिर जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

पिछली सरकार गिरेगी।

(व्यवधान)

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मेरा एक निवेदन सुन लें, उससे रास्ता निकल आयेगा मैं समझता हूं कि आइटम १५ तक तो किसी को कोई आपत्ति है नहीं। वे ले लिये जायं। उसके बाद आप अननुमोदन वाला विचार के लिये ले लें। उसके बाद यह विधेयक ले लिया जाय। १५ के बाद अननुमोदन वाला ले लिया जाय। इसमें मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, क्रम तो वही है जो इसमें दिया है, इसमें विवाद की कौन सी बात है ?

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने १६ वां आइटम ड्राप करना मान लिया, १५ तक ही पेश हों, यह वह चाहते हैं...

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

ड्राप वाली बात मैंने नहीं कही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कल का जिक्र किया गया। कल पहले अननुमोदन वाला लिया गया, उसके बाद विधेयक लिया गया था। (व्यवधान) लेकिन जो बिल था एक्साइज वाला उसका पुरःस्थापन १८ तारीख को ही यानी अननुमोदन वाले प्रस्ताव को लिये जाने के पूर्व ही हो गया था। मैं समझता हूं कि पुरःस्थापन पहले हो जाय या बाद को हो इसमें किसी के अधिकारों के हनन की बात नहीं है। यह प्रथा पहले से चली आ रही है कि पहले पुरःस्थापन हो गया है उसके बाद अननुमोदन वाला प्रस्ताव आया है विचार के लिये। उस वक्त भी किसी ने एतराज नहीं किया है। तो उसी क्रम के अनुसार हमारे दफ्तर वालों ने आज का कार्यक्रम बनाया। अब इसको अगर उलट कर रख दिया जाय, पहले अनुमोदन का आ जाये और पुरःस्थापन बाद को हो जाय, तो सरकार को मेरी समझ से कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से अगर पुरःस्थापन पहले हो

[श्री अध्यक्ष]

जाय तो विरोध पक्ष का कोई नुकसान नहीं होगा। यह केवल शब्दों की वारफेयर है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। मैं इतना कहे देता हूं कि बाद में लें तो कोई नुकसान नहीं है, पहले भी लेलें, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। अब प्रश्न यह है कि अभी तक प्रथा क्या थी। मेरे दफ्तर में उसी हिसाब से रखा गया। पहले पुरःस्थापित कर दिया गया, अब अननुमोदन के बारे में मैंने यह निर्णय दिया है कि जो अध्यादेश और जो बिल आये, उनमें अन्तर ज्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में अननुमोदन के प्रस्ताव पर विचार पहले होगा। आज आपका जो है अननुमोदन का प्रस्ताव पहले विचार के लिये आयगा। पुरःस्थापित करने का कोई असर उस पर नहीं होगा अगर हम अनुज्ञा न दें तो बात दूसरी है, लेकिन अनुज्ञा दे दी तो उसमें कोई एतराज की बात नहीं हो सकती है। अननुमोदन होने से गवर्नमेंट का खयाल ऐसा था कि उसकी वजह से बिल गिर जायगा। लेकिन अननुमोदन हो जाने का अर्थ यह है कि जिस वक्त अध्यादेश दिया गया था वह उचित नहीं था। अध्यादेश के बाद बिल में सरकार अगर बहुत ज्यादा फर्क करती है, तो उससे अब उसी शक्ल में अध्यादेश का औचित्य नहीं है सरकार की निगाह में या अध्यादेश का औचित्य उस शक्ल में नहीं था जिस शक्ल में प्रकाशित हो गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें समझौता आपस में करने की बात है कि पहले किसको ले लिया जाये। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि वह राजी हो जाय तो कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज यह है कि जहां तक अध्यादेश को विदड्रा करने का सवाल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें है कि वह वापस हो सकता है बाई दी गवर्नर एट एनी टाइम यानी इसका अर्थ है कि सरकार की सलाह से गवर्नर विदड्रा कभी भी कर सकता है। तो बहस के बाद यह विदड्रा किया जाये, यह बात मैं नहीं चाहता। आप पहले विदड्रा कर लेते हैं तो सदन का टाइम उससे बचता है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या कोई आवश्यक है कि यह परम्परा तोड़ी जाये, विरोधी दल ऐसा चाहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो समय बचाने की बात कहता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं १५ मिनट में केवल उसे पुरःस्थापित किये देता हूं, उसे पुरःस्थापित करने की आज्ञा दें। वह पुरःस्थापित तो १८ तारीख को हो चुका है, विचार तो साथ-साथ होंगे ही।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वह कहते हैं यह १८ तारीख को पुरःस्थापित हो चुका है, यह किसी माने में बात सही है। श्रीमन्, इस विधेयक में कुछ बिडम्बना है, वह यह है कि जो दूसरा सदन है, उसमें दूसरा विधेयक रखा गया है, जो कि मेरे पास है। ये दो विधेयक हैं, यहां पर दूसरा है और वहां पर दूसरा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो १८ तारीख को पुरःस्थापित हुआ वह कौन सा ठीक था ? जो इस सदन में हुआ या जो दूसरे सदनों में हुआ ? मैं जानना चाहता हूं १८ तारीख के बारे में कल सरकार ने बयान दिया था कि यहां पिजेनहोल में बिल रख दिया गया है। १८ तारीख को, और उससे पहले दूसरे सदन में, विधान सभा में यह विधेयक जो मैंने भेजा है पुरःस्थापित किया हुआ था। एक ही अध्यादेश के बारे में दो विधेयक पुरःस्थापित हो रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अध्यादेश वह नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अध्यादेश तो एक ही है। विधेयक दो अलग-अलग हैं, एक ही अध्यादेश के बारे में। जरा पूछ लीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मेरी इसमें आपत्ति है। जो कुछ विधान परिषद में हुआ वह इस सदन में रेलेवेंट कैसे है? यहां पर दो विधेयक आ गये, तब तो आपत्ति सही है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी क्या आपत्ति है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

वह कहते हैं कि १८ तारीख को हमने विधेयक पुरःस्थापित कर दिया, पीजन होल में रख दिया था।

श्री अध्यक्ष--

उससे पुरःस्थापन नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन उस तारीख को दूसरा विधेयक विधान परिषद् में पुरःस्थापित किया। विधान परिषद् में कुछ रखा और विधान सभा में कुछ रखा।

श्री अध्यक्ष--

आप कन्फ्युज कर रहे हैं। यह विधेयक और वह विधेयक अलग-अलग हैं। इससे और उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामकरन--

व्यवस्था का सवाल है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसको कहते हैं कि रख दिया पीजन होल में, पांचवें पेज पर देखेंगे, खंड १४, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। अगर आप इसकी अनुज्ञा दे देते हैं तो अननुमोदन की बहस किस प्रकार होगी? नम्बर दो यह है कि आर्डिनेंस सरकार लगाती है जब सदन नहीं रहता है। जिस समय हाउस में आर्डिनेंस रखा जाय तो हमारा अधिकार है कि हाउस एप्रूव करे या डिस्एप्रूव करें। अननुमोदन का प्रस्ताव हमारा अधिकार है। हमको हमारे अधिकार से एक दम वंचित कर रहे हैं। सरकार का काम है कि आर्डिनेंस को पेश करें, अननुमोदन का प्रस्ताव गिर जाता है तो ठीक है, अपना विधेयक पास करवाये लेकिन अननुमोदन का प्रस्ताव पास होता है तो सरकार दूसरे तरीके से विधेयक ले आये, पेश करे। हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा है?

श्री अध्यक्ष--

जो पहले प्रथा चली आयी, पुरःस्थापित करना पहले हो गया था, एक्साइज का बिल, उसके बाद अननुमोदन का प्रश्न आपके सामने आया। अगर अननुमोदन का प्रस्ताव करते तो विचार करने का प्रश्न फिर आता। ऐसी हालत में अनुज्ञा देना और पुरःस्थापित करना, पहले इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसके आगे अननुमोदन का प्रस्ताव आयेगा और अगर अननुमोदन का प्रस्ताव गिर गया और न गिरे तो भी बिल पर विचार करने का प्रस्ताव बाद में आयेगा। तो यही तरीका रहेगा। मैं नम्बर १३ लेता हूं।

कानपुर में रामगंगा नहर से निकली हुई आंट माइनर के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)--

रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत नहर पश्चिमी इलाहाबाद शाखा के मील ३४-४-२०० के दाहिनी पटरी से २२ मील ७ फर्लांग लम्बी आंट राजबहा निकालने का प्राविधान आरम्भ में किया गया था। इस राजबहे के लिये भूमि अध्यापन का कार्य मार्च, १९६४ में जारी किये आदेशों के अनुसार किया गया था। तत्पश्चात् इस राजबहे का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। निर्माण के दौरान यह पाया गया कि आंट राजबहे की टेल का वह क्षेत्र जो रेलवे लाइन की दक्षिण में पड़ता है, वह बेहटा माइनर से भी सींचा जा सकता है यदि उसकी लम्बाई बढ़ा दी जाय। अतः यह निर्णय लिया गया कि आंट राजबहे को मील २१-६-६१६ से २२-७ तक न बनाया जाय। इसके फलस्वरूप रेपालपुर गांव की ७.७०९ एकड़ अधिकृत भूमि सिंचाई विभाग के लिये फालतू हो गई। इस भूमि को परित्याग करने का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, रामगंगा निर्माण खंड १, कानपुर ने विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, लखनऊ को जुलाई, १९६९ में भेज दिया था। तब से भूमि परित्याग करने के सम्बन्ध में जो जो आवश्यक कार्यवाही होती है, उसको पूरा करने में कुछ समय लग गया है। यदि शासन के अन्य विभागों को इस भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तो भूमि परित्याग करने के आदेश जिला अधिकारी, कानपुर को शीघ्र दे दिये जायेंगे। सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि भूमि परित्याग की कार्यवाही तत्परता से दो माह के अन्दर अवश्य पूरी कर दें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

आप यह देखें कि यह जो भूमि अर्जित की गई थी वह एक राजबहे के लिये की गई थी और जो उत्तर है वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो विभाग हैं उनसे पूछा गया है कि अगर उनको इसकी आवश्यकता न हो तो इसका परित्याग किया जाय। मेरा कहना है कि यह जमीन सिंचाई विभाग ने ली थी। अब अगर उनको इसकी आवश्यकता नहीं है तो जमीन किसानों को वापस हो जाना चाहिये, इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से चाहता हूं कि वह अन्य विभागों से पूछने का विचार त्याग दें और किसानों को जमीन वापस कर दें।

श्री अध्यक्ष---

यह इसमें लिखा है कि सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि भूमि परित्याग की कार्यवाही तत्परता से दो माह के अन्दर अवश्य पूरी कर दें।

श्री भगवती सिंह विशारद---

श्रीमन, इसके ऊपर पढ़िये तो इस भूमि को परित्याग करने का प्रस्ताव भूमि अध्यापित अधिकारी को भेज दिया गया था लेकिन अब अन्य विभागों से उनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में पूछा जा रहा है जिसके कारण विलम्ब हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि चूंकि सिंचाई विभाग ने जमीन ली थी इसलिये और विभागों से इस बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो और विभागों से पूछने का विचार त्याग कर जल्दी से जल्दी भूमि परित्याग कराया जावे।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन, यह भूमि अर्जन जनहित में किया गया था। दूसरे विभाग भी जनहित में ही कार्य करते हैं, तो अगर किसी विभाग को इसकी आवश्यकता होगी तो वह इसके लिये लम्बी प्रोसीडिंग में जाय यह मुनासिब नहीं होगा, इसलिये अन्य विभागों को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा उनसे दो माह में कार्यवाही पूरी करने को कहा गया है।

देवरिया में नवलपुर चौराहे पर बस दुर्घटना में चार व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

माननीय सदस्य श्री हरिवंश सहाय ने दिनांक १५ दिसम्बर, १९७० को विधान सभा के नियम ५१ के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र सचिव विधान सभा को भेजा :

"जिला देवरिया के अन्तर्गत कल दिनांक १४–१२–७० को नवलपुर चौराहे पर दो बसें आपस में टकरा गई जिससे ४ व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई। ३७ सख्त घायल हैं जिसमें संसोपा नेता श्री हरि केवल प्रसाद भी बुरी तरह से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय परिवहन मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से वक्तव्य दिलाने की, स्पष्टीकरण की मांग करता हूं। स्थिति गम्भीर है।"

ह० हरिवंश सहाय,
एम० एल० ए०
१५–१२–७०"

उपर्युक्त दुर्घटना जो १४–१२–७० को हुई के बारे में प्रारम्भिक जांच श्री कैलाश चन्द्र खरे, सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) द्वारा की गई। १४–१२–७० को गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र की आमने सामने से आने वाली दो बसों में टक्कर हो जाने से दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना बस संख्या यू० एस० बी० ५७९३ और यू०एस०बी० ५३६७ के बीच सलीमपुर से ५वें और ६ठे फर्लांग के बीच में नवलपुर चौराहे के पहले प्रातः ८.१५ पर हुई। बस संख्या यू० एस० बी० ५७९३ देवरिया से सलीमपुर होकर लार की ओर जा रही थी और यू० एस० बी० ५३६७ लार से देवरिया की ओर आ रही थी। इन दोनों बसों के लड़ने से जो दुर्घटना हुई उसमें श्री अब्दुल वहीद, चालक बस संख्या यू० एस० बी० ५७९३ की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तथा मुसाफिर श्री हरद्वार तिवारी पुत्र श्री राम नक्षत्र तिवारी, ग्राम कर्चा, थाना लार, जिला देवरिया जो गम्भीर रूप से घायल हुये थे की मृत्यु उसी दिन शाम को जिला अस्पताल देवरिया में हो गई थी। दोनों बसों में कुल मिलाकर ३६ यात्री घायल हुये (मृतक को छोड़कर)। घायलों में यू० एस० बी० ५३६७ का चालक भी शामिल है।

यह कहना सही नहीं होगा कि दुर्घटना में ४ व्यक्तियों की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई, केवल एक बस चालक और एक यात्री की दुर्घटना में मृत्यु हुई है।

दुर्घटना के तुरन्त बाद सलीमपुर से कुछ लोग टैक्सियों पर पहुंच गये और दुर्घटना स्थल पर घायलों की मदद शुरू कर दी। रोडवेज की बस संख्या यू० एस० बी० ४४५५ जो सलीमपुर से मेहरवाना जा रही थी को भी रोक लिया गया तथा उसको खाली करवाया गया और ३२ घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। शेष लोग टैक्सियों से जा चुके थे। लगभग ९.३० बजे प्रातः तक सभी घायल सदर अस्पताल पहुंचा दिये गये। सूचना मिलने पर देवरिया के सीनियर स्टेशन इंचार्ज एक रिलीफ बस लेकर अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसी दिन सहायक प्रधान प्रबन्धक गोरखपुर ने अस्पताल में जाकर घायलों को देखा।

बस संख्या यू० एस० बी० ५७९३ को उसका चालक श्री अब्दुल वहीद चला रहा था, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बस संख्या यू०एस०बी० ५३६७ का चालक श्री अब्दुल गफार था। जांच से यह ज्ञात हुआ कि दुर्घटना के समय श्री अब्दुल गफार बस नहीं चला रहे थे, बल्कि वह गाड़ी में अलग बैठे थे। स्टेरिंग पर लार बस स्टेशन का एक वाटर ब्वाय श्री सिंहासन यादव बैठा था और वह ही अनधिकृत रूप से बस चला रहा था। बस काफी तेज रफ्तार से

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—]

जा रही थी। जब यू० एस० बी० ५७९३ सामने से आती दिखायी दी तो, ऐसा मालूम होता है कि श्री सिंहासन यादव गाड़ी न सम्हाल सके, बस संख्या यू०एस० बी० ५७९३ के चालक श्री अब्दुल वहीद ने दुर्घटना बचाने का प्रयत्न भी किया और अपनी गाड़ी बायीं ओर पटरी पर नीचे उतारी परन्तु फिर भी दुर्घटना न बच सकी। दुर्घटना में यू० एस० बी० ५३६७ बस संख्या, ५७९३ के आगे दायीं तरफ टकरायी। प्रारम्भिक जांच से यही ज्ञात होता है कि यह दुर्घटना इसी कारण हुई कि बस संख्या यू० एस० बी० ५३६७ को श्री अब्दुल गफार, चालक नहीं चला रहा था, बल्कि उसने बस को श्री सिंहासन यादव, वाटर ब्वाय द्वारा चलवाया।

दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में श्री देवल सिंह, राहगीर द्वारा लिखायी गई थी तथा रोडवेज के एक कर्मचारी ने भी पुलिस स्टेशन सलीमपुर में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने श्री सिंहासन यादव तथा श्री अब्दुर गफार को हिरासत में ले लिया। इन दोनों कर्मचारियों को विभाग ने निलम्बित भी कर दिया है। ३६ घायल व्यक्तियों में से १७-१२-७० तक (शाम तक) अस्पताल में केवल १० व्यक्ति बचे थे, शेष डिस्चार्ज किये जा चुके थे। श्री हरि केवल प्रसाद, संसोपा नेता जांच के समय अस्पताल में थे तथा डाक्टरों ने बताया कि उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की आशा है। मृतक मुसाफिर के परिवार को १,००० रु० एक्स-ग्रेशिया मुआवजा देने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को ५०० रु० दिये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं और वर्कमेन कम्पेनशेसन ऐक्ट के अन्तर्गत कम्पनशेसन दिये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७०

शिक्षा मंत्री (श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ११४ की ओर फिर १२० की ओर दिलाना चाहता हूं। नियमावली ११४ में दिया है कि किसी सरकारी विधेयक, उद्देश्य और कारणों के विवरण एवं विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन तथा वित्तीय आभारों से संबंधित ज्ञापनों सहित, यदि कोई हों, और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश सहित, के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेंगे, यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया हो। उस दशा में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाय तो उसके पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अब श्रीमन, यह जो विधेयक है वह यूनिवर्सिटी के आन्तरिक मामलों से सम्बद्ध है कि यूनिवर्सिटी यूनियन का क्या गठन हो और छात्र संघ का क्या गठन हो और इसके लिये मान्यवर एक विधान है कि यू० जी० सी० जो कि केन्द्र की संस्था है और केन्द्र सरकार के अन्तर्गत है तो केन्द्र सरकार, राष्ट्रपति से इस संबंध में पूर्व स्वीकृति का होना इस विधेयक के लिये आवश्यक था। अभी तक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के जरिये इस विधेयक के लिये सम्भवतः नहीं हुई है। इस कारण जब तक कि राष्ट्रपति इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्व अनुमति नहीं देता इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। मान्यवर, नियम ११४ में यह स्पष्ट दिया है। एक तो इसके उद्देश्य, कारण और विवरण को होना चाहिये। फिर वित्तीय आधार से ज्ञापन नहीं हैं।

मान्यवर, इसकी तीन बातें मुख्य हैं। एक तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं है। यू० जी० सी० इसके लिये ग्रान्ट्स देता है और अगर यूनिवर्सिटी के लिये कोई अन्य वस्तु का निर्माण करना होता है तो यू० जी० सी० की कन्करेन्स लेना आवश्यक है। वह एक आटोनोमस बाडी बनी है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। मान्यवर, आप इसके उद्देश्य और कारणों को देखें। विधेयक में लिखा है कि केन्द्र द्वारा नियुक्त कोठारी आयोग ने भी ऐसा मत प्रकट किया है।

इस प्रकार से मान्यवर, पहली चीज तो यही है कि राष्ट्रपति की इसमें पूर्व स्वीकृति नहीं है और कोठारी आयोग केन्द्र का था, राज्य का नहीं था इस लिये आवश्यक है कि राष्ट्रपति की इसमें पूर्व में मंजूरी इस विधेयक के बारे में होनी चाहिये जो कि हमारी सूचना के अनुसार नहीं है। नियम ११४ के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी न होने के कारण इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा, श्रीमान्, न दें। दूसरी बात वित्तीय आधार ज्ञापन इस विधेयक में नहीं है। छात्र कल्याण बोर्डों के निर्माण की बात कही गई है। आप जानते हैं कि गवर्नर ही चान्सलर होता है और कल्याण बोर्डों में कितना खर्च होगा, छात्र कल्याण में यूनिवर्सिटी यूनियनों पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा इसका कोई ज्ञापन इस विधेयक में नहीं है और छात्र कल्याण के लिए कितना खर्च किया जायगा और कितना यूनिवर्सिटी ग्रांट से कमीशन देगा यह भी नहीं है। पहले छात्र कल्याण बोर्ड यूनियन में नहीं था। अब यह एक अच्छी बात है और एक अच्छा कदम है छात्र कल्याण के लिये। लेकिन श्रीमन् स्टूडेन्ट वेलफेयर के लिये कितना रुपया दिया जायगा यूनीवर्सिटी को, इसमें नियम ११४ के अनुसार एक ज्ञापन होना चाहिये कि कितना वित्तीय भार होगा। विधेयक में सूचना नियमानुसार नहीं है।

दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मैं नियम १२० की उपधारा (३) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन् उसमें लिखा हुआ है, "जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश को रूपभेद सहित प्रतिस्थापित करता हो, सदन में पुरःस्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायगा, जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण ऐसे रूपभेद करना आवश्यक हो गया था।" इसका अर्थ यह है कि और जैसा आपने अपनी रूलिंग में बताया कि अध्यादेश और विधेयक में मैटीरियल डिफरेंस है। तो इस नियम (३) के अनुसार एक विवरण आना चाहिये अलग-अलग परिस्थितियों का। ऐसा विवरण इसमें नहीं है। श्रीमन्, जैसा होता है आम तौर से एक लाइन आखिर में लिख दी है। यह आउट आफ आर्डर है और नियम की पूर्ति नहीं करता। श्रीमन्, विधेयक के अन्त में लिखा हुआ है, "उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश १९७० (उ० प्र० अध्यादेश संख्या ९) द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अधिनियमों को संशोधित कर राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों, संघटक, सहयुक्त तथा सम्बन्ध कालेजों के छात्र संघों के संघटन एवम् कृत्यों के सम्बन्ध में परिनियम बनाने का अधिकार दिया गया था। पुर्नविचार के पश्चात् अब यह प्रस्ताव है कि उक्त अध्यादेश को निरस्त करते हुये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाय जिससे कि उनके कार्यकलापों को उचित दिशा की ओर सुनियोजित किया जा सके। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस विधेयक के उपबन्ध अध्यादेश के उपबन्धों से भिन्न हैं।

श्रीमन्, इस तरह से इसमें विवरण नहीं है जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके द्वारा रूप भेद करना आवश्यक हो गया हो। श्रीमन्, इसमें आपकी व्यवस्था इसलिये भी जरूरी है कि भविष्य के लिये कि इसका प्रकार क्या होगा। केवल परिस्थिति को इतना ही दर्शाया गया है कि उनके कार्यकलापों को उचित दिशा की ओर सुनियोजित किया जा सके।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मान्यवर, इसलिये ३ आपत्तियां है—पहली तो राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली गई, दूसरी वित्तीय भार का कोई ज्ञापन नहीं है और रूपभेद करना क्यों आवश्यक हुआ, इसका भी कोई विवरण नहीं है। यह विधेयक इन तीनों चीजों की पूर्ति नहीं करता, इसलिये आप इसके पुरःस्थापित की अनुज्ञा न दें।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बातें उठाई हैं, मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठिये, मैंने शिक्षा मन्त्री को बोलने को कह दिया है।

श्री श्रीपति मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, तीन बातों की ओर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने आपत्ति की है—पहली राष्ट्रपति की इस पर आज्ञा नहीं है, दूसरी वित्तीय भार का ज्ञापन नहीं है और तीसरा रूप भेद के सम्बन्ध में। इनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यूनीवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत संचालित होती हैं और जो परिनियम, स्टेट्यूट्स होते हैं उन्हें पहले सरकार बनाती है और बाद में यह यूनिवर्सिटी को अधिकार होता है कि स्टेट्यूट्स बनायें। इस आर्डीनेंस के द्वारा केवल सरकार ने स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में लिया था किन-किन विषयों पर स्टेट्यूट्स बनावेगी। आर्डीनेंस तो इतना है। अब जो एक परिनियम बनना था उसे विधेयक की शक्ल दी गयी.....

श्री अध्यक्ष—

राष्ट्रपति की अनुमति की जो बात है.....

श्री श्रीपति मिश्र—

कोठारी कमीशन का जिक्र इसमें किया गया है। वह एक मान्य संस्था है। कोठारी कमीशन ने यूनियन और छात्र संघ का क्या रूप हो, किस तरह से चले उस पर एक विचार दिया है। कोठारी कमीशन के इस विचार को हमने ग्रहण किया है। बहुत अच्छे-अच्छे विचार जहां भी मिलते हैं उनको ग्रहण किया जाता है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई निर्देश स्वीकार किया हो। यू० जी० सी० की ग्रान्ट के बारे में कोई बात हो अथवा फाइनेन्शियल मेटर लिया गया हो तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। लिहाजा केन्द्र से अथवा राष्ट्रपति से आज्ञा लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

आप इसका उत्तर दें कि राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है या नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राष्ट्रपति की आज्ञा लेने का आधार तिवारी जी ने यह माना है कि कोठारी कमीशन का नाम इस्तेमाल किया गया है और कोठारी कमीशन केन्द्र का है, इसलिये राष्ट्रपति की आज्ञा की जरूरत है। कोठारी कमीशन ने एक विचार प्रकट किया था उसे ही हमने स्वीकार किया है। इसमें न ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है और न फाइनेन्शियल मेटर्स का सम्बन्ध है। इसलिये राष्ट्रपति की आज्ञा की जरूरत नहीं है। यह भी कहा गया कि पूर्ण रूप से विवरण नहीं दिया गया है तो इसका पूरा विवरण यही है कि छात्रों को ऐसी दिशा में ले जाना जिससे वह अच्छी तरह से पढ़ सकें, अच्छी दिशा में निर्देशित हो सकें और सामूहिक ज्ञान की वृद्धि कर सकें। इससे ज्यादा विवरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह जो शेड्यूल ७, लिस्ट २ है उसमें लिखा है एजूकेशन इन्क्लूडिंग यूनिवर्सिटी यह स्टेट का सब्जेक्ट है। लिहाजा केन्द्र से आज्ञा लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आइटम कौन-कौन हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

तीन यूनिवर्सिटीज का इसमें एक्सेप्शन है उसका यहां कोई प्रश्न पैदा होता नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

कोई भी नई यूनिवर्सिटी अपने प्रदेश में आप स्थापित करेंगे तो उसके लिये क्या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से कानकरेंस नहीं लेनी पड़ेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वह दूसरी चीज है। यह जो विधेयक लाया गया है सदन में उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लेनी पड़ती है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

लेनी पड़ती है लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि शड्यूल ७, लिस्ट दो की चीज स्टेट लेजिस्लेट न कर सकें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन इंकार कर दे तो ?

श्री श्रीपति मिश्र—

हम कोई यूनिवर्सिटी बना नहीं रहे हैं। इन्कार कर दें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें अनुज्ञा के प्रस्ताव के लिये नियम १२३ (२) है उसे मैं पढ़े देता हूं "यदि ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे।" माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया। अब मैं सदन की राय अनुज्ञा के बारे में लिये लेता हूं, लेकिन दो बजे तक, विरोध होने पर इस पर वोट नहीं हो सकेगा। दो बजे वोट लूंगा अगर सर्वसम्मति से अनुज्ञा नहीं मिलती है तो और आगे का प्रोग्राम तब तक ले लूंगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश, विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन अनुज्ञा दे।

(विरोध की अवाजें आने पर)

दो बजे इस पर फिर राय ले लूंगा। आगे का जो अननुमोदन का कार्य है उसे शुरू किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

नियम १२०(३) के अनुसार जो विवरण आना चाहिए था उसके सम्बन्ध में आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

अब आगे का काम होगा। आप यदि अननुमोदन का प्रस्ताव रखना चाहें तो रखें।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के अननुमोदन का प्रस्ताव

*श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अननुमोदन करता है।

अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष जो संकल्प मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह अनेक कारणों से बहुत ही अधिकाधिक महत्वपूर्ण है। श्रीमन्, इसके पहले कि मैं इस विषय में विस्तार से आपके सामने अपनी बातें रखूं, मैं बड़ी नम्रता के साथ इस समस्त सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो आपके सामने है वह इतना ज्यादा दलगत विवादों का नहीं है, इतना अधिक पार्टी-बन्दी का नहीं है, इतना अधिक राजनीति का नहीं है जितना कि जनतंत्र के कुछ आधार भूत सिद्धान्तों से इसका सम्बन्ध है। इसलिये मैं बड़ी नम्रता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो भी माननीय सदस्य अपने विचार जिस प्रकार के रखते हैं उनको बिना हिचक के इस सदन के सामने रखना चाहिए।

श्रीमन्, यह आप जानते हैं कि आज जो सरकार यहां पर बैठी हुई है और हमारे विरोधी पक्ष में जो मित्र बैठे हुये हैं तो श्रीमन् जिस समय यह अध्यादेश बनाया गया था उस समय स्थिति कुछ दूसरी थी। मैं श्रीमन्, का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं ताकि सभी लोग इस बात को समझें कि जिसके ऊपर हम आज विवाद कर रहे हैं उसका वास्तविक विषय क्या है। श्रीमन्, मैं इस संकल्प को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का जो मैंने फैसला किया तो उसके तीन कारण थे। उनको मैं सदन के सामने रखूंगा और यहां पर अपने विचार उसी क्रम में उपस्थित करने की कोशिश करूंगा। श्रीमन्, पहला कारण तो यह है कि यह सदन इस बात को देखे कि क्या वास्तव में जिस समय यह अध्यादेश पास किया गया था उस वक्त कोई ऐसी स्थिति थी कि जिसम इस अध्यादेश को पास करना चाहिए। श्रीमन्, इसमें कोई संदेह नहीं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती कि अध्यादेश जारी करना एक साधारण बात नहीं है अपितु एक असाधारण बात है। "इट इज नाट ए रूल, इट इज एन इक्सेप्शन"। जब यह एक असाधारण बात है तो श्रीमन्, वह असाधारण कार्य क्यों किया जाय और किस तरह से वह किया जाय। श्रीमन्, यह केवल मानी हुई परम्परा ही नहीं, यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि जितने सारे भी कानून हम बनायेंगे वह हमारी जो लेजिस्लेटिव अथोरिटी है, जो यह सदन है उसके माध्यम से बनायेंगे और जो इक्जीक्यूटिव अथारिटी है उसे कानून या नियम बनाने का अधिकार नहीं है। इसके लिये संविधान के अनुच्छेद १२३ के जरिये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अधिशासी वर्ग (इक्जीक्यूटिव अथारिटी) को इस बात की इजाजत दी है कि वह अधिशासन के जरिये से किस प्रकार कानून बनाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली बात तो यह है कि उसमें सदन के समक्ष उसे ले जाने के कोई विशेष समय न हो, कोई आवश्यक प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है, ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने उपस्थित होती है जिसके लिये कानून बनाना परमावश्यक हो और सरकार के पास उतना समय न हो तो फिर उस समय में दो बातें अत्यावश्यक हैं। पहली बात तो यह कि कोई परिस्थिति विशेष अचानक पैदा हो जाय जिसका सरकार को पहले से ज्ञान न हो। और दूसरी बात यह कि जिस अवधि के भीतर उस कानून का बनाया जाना आवश्यक है उस अवधि तक के लिये सरकार को ठहर सकना संभव न हो। इसलिये उस वक्त तक बिना संसद को बताये, उनके अपने जो अधिशासी अधिकार हैं उनका उपयोग करके अनुच्छेद १२३ के तहत वह कानून बना लेगी।

(इस समय १ बजकर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अनुच्छेद १२३ का उपयोग सरकार को किन्हीं विशेष परिस्थिति में ही करना है, साधारणतः उनको नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, बिना उस परिस्थिति के पैदा हुए, यह संभव होते हुए भी सदन के समक्ष उसको पेश किया जा सकता है, और ऐसा न करके अपनी एक्जीक्यूटिव अथारिटी से कानून बना लेने का अर्थ यह होगा कि सरकार अपने कार्य से डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है और साधारण नियमों का पालन नहीं करना चाहती। यह बिल्कुल मानी हुई बात है कि किसी अधिशासी तत्वों द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायी सत्ता के अधिकार का स्थानापन्न समझा जाना चाहिये। यदि विधायी सत्ता की जगह पर अधिशासी सत्ता किसी अधिकार का उपयोग करती है, बिना किसी विशेष कारण के किसी काम को करती है तो इसमें संदेह नहीं कि वह उस समय अपनी डिक्टेटर-शिप की प्रवृत्ति का परिचय दे रही है।

(इस समय १ बजकर ३९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

श्रीमन्, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विवाद हो रहा है लेकिन इस समय सदन में माननीय शिक्षा मंत्री अथवा उनसे संबंधित राज्य मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है। मैं इसे सदन का अपमान समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—

श्री हिम्मत सिंह जी सामने ही बैठे हुए हैं।

श्री कृष्णचन्द्र—

वह तो लेबर एक्साइज के हैं। यह एटीकेट के बाहर की बात है कि शिक्षा मंत्री से संबंधित कोई राज्य मंत्री भी न हों।

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि समय वोटिंग का नहीं है, इसलिये मैंने कहा था कि इस समय आप अननुमोदन का प्रस्ताव लेना चाहें तो ले लें। वह भोजन करने चले गये होंगे। लीजिये श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा भी आ गये। अब आप भाषण जारी रखें।

श्री उदित नारायण—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अध्यादेश जारी करने के संबंध में २–३ मौलिक आधार-भूत सिद्धांत हैं उनको माना जाना चाहिये। पहली बात तो मैंने यह निवेदन की कि अधिशासी सत्ता द्वारा अध्यादेश जारी करने का अर्थ होता है विधायिका सत्ता के स्थान पर अधिशासी सत्ता को स्थापित करना।

[श्री उदित नारायण]

दूसरी बात यह है कि यह एक माना हुआ सिद्धांत है कि जब तक किसी मौलिक और व्यापक हित के लिये बहुत ही शीघ्र बनाने की आवश्यकता न हो तब तक ऐसा काम नहीं करना चाहिये। राज्य का मौलिक और व्यापक हित जो किसी समय के लिये टाला न जा सके तो अध्यादेश जारी करने का एक औचित्य हो सकता है। अध्यादेश जारी करने के लिये ऐसा मौलिक और व्यापक हित राज्य का होना चाहिये जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता हो और विशेष परिस्थिति हो। इसे एक सीमा के अन्दर रखना चाहिये।

श्रीमन्, अब हम अध्यादेश को देखें कि यह ११ जुलाई को पेश किया गया और गवर्नर महोदय के इस पर ११ जुलाई के हस्ताक्षर हैं और सरकार के दिमाग में ११ जुलाई को यह नहीं आया था मेरी समझ में ७-८ जुलाई को गवर्नर साहब के पास हस्ताक्षरों के लिये भेज दिया गया होगा। एक दिन उन्होंने उसे देखा होगा इसके बाद उस पर हस्ताक्षर किये होंगे। उस समय सत्र चल रहा था। जो कार्यक्रम हमें दिया गया था उसके अनुसार १० जुलाई तक वह चलना था। वैसे १२ जुलाई तक चलने की घोषणा थी। जब इसकी घोषणा थी तो वह प्रश्न आपके सामने आ जाता है जिस पर आज एतराज किया जा रहा है। बार-बार यह कहा जाता है कि मैंने एक प्रस्ताव आप के पास भेजा है।

हमारे यहां सत्रावसान का अधिकार और आहूत करने का अधिकार मुख्य मंत्री और गवर्नर महोदय के बीच की चीज नहीं होनी चाहिये। इसमें माननीय अध्यक्ष का स्थान अवश्य होना चाहिये। यदि अध्यक्ष को यह बात मालूम होती कि इनको एक अध्यादेश लाना है तो उनको मजबूर करना चाहिये था और गवर्नर साहब का भी कर्तव्य था कि वह मजबूर करते कि १२ जुलाई से पहले सत्रावसान न किया जा सके। इसके पहले सरकार के दिमाग में यह बात थी कि ऐसा कानून बनाना है और जानबूझकर कर सत्रावसान कर रहे हैं। ३० जून को सत्रावसान किया गया था और पहली जुलाई तक हमारा विधान परिषद् चल रहा था। मैंने अपने को दुरुस्त कर लिया है कि पहली जुलाई तक यह सदन चला है और विधान परिषद् भी चला है।

इस समय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश जो रखा गया है इसको सरकार जानती थी कि सदन का बहुमत इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिये सरकार के दिमाग में यह था कि सत्रावसान करके अध्यादेश द्वारा इसको लाया जाय इसी को तानाशाही प्रवृत्ति कहते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप भी उसमें शामिल थे।

श्री उदित नारायण—

मैं उसमें शामिल नहीं था। मैं इस पर आता हूं कि इसमें कौन-कौन शामिल था। इस अध्यादेश की मुखालिफत करने में कौन-कौन शामिल था। मैं ऐसी स्थिति में था कि इसमें बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि कौन क्या कर रहा था। वे जानते थे कि इस तरह के अध्यादेश को लाना है जिसका समर्थन सदन से नहीं मिलेगा। इसलिये उन्होंने जानबूझकर इसका सत्रावसान करा दिया क्योंकि वे जानते थे कि हम अपने अधिकार से इसको पास कर लेंगे। इसमें जानबूझकर जो हमारी विधायक सत्ता है उसको अलग रखकर कोशिश की गई कि विधायक सत्ता से बचा जाय और अधिशासी सत्ता का उपयोग किया जाय। जब हम विधायक सत्ता की जगह पर अधिशासी सत्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, उसी का नाम तानाशाही है। एक बार वे अपनी मनमानी कर सकें, ऐसा वे चाहते थे और वे यह भी जानते थे कि सदन में उनको समर्थन नहीं मिलेगा। इसीलिये मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से गवर्नर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय

गवर्नर महोदय को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिये था। इसलिये नहीं करना चाहिये था कि इस संविधान का संरक्षण आपके जरिये होता है, लेकिन उससे अधिक जिम्मेदारी राज्यपाल के ऊपर है। मैं नहीं समझता कि उनमें समझ नहीं है, वे समझ सकते थे कि क्या मानी है कि कल सत्रावसान कराया गया और आज अध्यादेश पास कराया जा रहा है, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। इसलिये मैं हमेशा कहता हूं कि सत्रावसान अध्यक्ष के माध्यम से होना चाहिये।

एक बात यह भी है कि जब हम अपने संविधान की व्याख्या करते हैं तो कभी-कभी यह खयाल करते हैं कि राज्यपाल के लिये यह लाजिमी है, यह आवश्यक है, यह अनिवार्य है कि उसके कौंसिल आफ मिनिस्टर्स जो राय दें उसको वह मान ले। लेकिन अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं है। इसलिये जैसा कि मैंने कहा था और इसके पहले भी मैंने कहा है कि कभी भी हमें यह नहीं समझना चाहिये कि गवर्नर को सदन के सत्रावसान और आहूत करने का अधिकार है। श्रीमन्, एक्जीक्युटिव अधिकार जो हैं वह लाजिमी है कि गवर्नर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय को माने, लेकिन लेजिस्लेशन सम्बन्धी अधिकार के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय को जरूर मान ले। अधिशासी सत्ता की तरह से काम करे तब तो उसके लिये लाजिमी है कि वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय के मुताबिक काम करें, लेकिन जब वह लेजिस्लेटिव साइड के लिये काम करें तो उनको चाहिये कि वे थोड़ा अपनी आंखें खोल कर, अपना दिमाग खोल कर काम करें। हर बात में उनको कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की तरफ नहीं देखना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आपसे बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि गवर्नर महोदय ने इसको देखा होता, इसको समझा होता तो उनको यह बात पसन्द आती कि कल तक तो हाउस चल रहा था उस वक्त तो इस अध्यादेश को सदन में लाना पसन्द नहीं किया और यह कह कर कि हमारे पास कोई काम नहीं है सदन का सत्रावसान करा दिया, क्या इस तरह से सदन को धोखा दिया जा सकता है? उस वक्त तो कहा कि कोई सरकारी काम ही नहीं है। यही चीज कई मर्तबा हो चुकी है। गुप्ता जी की सरकार थी तब भी उन्होंने ऐसा कहा था और जब श्री चरण सिंह की सरकार आयी तो उन्होंने भी यही कहा था। इस तरह से ये लोग इस प्रान्त में आर्डिनेंस के जरिये राज्य चलाना चाहते थे और इसीलिये उन्होंने आर्डिनेंसेज जारी किये थे।

श्रीमन्, सबसे अफसोस की बात तो यह है कि इधर बैठ कर हम लोग जो कहते हैं, उधर चले जाने पर उसी बात को बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं और निःशंक होकर करते हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य को इस बात के लिये बुरा नहीं लगना चाहिये क्योंकि उनके लिये मैं कुछ नहीं कहता। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता बहस के लिये तो सब बातें कही जाती हैं लेकिन मुझे कोई इस मामले में छू भी सके, इसकी कोई गुंजायश नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमें वास्तव में, जनतंत्र को चलाना है और हम ईमानदारी के साथ जनतंत्र के हामी हैं तो हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सदन के सामने मैं इस प्रश्न को इसलिये पेश करना चाहता हूं कि मेरा विश्वास है कि यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति से काम किया गया, यदि अधिशासी प्रवृत्ति से काम किया गया तो हमारा जनतंत्र खतरे में रहेगा। इसलिये मैं श्रीमन् से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह अध्यादेश जारी किया गया था उस समय जरूरत इस बात की थी, लेकिन फिर क्या कारण है कि इसके अननुमोदन की जरूरत समझी गयी। इसका बड़ा भारी कारण यह है कि हर सरकार अपना यह अधिकार समझती है कि वह इस सदन के अधिकारों का हनन करे। दूसरे के अधिकार को लेने का अधिकार यह सदन किसी को नहीं देना चाहता है। संड जी यह न समझें कि उनसे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध है। लेकिन आज यहां विधायक सत्ता के अधिकार का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि यदि यह देखने में आ जाय और इसमें कोई संदेह न रह जाय कि उनके पास समय था इस सदन के समक्ष लाने का और इसके बावजूद यहां पर नहीं लाये और उन्होंने उन अधिकारों को लेने की कोशिश की तो यह

[श्री उदित नारायण]

सीधे-सीधे अपनी तानाशाही का परिचय दिया है। मैंने पहला निवेदन यह किया कि जान-बूझकर इस सदन के अधिकारों से इस सदन को वंचित करना चाहते थे इस अध्यादेश को पास करके, इसलिये इस सदन को बहुत जागरूक होकर इस अध्यादेश को डिस्एप्रूव कर देना चाहिये।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं, कि सब जानते हैं कि बहस तो सब तरह की होगी, बड़ी लम्बी बहस इस तरफ से भी होगी, लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम इस बात को देख ही नहीं पाते या कभी कोई यह कह दे कि यह ठीक कर रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में रहते हुए यह तो हम जानते ही हैं कि कैसी भी बात कहें जवाब जरूर मिलेगा। इस सदन में कितने ही लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने दोस्तों को ज्यादा परेशानी में न डालने के इरादे से और इस सदन का समय बिला वजह खराब न करने की वजह से इस अध्यादेश के बारे में जो विभिन्न नेताओं के वक्तव्य हुये हैं उन सब को लेकर नहीं आया हूं वरना अगर उनको लाकर मैं पढ़ना शुरू करता तो ४ बजे तक का समय कम होता। जनसंघ इसका कट्टर विरोधी था.....

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप)—

जनसंघ अपना पक्ष स्वयं रख देगा। आप जनसंघ की फिक्र न करें।

श्री उदित नारायण—

मुझे आलोचना करने का तो अधिकार है। तो इस अध्यादेश की जितने कटु शब्दों में एस० एस० पी० ने, जनसंघ ने, कांग्रेस (ओ) ने आलोचना की है....

एक सदस्य—

नई कांग्रेस ने भी आलोचना की है।

(व्यवधान)

श्री उदित नारायण—

मेरे माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस (आर) यद्यपि उनके साथ थी फिर भी.....

एक सदस्य—

आपने ठीक सुना नहीं। मैंने यह कहा था.....

श्री उदित नारायण—

मैंने सुना हो या न सुना हो, अध्यक्ष महोदय ने जरूर सुना होगा।

(व्यवधान)

थोड़ा सा सब्र किया होता तो शायद मैं खुद ही उन बातों को कहता।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस समय जो दल उनके साथ थे उनके क्या विचार थे वही मैं निवेदन करने जा रहा था। आज यह दूसरा दुर्भाग्य है कि जो हमारे यहां पावर पालिटिक्स चल रही है उसकी वजह से कभी-कभी ऐसे लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ता है जो कभी भी नहीं होना चाहिये और जिनको नहीं होना चाहिये। तो मैं आज क्या कहूं? मैं तो यह नहीं कहता कि जो आज डी० के० डी० के साथ हो गये हैं उन्होंने इसकी भूरि-भूरि आलोचना की थी। यह बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिये। अगर आज ये उनके साथ हो गये हैं तो इधर वाले भी पहले उनके साथ थे। पहले ये साथ में थे तो बाद को आप हो गये। इसलिये मैं निवेदन

करना चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके एस० एस० पी० के लोग खिलाफ थे। आज वे लोग उधर चले गये हैं। जनसंघ वाले भी विरोध में थे तो आज वे भी उधर चले गये हैं। उस समय में परिस्थितिवश यह था.....

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

एस० एस० पी० के लोग आज भी उसका विरोध करने वाले हैं और करेंगे।

श्री उदित नारायण—

यह बात सही है कि नगीनासिंह जी का ग्रुप ऐसा है जो आज भी उसका विरोध करते हैं लेकिन जितने और एस० एस० पी० के लोग हैं, वह उधर हैं। आज वह क्या कहते हैं? मैं नहीं समझता कि इसके विरोध में वह कुछ भी कहेंगे। मुझे अपने एस० एस० पी० के मित्रों पर पूरा भरोसा है कि यह अध्यादेश चाहे जैसा भी हो इसका वह समर्थन नहीं करेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में, उस समय स्थिति ऐसी थी कि जिसके कारण उस अध्यादेश का सहारा लिया गया। विधान मंडल के चलते हुये उसको नहीं लाया गया। वह यह जानते थे कि जितने विरोधी पक्ष के थे वह सब इस अध्यादेश के खिलाफ थे ही जिसकी अभिव्यक्ति हो चुकी है। वह यह भी जानते थे कि उनके पक्ष में जो लोग बैठते हैं उनमें भी ऐसे हैं जो यदि इस अध्यादेश में लिखे हुये कानून को विधान सभा के सामने लायेंगे तो वह पास नहीं होगा। इसलिये उन्होंने अधिशासी सत्ता का सहारा लिया और इसको अध्यादेश के रूप में यहां रखा। मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि जहां तक बी० के० डी० का सम्बन्ध है और जहां तक चरणसिंह जी का संबंध है वह इस अध्यादेश और इसमें जो बातें लिखी हैं उनको ईमानदारी से समझते थे कि ये आवश्यक और जरूरी हैं। उन्होंने उसको पेश किया। मैं इसके बारे में बाद को आऊंगा कि कहां तक ये बातें सही हैं और कहां तक गलत हैं।

इस अध्यादेश में वास्तव में, गुण दोष के आधार पर कोई इसका औचित्य था या नहीं इस विषय में यह निवेदन करूंगा कि चूंकि इस सदन की राय इस अध्यादेश में दिये गये कानून के बारे में नहीं थी इसलिये उस वक्त उस अध्यादेश को पेश नहीं किया गया। वह यह जानते थे कि यह सदन में अगर आयेगा तो उसका अननुमोदन होना आवश्यक है। मैं ईमानदारी से इस बात को समझता हूं कि जो छात्र संघ है उनमें ऐच्छिक सदस्यता न होकर अनिवार्यतः सदस्यता होनी चाहिये लेकिन वह यह मानते थे कि यह बात गलत है सही नहीं है। और उनको अपना मत इस प्रकार व्यक्त करना चाहिये। अभी कल या परसों श्री मैनेजर सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि यदि इसकी एक रिसर्च हो जाय कि इस तरफ के बैठने वालों ने क्या कहा और उधर के बैठने वालों ने क्या कहा और उस पर कोई पुस्तक लिखी जाय जिसमें कि यह सारी बातें आ जायं तो वह एक जनतन्त्र और जनतांत्रिक परम्पराओं के विषय में एक बड़ी अच्छी पुस्तक होगी। मैं निवेदन कर रहा था कि इस वास्ते भी जहां तक इस अध्यादेश का सम्बन्ध है हमें उसका अनुमोदन नहीं करना चाहिये। अगर ऐसा न होता तो दोनों बातों में चाहे जितना तथ्य होता.....

श्री अध्यक्ष—

आप तीसरी बात बताकर तब कहिये।

श्री उदित नारायण—

वह तो मैंने कही, तीसरी बात गुण दोष के आधार पर एक-एक कर के मैं पहले कह चुका हूं इसलिये मैंने कहा कि तीसरी बात निवेदन करूंगा। मैं यह कह रहा था कि हमारे यहां कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं और आज आप जानते हैं कि आज हमारा देश विचारों के मन्थन गुजर रहा है, यह एक संक्रमण काल है, पुरानी आस्थाओं की दीवारें धीरे-धीरे ढह रही हैं,

[श्री उदित नारायण]

और उनकी जगह नई मान्यतायें पैदा हो रही हैं, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो हमारे यहां का जो सड़ा-गला श्रेणीबद्ध जो समाज था उसकी जो संकीर्ण नैतिकतायें थीं उनको वह छाती से चिपकायें बैठा है, उनको वह छोड़ना नहीं चाहता है, वह ईमानदारी से समझते हैं कि यह गलत है, वह भयभीत हैं और जानते हैं कि जब यह दीवारें टूटेंगी तो उनको स्थान ढूंढ़ना मुश्किल हो जायगा, ऐसी स्थिति आयेगी। वह चाहते हैं कि उनके आसपास ४ आदमी बैठकर हर वक्त चाटुकारिता करते रहें, जो हर वक्त उनकी हां में हां कहते रहें, वह नहीं कहें तो वह नहीं कहें। जो उनके सामने उगालदान लिये तैयार रहें। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो नया समाज बन रहा है जो नई पीढ़ी आ रही है उसके सामने ऐसे राजनीतिज्ञों को बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये जो पुरानी नैतिकतायें और संकीर्णतायें हैं उनके आधार पर वह समझते हैं कि हमारा काम बड़ा नैतिक हो रहा है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन इस अध्यादेश के बारे में कुछ बातें कही थीं जब सप्लीमेंटरी बजट पर कटौती के प्रस्ताव के द्वारा यही विषय आया था। मैं मानता हूं कि उनकी ऐसी ही भावना होगी और सही होगी लेकिन मैं बड़ा नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया इसकी गुंजायश भी रखिये कि दूसरे लोग जो बातें कहते हैं उनकी भी ईमानदारी से उन्हीं बातों में आस्था है। उन्होंने कहा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो पसन्द करेंगे कि हमारे छात्र संघों में उनके लड़के काम करें और बरबाद हों। हममें से कोई भी ऐसा न होगा, हम में सब के बच्चे हैं, नहीं भी हैं तो पड़ोसी के बच्चे हैं वह भी हमारे ही हैं, कुटिम्बियों के हैं। सब चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली नई पीढ़ी बहुत ही अच्छी स्वस्थ, बुद्धिमान हो इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उन्हें इस बात को भी समझना चाहिये कि देश दुनिया के बाहर नहीं हो सकता और हमारे जो छात्र हैं वह समाज के बाहर कहीं अलग जाकर खड़े नहीं हो सकते। मैं जानना चाहता हूं कि छात्रों में जो आपको कहीं-कहीं अनुशासहीनता दिखाई देती है क्या वह आज केवल इसी देश में या प्रदेश में है? मैं कोई अनुशासनहीनता का हामी नहीं हूं लेकिन मैं इसके लिये भी तैयार नहीं हूं कि अगर बच्चे अनुशासनहीन हैं तो उनको काट कर फेंक दिया जाय। (व्यवधान)

सबसे पहली तो अनुशासनहीनता यही है कि इस सदन में ही हमारे साथी बैठकर बोल रहे हैं, तो हम विद्यार्थियों के लिये क्या कह सकते हैं। हम किस-किस को रोयें। जब सदन के सम्मानित सदस्य ही अनुशासित नहीं रह पाते तो हम अपने विद्यार्थियों को क्यों दोष दें। इसलिये मैं श्रीमन्, आपसे यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे युग में जहां बड़े बड़ों में अनुशासनहीनता है वहां पर इस प्रकार के अध्यादेश लाकर कैसे उनके जीवन को, समाज को और आदर्शों का विकास हो सकता है। श्रीमन्, आप सारी दुनिया के इतिहास को देख ल.....

श्री अध्यक्ष—

आपको इस सम्बन्ध में बोलते हुए ३५ मिनट हो गये हैं, अब १० मिनट और ले लें।

कई सदस्य—

श्रीमन्, हमें भी बोलना है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में ही बोलने लगें, यह भी तो अनुशासनहीनता है।

श्री उदित नारायण--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो नियम हैं, उनके अनुसार आप प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते।

श्री अध्यक्ष--

नियम यह है। "अध्यक्ष यदि यह ठीक समझें तो भाषणों का समय निर्धारित कर सकते हैं।"

श्री उदित नारायण--

श्रीमन्, मेरे बोलने के बाद में.....

श्री अध्यक्ष--

वे भी कहेंगे कि जब आपने उनको बोलने के लिए ४५ मिनट दिए तो हमको भी दें।

श्री उदितनारायण--

श्रीमन्, अब मैं इसका जो अहम पहलू है उसे पेश करना चाहता हूं। हमारे यहां जितने विद्वानों ने इस बात पर विचार किया है वे सब इस मत के हुए हैं। पहला तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान के बाहर संसार के हर देश के इतिहास को ले लें उसमें यही मिलेगा कि आज का विद्यार्थी, आज का नौजवान, इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जैसी व्यवस्था आप बना देंगे, वैसी ही लेकर वह रहेगा। आज वह अपनी आंखों से देखता है कि जो व्यवस्था चल रही है वह मानवों के विपरीत है। आज सब जगहों पर चाहे वह हंग्री, हो, चाहे स्वेडन हो, चाहे इन्डोनेशिया हो और चाहे वह मोरक्को हो, सब जगहों में आजादी देने वाले छात्र ही हैं। जितनी भी आजादी की लड़ाइयां लड़ी गयी हैं, चाहे इस देश में हों चाहे बाहर हों, उन सब में विद्यार्थियों की ही रहनुमाई रही है और अगर आप यह समझते हैं कि वह ठीक है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको छात्रों को अनुशासित रखना पड़ेगा।

मान लीजिए कि अगर छात्र संघ न भी बने तो क्या अनुशानहीनता समाप्त हो जायगी? छोड़िये एच्छिक सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता छोड़िये, और मान लीजिये कि किसी प्रकार का छात्र संघ न बने तो उस वक्त अगर अनुशासनहीनता होती है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर छात्र संघ न होंगे तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि छात्र संघ ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है, यदि कोई हो सकता है तो, जो छात्रों को अनुशासित रख सकता है। उनका सही तरह से संचालन होना चाहिए। सही तरह से मार्ग दर्शन होना चाहिये, उनको प्रोत्साहन होना चाहिए। विद्यार्थियों की समझ में ऐसा नहीं आना चाहिए कि उनको जान-बूझकर कुंठित किया जा रहा है। जानबूझकर ये लोग जो खुद दकियानूसी हैं वे इनको प्रगतिशील होने से रोकना चाहते हैं। उनको यह नहीं समझ में आना चाहिये कि जो यथास्थित है उन सबका इसमें स्वार्थ निहित है। जो कहते हैं कि आज का जो विद्यार्थी है, जो आज की स्थिति है उसको वैसे नहीं रहने देना चाहिये तो मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। यह धारणा गलत बन गई है कि आज खराबी कहां नहीं है।

श्रीमन्, आज तो यह कहा जाने लगा कि जुडिशियरी में भी करप्शन है, पुलिस में करप्शन कहा ही जाता था। हर व्यक्ति इस बात को तस्लीम करता है कि कोई ऐसा अंग और क्षेत्र नहीं रहा है जहां भ्रष्टाचार व्याप्त न हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम जुडिशियरी और पुलिस को खत्म करने जा रहे हैं तो अगर छात्रों की तरफ से थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता होती है तो हम यह देखने की कोशिश करें कि हमारी खुद की कितनी जिम्मेदारी है। हमारे यहां श्रीमन्, गजेन्द्र गडकर जी हैं जो हमारे यहां के सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, उन्होंने कहा है--

"Partly it is the result of dissatisfaction with the existing social order and it amounts to no more than negative, blind protest against establishment."

[श्री उदित नारायण]

तो श्रीमन्, जो इसके कारण हैं, अनुशासनहीनता के कारण हैं, यदि आप उनको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, और और चीजों द्वारा हटाने की कोशिश करेंगे, डंडा मारकर रोकना चाहेंगे तो आप कभी भी उनको अनुशासित नहीं कर सकेंगे ।

आवश्यकता इस बात की है कि आज का समाज जो प्रगति को देखना चाहता है उसको इस बात का मौका मिले, उसको इस बात के साधन मिलें कि उसकी जो इच्छायें हों वे पूरी हों । वह जिस तरह का समाज देखना चाहता है अगर समाज उसको उस दिशा में ले जाने की सहूलियत नहीं देता है, तो उसको उससे व्याघात पहुंचता है और उससे फ़्रस्ट्रेशन होता है । आजकल नौजवान लड़के जो फर्स्ट डिवीज़नर्स हैं, ८० प्रतिशत लड़के बाहर निकल जाते हैं । आपको ताज्जुब होगा बंगाल के लिये कहा जाता है कि वहां पर जितने विद्यार्थी नक्सलाइट हुये हैं उनमें ६० परसेन्ट से ज्यादा ऐसे हैं जो टापर्स हैं, फर्स्ट डिवीजनर्स हैं, जिन्होंने साठ और सत्तर परसेन्ट से ज्यादा मार्क्स पाये हैं । जिस समाज को उनको देखना पड़ा, जिस गरीबी का अनुभव उनको करना पड़ा, जिस मजबूरी और लाचारी का उनको सामना करना पड़ा उसने उन्हें एक दूसरी दिशा में भेज दिया, इसलिये कि उन्होंने इन विद्यार्थियों के लिये जो यह साधारणें सा मार्ग है उसको रोककर, जो हम गलत तरीका समझते हैं, और जिनको हम ज्यादा क्रान्तिकारी तरीका समझते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं ।

जब यहां का मंत्रिमंडल बन रहा था उस समय प्रश्न यह था कि भारतीय क्रान्ति दल गुप्ता जी के साथ जाय । यहां पर माननीया सुचेता कृपालानी आई हुई थीं । हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह कभी कभी अच्छी बात कह दिया करते हैं । उन्होंने यह कहा था कि यहां पर कम्युनिज्म पलटेगा तो वह एस० के० पाटिल और अतुल्य घोष की वजह से और उसके रोकने का एक ही तरीका है और वह यह कि जो दूसरे लोग हैं जो इन्दिरा गान्धी की कांग्रेस बन रही है, प्रगतिशील कांग्रेस के लोग हैं उनकी मदद कीजिये ताकि उनके तरफ लोगों की आंखें न जाय, उनकी तरफ रजू न हों । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का मामला बड़ा विस्फोटक है । हमको उनकी मांगों के प्रति ईमानदारी के साथ विचार करना चाहिये । अगर हम उनकी सही मांगों पर विचार नहीं करेंगे, उनकी जो रुचि है उस दिशा में जाने के लिये उनका मार्ग अवरुद्ध करेंगे तो उससे न समाज का भला होगा, न विद्यार्थियों का भला होगा, न ही प्रदेश और देश का भला होगा ।

(व्यवधान)

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने अननुमोदन के प्रस्ताव पर काफी बहस की । मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया १५ मिनट में समाप्त करें । १५ मिनट से ज्यादा समय किसी को नहीं मिलेगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, हर सरकार को यह अधिकार रहता है कि यदि किसी वक्त इमरजेन्सी नजर आये तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश जारी कर सके । उसके बाद उसे असेम्बली में रखा जाता है । मैं माननीय शर्मा जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिन हालातों की तरफ उन्होंने रोशनी डाली है उन पर वे फिर से विचार करें । उन्होंने सही बातों को नजरन्दाज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर दिया है। माननीय शर्मा जी ने उन बातों को नजरन्दाज कर दिया कि पिछले ८ वर्षों में, जब से यह यूनियनें बनी हैं, तब से प्रदेश के अन्दर क्या हालात पैदा हुये हैं, बच्चों की तालीम को कितना नुकसान पहुंचा है, फेल होने वालों की तादाद कितनी बढ़ी है, (व्यवधान) किस तरह का तजुर्बा बच्चों के वालदन और सरकार को हुआ है। बच्चों के वाल्दैनों को अपना पेट काट कर, अपने जरूरी अखराजात को कम करके, बच्चों की पढ़ाई के लिये रुपया इकट्ठा करना पड़ा है। आज उनको जो तजुर्बा होरहा है उस पर भी विचार करना होगा। आज पढ़ कर बजाये इसके कि बच्चे किसी डिसिप्लिन में बनते, उनमें अनुशासनहीनता बढ़ी है। (व्यवधान) ८ सालों का तजुर्बा बताता है कि किस तरह से उनमें करप्शन बढ़ा है। आज महज बहस के लिये शर्मा जी कुछ भी कह लें, मगर वे भी जानते हैं कि फैक्टस क्या हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अध्यादेश जारी होने के बाद की स्थिति को वे तजुर्बा की कसौटी पर कस कर देखें। उनके भी बच्चे हैं। वे पिछले तजुर्बे की कसौटी पर कस कर विचार करें। जब बच्चे जेल जाते हैं, कभी-कभी गोली के शिकार होते हैं, तो उनको भी तकलीफ होती होगी। उनको भी उतनी तकलीफ होती होगी जितनी इस प्रदेश के एक आर्डिनरी आदमी के बच्चे को होती है और उसके वालदैन को होती है। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

इस समय सारे प्रदेश में विद्यार्थियों में लालेसनेस की स्थिति वर्तमान है। प्रदेश का कोई भी डिग्री कालेज, कोई भी यूनिवर्सिटी और यहां तक कोई भी इंटर कालेज नहीं बचा जो कि एजीटेशन की आग की लपट में न आ गया हो। यह तो यहां की गवर्नमेंट को बहुत पहले सोचना चाहिय था। यदि यह गवर्नमेंट ४–५ साल पहले सोचती तो हमारे धन की वह बर्बादी न हुई होती और न हमारे बच्चों की इतनी पढ़ाई की हानि हुई होती और न उनमें इतनी इनडिसिप्लिन आई होती, जो पिछले ४–५ वर्षों से धीरे-धीरे आ गई है। उस गवर्नमेंट के जो भी घटक थे, चाहे वे इन्दिरा कांग्रेस के लोग हों, या बी० के० डी० के यदि उनके द्वारा कोई अच्छा काम हुआ है, यदि उनकी गवर्नमेंट के दौरान कोई अच्छा काम हुआ है, तो यही एक कानून था जो पास किया गया। जिसके कारण प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिली है।

जहां तक इसके संवैधानिक पहलू का सवाल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं इंडियन कांस्टीट्यूशन के अन्दर कौन सी ऐसी धारा है, जिसमें यह लिखा है कि आप हिन्दुस्तान के किसी वाशिन्दा को, किसी सिटीजन को आप उसकी डिसिप्लिन मानने के लिये बाध्य कर सकते हैं। यह कहां लिखा है कि कम्पलसरी यूनियन में हर एक बच्चा २ रुपया देगा और उसका नाजायज इस्तेमाल होगा। यह कहीं नहीं लिखा है कि वालेन्ट्री सदस्यता के बजाय, उनपर जबरदस्ती पाबन्दी लगा दी जाय कि जिस तरह से वह चाहेंगे करेंगे आपको उसका सदस्य बने रहना पड़ेगा। मान्यवर, क्या आप इस बात से आंख मूंद सकते हैं कि इन यूनियनों के अन्दर वही लोग दादागीरी करते हैं, इसके लीडर्स बने हुए हैं, जो ६–६, ७–७ साल तक फेल होत रहे और सप्लीमेन्टरी में भी पास नहीं हो सके। इन लोगों ने अपने वालदन को नुकसान पहुंचाया है और पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है।

मैं अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी चीज का केवल फार दी सेक आफ अपोजीशन, अपोजीशन नहीं करना चाहिये। नारेबाजी मैं भी जानता हूं और वे भी जानते हैं। लेकिन जिस वक्त वह शान्ति से बठकर इस आर्डीनेन्स के बारे में सोचते होंगें, अवश्य दुआ देते होंगे उस सख्श को और उस गवर्नमेंट को जिसने ऐसा अच्छा आर्डिनेन्स पास किया है, निकाला है। क्योंकि इसका फौरी आधार पर बहुत अच्छा असर प्रदेश की जनता पर पड़ा है। इन बातों को कहते हुए अब मैं समाप्त करूंगा क्योंकि एक नौजवान साथी हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो इसकी टेक्निकलटी और प्रेक्टिकल पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं माननीय उदितनारायण शर्मा जी से कि वह सरकारी पालिसी की आलोचना करें, उसको अपोज करें, लेकिन एक ऐसा कानून जिसकी वजह से उनके बच्चों का, दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के बच्चों का और हमारे बच्चों का सम्बन्ध है, प्रदेश की मशीनरी का और शिक्षा संस्थाओं के प्रोफेसरों

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

और लेक्चरार्स का संबंध है, जिन्हें बड़ा सुख और संतोष इससे पहुंचा है, उसका वह विरोध न करें। अब भी जो आगे बोलने वाले हैं जो इसको सही समझते हैं उनको इसको अपोज नहीं करना चाहिए, भले ही वह इधर के पक्ष में बैठे हों। यह प्रेक्टिकल अनुभव की बात है, इसलिए मैं आपके द्वारा कहता हूं कि इसका डिस्एप्रूवल गलत है, इसका एप्रूवल होना चाहिये।

*श्री गनेशदत्त बाजपेई (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि मैं भी इस अध्यादेश की अन्त्येष्ठि क्रिया पर कुछ बोल सकूं। मुझे इस सिलसिले में जो मेरे विद्वान मित्र उदितनारायण जी ने कहा है उस पर अधिक बोलना नहीं है। यह बात सही है कि आर्डिनेंस मेकिंग पावर का अब्यूज किया गया। कोई भी जरूरत नहीं थी। हमारा सदन एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता था, पिछले सत्र में, हम यहीं बहस कर लेते। जब हमारी पार्टी मीटिंग हुई हम तब भी उस सरकार में बाई चांस थे। उस वक्त तमाम कारणों में, यह भी एक बड़ा कारण था, इस अध्यादेश को हम हरगिज पसन्द नहीं करते थे। हमारे मासूम मंत्रियों से अगर आपने कंसेंट एग्जैक्ट कर ली या किसी तरह से कनाई-बेंस से कर लिया....

श्री अध्यक्ष---

नारायणदत्त जी की गैरहाजिरी में आप ऐसा कह रहे हैं।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी---

उसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग उस चीज के लिये राजी थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ग्लैडस्टन के बारे में यह कहा गया है कि ही वाज ए जेंटिलमैन इन हरी। माननीय चरणसिंह जी लाइक ग्लैडस्टन बिहेब्ड लाइक ए जेंटिलमैन इन हरी। इस जल्दी में कि कुछ प्रशासनिक चमत्कार पेश करें, उन्होंने हम लोग को इसमें सहयोग करने का मौका ही नहीं दिया। उस वक्त पूरी गुंजाइश थी कि इस सदन को आगे दो चार दिन और बढ़ा लेते और हम सब की राय ले लेते। जो हुआ वह हुआ। अगर आप कम्पलसरी मेम्बरशिप न करें, आप इसको आप्शनल कर देते हैं तो कौन सी बुराई है? विद्यार्थियों में जो इस वक्त हालत है, उसमें जो उनके पास रुपया या, कोष होता है उसको क्षीण कर देते हैं। लेकिन यह रेमेडियल मेजर के सामने रखते नहीं हुआ। अगर हम लोगों को सलाह देने का मौका होता तो हम अपने सुझाव और यह नौबत न आती। अगर कोआर्डिनेशन कमेटी ही होती, कोई ऐसा माध्यम होता जिससे चरणसिंह जी पार्टी के विचारों को पूर्ण रूप से चरणसिंह जी तक पहुंचाया जा सकता तो आज की परिस्थिति जो हम दोनों के लिए दुखद है न आती।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक स्पष्टीकरण चाहिये। स्पष्टीकरण तो आप करने देंगे।

श्री अध्यक्ष---

दो सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते। उन्होंने आर्डिनेंस को क्यों एप्रूव किया कैबिनेट में?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उन्होंने कहा मासूम जो हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी--

ही इज इन लव विद हिज ओन वायस। किसी दूसरे की सुनते बहुत कम हैं। एक ही बात कहना चाहता हूं। संसार में स्टैलिन ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने डिसिप्लिन को कट्टरता से बरतने के लिये अपने देश में कितने ही आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन स्टैलिन कहा करता था कि मैं समाज के एक ही वर्ग से हार गया, अडोलेसेंट, किशोरावस्था के उच्छृंखल नौजवान। यह समस्या ऐसी नहीं है कि केवल आप यूनियन की मेम्बरशिप कम्पलसरी के बजय आप्शनल कर देवें तो वह समस्या हल हो जायें। हम यह चाहते हैं और आप भी यह चाहते हैं कि मजदूरों में जो यूनियने बनें उनकी अप्रोच कान्सट्रक्टिव और कोआपरेटिव हो। किसानों में जो नेक्सलाइटिश्म हो रहा है उनकी अप्रोच भी कांस्ट्रक्टिव और कोआपरेटिव हो और सरकार भी वायलेन्स में न जावें। तो कोई नहीं चाहता है कि विद्यार्थियों के सिलसिले में, किसानों के सिलसिले में या लेबर के सिलसिले में वायलेन्स हो। हम इसको इन्करेज नहीं करते हैं। उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति को हम शय नहीं देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वह इम्तहान छोड़कर चले जाय या चाकू लेकर प्रोफेसरों को परेशान करें, रोज-रोज हड़ताल हों या डिमान्सट्रेशन हों। खास कर चौधरी चरण सिंह जो ७० वर्ष के हैं, हम लोगों के परम आदरणीय हैं, वह भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं और हमारे लड़के भी चाहते हैं, वह भी प्रोफेसर हो सकते हैं, कि वायलेन्स न हो।

कोई वायलेन्स नहीं चाहता है सिर्फ दृष्टिकोण में फर्क है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पुलिस ऐक्शन को महत्व देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूलभूत कारणों में जाते हैं। जैसे कि नेक्सलाइट्स को उनके वायलेन्स के लिये दण्डित करने की बात सोचते हैं परन्तु जो सामाजिक असमानतायें हैं उनको भी मिटाना चाहते हैं। मैं कानपुर के कतिपय स्कूल और कालेजों के विषय में जानता हूं। इससे बढ़कर उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार नहीं है। कानपुर में एक साहब ने २५, ३० स्कूल खोल रक्खे हैं। उनके इशारे पर एक एक टीचर नाचता है और जिसको चाहो मुखालिफत करता है। जितनी उसकी तनख्वाह है वह भी नहीं पाता है और जिस लड़के को फर्स्ट क्लास दिलाना हो मिल जाता है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे इस प्रकार के कालेजेज चल रहे हैं। पढ़ने के बाद इन लोगों का भविष्य समझ में नहीं आता है और बेकारी का सामना करना पड़ता है। जो मूलभूत कारण हैं उनकी तरफ दृष्टिपात न करके केवल आप जल्द बाजी में कोई आर्डीनेन्स ले आयें तो संस्कृत में कहा गया है:

सहसा विदधीत न क्रिया,
अविवेकः परमासदायापदं।

ऐसा न होता तो यह नहीं आता। इसलिये मैं कहता हूं कि इसको बड़े प्रेम से सोचने के बाद हर एक वर्ग इस आर्डीनेन्स की अन्त्येष्टि में उत्साहपूर्वक भाग ले ताकि साफ हो जाय कि हम पुलिस ऐक्शन को मान्यता नहीं देते हैं। विद्यार्थियों का जो आन्दोलन है वह भी इसी का रिफलेक्शन है। हम रोग को समझते हैं और उसका निदान भी समझते हैं। मुझे इस सिलसिले में फिर बोलना है इसलिये जितना भी कम मैं बोलूं अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मुनि वह है जो कि ३० मिनट की बात ५ मिनट में कह दे, इसलिये मैं यहीं पर खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आगे से मुनि कहूंगा।

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, मैं एक बात सबसे पहले यहां के सम्मानित सदस्यों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री डी० पी० बोरा]

बतलाना चाहता हूं कि १२ साल तक विश्वविद्यालय में रहने के बाद और विद्यार्थियों के आन्दोलनों से सम्बन्धित होने के कारण मुझे १९ बार जेल जाने का अवसर मिला है। उसके बाद भी मैं कह सकता हूं कि इस अध्यादेश जिसकी उपज चौधरी चरण सिंह जी के दिमाग में आई उसका क्या कारण था। अगर उसके कारणों में जाने की कोशिश की जाय तो मैं कहूंगा कि मैं भी उसका एक कारण हूं। मैंने माननीय चौधरी साहब के दिमाग में यह बात घुसाने की कोशिश की कि विश्वविद्यालय के एक-एक कमरे में राइफल, पिस्तौल रखने की कोशिश की जा रही है।

श्रीमन्, मैं यहां बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब यह अध्यादेश आया था उस वक्त इंदिरा कांग्रेस के १३ सदस्य मंत्रिमंडल में थे और शिक्षा मंत्री ने यह बात मुझसे कही, थी कि विद्यार्थियों का जो आन्दोलन चल रहा है उसे तोड़ने की कोशिश करो। मुझे विश्वास है कि वह इससे इंकार नहीं करेंगे। मैंने कोशिश की थी विद्यार्थियों क बीच में जा कर अपनी बात को रखने की और मुझे पूरा विश्वास था कि सूबे का विद्यार्थी और गार्जियन्स, जिनके सीने में दर्द उठता है, इस वातावरण को देखकर, हमारी बातों का समर्थन करेंगे। और श्रीमन्, हुआ भी ऐसा ही। इतना विरोध होने के बावजूद भी कोई बड़ा आन्दोलन नहीं हुआ और न विद्यार्थियों में ही इतना असंतोष था। जो विधेयक आया है उसपर हमारे वयोवृद्ध सदस्य श्री उदित नारायण शर्मा जी ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां उपस्थित नहीं हुई थीं जिनकी वजह से यह अध्यादेश लाया जाता।

श्रीमन्, आप सोचें कि विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर कितनी बड़ी गुटबंदी हो जाती है और नया विद्यार्थी डरता है कि वह विश्वविद्यालय के चुनाव में हिस्सा ले या न ले और अगर हिस्सा ले तो उसकी जान माल की रक्षा कौन करेगा? माननीय नेता विरोधी दल इस बात से वाकिफ हैं कि जब चुनाव होता था तो उनके सुपुत्र धन इकट्ठा करते थे जिससे हम अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया करते थे। श्रीमन्, मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब हम चुनाव से लौट रहे थे तो हमारे ऊपर दूसरी तरफ के पचास गुंडों ने लाठी, छुरियां लेकर आक्रमण किया। चुनाव को लेकर वहां ऐसा विषाक्त वातावरण बन जाता है। उस वातावरण को दूर करने के लिए मैं मौजूदा हुकूमत को बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय चौधरी साहब को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे कि छात्रों में अनुशासनहीनता दूर हो सकती है और समाज प्रगति की ओर जा सकता है। वह बच्चा, वह बालक, वह विद्यार्थी जो कल नागरिक बनने वाला है, उसमें अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए एक कदम उठाया इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। माननीय चौधरी साहब को इस कदम के लिये पूरे सूबे के लाखों विद्यार्थियों ने पत्र लिखे और शिक्षाविदों एवं समाज सुधारकों ने उन्हें बधाई दी। मैंने भूतपूर्व अध्यक्षों का एक सम्मेलन किया था और कुछ सुझाव शिक्षा मंत्री बीरेन्द्र वर्मा जी को भी भेजे थे जिनमें से बहुत से उन्होंने मान लिये हैं।

अनुशासनहीनता विद्यार्थियों से कैसे दूर हो सकती है? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस समाज में इतनी अनुशासनहीनता हो गई हो चाहे वे कानून बनाने वाले ही क्यों न हों, जिस स्थान पर लोग अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिये पार्टी को छोड़ कर जाना पसन्द करते हों ऐसे लोग अनुशासन और अनुशासित रहने का पाठ पढ़ायें इसको भी कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। आदरणीय शर्मा जी ने इस अध्यादेश के विरुद्ध कहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को जब इन्दिरा कांग्रेस के १३ मंत्री जब वे मंत्रिमंडल में थे सर्वसम्मति से पारित किया था। उनको तो पार्टी से इसलिये निकाला गया था कि उनके ऊपर कुछ चार्जेज थे और माननीय चौधरी साहब ने जनता के बीच में उन बातों को नहीं कहा। यह तो बड़ी गल्ती थी वर्ना इसका बहुत बड़ा हश्र होता।

श्री अध्यक्ष—

किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जायगा।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय उदित नारायण शर्मा जी को इस बात का चैलेंज है कि यदि इस बात को लेकर पुनः चुनाव लड़ना चाहें तो वे अपने क्षेत्र से त्यागपत्र दे दें और मैं भी लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र से त्यागपत्र दे दूंगा और जनता स्वयं इस बात का फैसला कर लेगी कि किस चीज को जनता ने पूरा समर्थन दिया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें विश्वविद्यालय यूनियन को समाप्त नहीं किया गया है, ऐसी मेरी राय है। सारे विधेयक को पढ़ने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं। यहां पर तीन तरह के छात्र संघ बताये गये हैं।

एक सदस्य—

आप विधेयक के ऊपर अथवा अध्यादेश के ऊपर बोल रहे हैं।

श्री डी० पी० बोरा—

मान्यवर, मैं विधेयक पर आ रहा हूं। जब मैं आपके सामने अध्यादेश के बारे में बोलने खड़ा हुआ तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो आरोप अभी तक लगाया जाता था कि मैंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बर्गलाया है और विध्वन्सात्मक कार्यवाही करने के लिये प्रेरित किया है। मान्यवर, जो कुछ मेरी गल्तियां हैं उनको स्वीकार करने में मुझे हिचक नहीं है और इसी लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सन् ६६–६७ में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय यूनियन का अध्यक्ष था। मैं पूरे देश के स्तर पर विद्यार्थियों को इसमें लाना चाहता था और उसी के फलस्वरूप स्टेट में विद्यार्थी आन्दोलन हुआ था। मैंने गल्ती की थी मान्यवर मेरी आज भी हिम्मत है कि खड़ा होकर अपनी गल्ती को स्वीकार करूं।

(तालियां)

मान्यवर, विद्यार्थियों के बीच में इस प्रकार की एक परिपाटी पड़ गई थी कि हम लोग जो विद्यार्थी थे ४ मास तक एनवरसरी मनाया करते थे जिससे ४, ५ महीने तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। अगर आप मान्यवर, किसी भी बच्चे के हमदर्द बाप से पूछें उसके हृदय में किस प्रकार की भावना पैदा होती थी और उसको किस प्रकार का घोर असन्तोष इस कारण से था। विद्यार्थियों में एक ऐसा वातावरण बन गया था जो उनको पढ़ाई–लिखाई से हटाता था और विद्यार्थी अपना रास्ता भूल रहे थे। माननीय चौधरी साहब ने मौजूदा हालत को देखकर ही इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया था और जिस विधेयक हम आज पास करने जा रहे हैं।

(तालियां)

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश में जुलाई से लेकर आज तक इस अध्यादेश के बारे में और इस सदन में भी जो वातावरण हुआ, उस पर अपने विचार जाहिर करने का आपने मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जो अननुमोदन का प्रस्ताव माननीय श्री उदित-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

नारायण शर्मा जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बोरा साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जो बात उन्होंने चौधरी साहब को बताई वह बात उनके दिमाग में बड़ी दिक्कत से आई।

(शोर)

मैं बोरा साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वह चौधरी साहब को अपनी बात समझा सके और चौधरी साहब को इसलिये बधाई देता हूं कि वह बोरा साहब की बात को समझ सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अध्यादेश पर दो-एक बातें संक्षेप में कह देना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि इस अध्यादेश का यह अर्थ हरगिज नहीं है कि छात्र संघ समाप्त हों बल्कि इसका अर्थ यह है कि छात्र संघ की तादाद बढ़ाई जाय। अध्यक्ष महोदय, इस देश और प्रदेश के छात्र अनुशासित हों, शिक्षा प्रेमी हों, देश प्रेमी हों, हिंसा की बात से दूर रहें, इन सब बातों में मेरा विश्वास है। लेकिन एक बात मैं विनम्र शब्दों में कह देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी साहब से, जिनके भाषण में, जिनकी सत्यता में और बातों में बड़ा विश्वास है, कि इस प्रदेश और देश के विद्यालयों में पुलिस के डंडे से विद्यार्थियों में अनुशासन न सिखायें। वह उनके बीच जायं और अपने आत्म बल से और सच्चाई से विद्यार्थियों में अनुशासन सिखायें।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और आपसे कह देना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में है। जिस दिन ११ जुलाई को यह अध्यादेश पेश हुआ उससे पहले ही कालेजों, स्कूलों और यूनीवर्सिटी में पुलिस जवान संगीन सहित वहां पहुंच चुके थे। अगर जरूरत होगी तो मैं उन कालेजों का नाम भी बतला दूंगा---वहां पुलिस के जवान अध्यादेश से पहले ही पहुंच गये थे। आज हमारे भाई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग सरकार में चले गये हैं। आज राज नारायण यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन श्री राजनारायण जी ने एक बात मुझे दिल्ली जेल में बताई और उनके पास युवाजन छात्र संघ के अनेक कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे दिल्ली में। जो बात उन्होंने कही उस बात को राज नारायण जी से प्रमाणित कराई जाय। अगर वह कह दें कि मैंने नहीं कहा तो मैं अपने शब्दों के लिये माफी मांग लूंगा। छात्र संघ के युवाजनों ने कहा कि यह अध्यादेश ऐसा इस प्रदेश में आ गया है कि पुलिस तो हम को मार ही रही है डंडे से। यही नहीं चौधरी साहब की भारतीय क्रान्ति दल के जो विद्यार्थी समर्थक हैं वह भी मार रहे हैं। यह राजनारायण जी के शब्द थे। मैं इसलिये कहना चाहता था कि अगर श्री राज नारायण यह कह दें कि युवाजनों ने यह बात नहीं कही और यह बात गलत है तो मैं माफी मांग लूंगा। माननीय चौधरी साहब स्वयं मौजूद हैं वह कह दें कि हमारे दल के किसी भी छात्र ने या लोगों ने या पुलिस ने या समर्थकों ने यह काम नहीं किया, तो मैं उनसे भी माफी मांग लूंगा।

जिन कालेजों में पुलिस गयी वहां विद्यार्थी अपनी फीस वापस नहीं लेना चाहते थे। वहां लोगों ने यह कोशिश की फीस वापस की जाय और अनेक विद्यार्थियों की फीस जबरदस्ती वापस लौटाई गयी। (व्यवधान) कल इसी ऐजेंडे पर मेरा एक सवाल था कि इस अध्यादेश की वजह से प्रदेश के कितने जिलों में हमारे छात्र यूनियन के विद्यार्थी गिरफ्तार हैं। सरकार ने कहा अगले सोमवार को जवाब देंगे जब विधान सभा नहीं होगी। प्रदेश भर में छात्रों के साथ इस अध्यादेश को लेकर ज्यादतियां हुई हैं इससे कोई भी सरकार का आदमी इंकार नहीं कर सकता। मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं कि पुलिस और कानून के डंडे के बजाय विद्यार्थियों में जाकर के अनुशासन और देश प्रेम सिखाया जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त राज हठ और बाल हठ के बीच में सारा मामला पड़ा हुआ है। चौधरी साहब तो नहीं रहे उस राज हठ की जगह लेकिन उनकी जगह

दूसरे मंत्री लेना चाहते हैं। चौधरी साहब नहीं हैं इस वक्त उस राज हठ पर। उनके विचारों में भी परिवर्तन आया है लेकिन दूसरे जो सरकार में पहुंच गये हैं पता नहीं क्यों उन्होंने इस राजहठ के डंडे को पकड़ रखा है। मैं कहना चाहता हूं बाल हठ जीतता है। आज की दुनियां में जो जमाना है वह बाल हठ का है और बाल हठ का इसमें कामयाब होगा आप अगर उनको नहीं समझायेंगे, सही रास्ता नहीं बतलायेंगे बाल हठ जीतेगा। (व्यवधान)

कुछ अनुशासन की बात कही गयी। मैं एक बात जरा सी कह दूं। एक गांव में एक महापुरुष पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा खड़े हो कर पेशाब कर रहा था। महापुरुष ने सोचा कि यह गलत है। जाकर मैं इसके वालिद को ढूंढूं जिसका यह लड़का है और। जब उन्होंने उनको ढंढ़ा तो देखा कि वालिद साहब अपने घर में चक्कर काट कर पेशाब कर रहे थे। यह सरकार विद्यार्थियों के ऊपर जुल्म कर रही है और अपने घेरे में चक्कर काट कर पेशाब कर रही है जिसका नतीजा आज हम और आप देख रहे हैं कि अनुशासन बढ़ रहा है। (व्यवधान) यह क्या उपदेश दे सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह उपदेश नहीं दे सकते। यह शिकायत है कि वह जबरदस्ती चन्दा वसूल करते हैं। लेकिन यह सरकार भी सोच तथा समझ ले कि महानन्द मिशन डिग्री कालेज, गाजियाबाद में ला के दाखिले में लड़कों से प्रबन्धक न जाने कितनी रिश्वत लिया करते थे। लेकिन जब से वहां छात्र यूनियन बन गयी ला का का दाखिला उस कालेज में समुचित रूप से होने लगा।

अनेक शिक्षण संस्थाओं में गबन हुआ करते थे, बेईमानी हुआ करती थी लेकिन छात्र संघ संगठन के कारण वह सब बन्द हो गया और साथ ही बच्चों के दाखिले में फायदा भी होने लगा। इसके अलावा, एअर ब्वाएज फंड तथा खेल कूद के फंड में शिक्षण संस्थायें मनमाने तौर से खर्च किया करती थीं लेकिन छात्र संघ खुलने पर इन फंड्स पर सही रूप से नियंत्रण होने लगा लिहाजा इसका फायदा भी हुआ है। लेकिन इस अध्यादेश के बनने पर प्रदेश भर के छात्रों पर पिछले ६ महीने के अन्दर जो ज्यादतियां हुई हैं मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी भारतीय क्रान्तिदल की सरकार पर थी और लोग तो यों ही शामिल हो गये। उधर बैठने वाले आज इसका विरोध करना चाहें तो कर लें।

मुझे आज कोई शिकायत नहीं है। आप उसमें शरीक हों। उस तरफ बैठने पर इस अध्यादेश का समर्थन करें किन्तु मैं सच्चाई से यह बात कह देना चाहता हूं कि जो लोग इधर बैठे हुये इसका विरोध करते थे आज वे उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उधर जो नई कांग्रेस के लोग बैठे हुये हैं वे भी इस अध्यादेश म शरीक रह होंगे जैसा कि आप अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष म होदय, जहां तक मैंने सुना उनके संगठन में इस सम्बन्ध में विरोध था, जन संघ न इसका विरोध किया, एस० एस० पी० ने इसका विरोध किया और भारतीय क्रान्तिदल जिसने इसे शुरू किया था, उसकी भावना भी खतम हो गई। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि नई कांग्रेस के मिनिस्टर जब उधर बैठते थे तो उसने इसका समर्थन किया और इधर बैठने पर अब पश्चाताप कर रही है। उसी प्रकार आज जो लोग उधर बैठे हुये हैं वे भी एक दिन इसी सम्बन्ध में इसी तरह पश्चाताप करेंगे।

(व्यवधान)

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)—

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]

अब माननीय शर्मा जी इसका उत्तर देंगे ।

(इसी बीच ऊपर दर्शक दीर्घा से इन्क्लाब जिन्दाबाद ---तथा काला कानून वापस हो--- के नारे लगाते हुए एक व्यक्ति ने सदन में कुछ पर्चे फेंके और सदन की कार्यवाही में घोर व्यवधान व्याप्त हो गया ।)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

इन्क्लाब जिन्दाबाद, काला विधेयक वापस हो ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

इन्क्लाब जिन्दाबाद, इन्क्लाब जिन्दाबाद ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)---

मान्यवर, आप मेरी बात को सुन लें । आपने जो इस सम्बन्ध में फैसला दिया है वह तो शिरोधार्य है....

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, जिसने ऊपर से परचियां फेंकी हैं उसका क्या हुआ?

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र---

अब तो आपने क्लोजर मूव कर दिया । मान्यवर, जिस तरीके से यह प्रश्न आपने समाप्त किया उससे हम लोग जो इधर बैठने वाले हैं, बोलने से वंचित हो गये । यह एक महत्वपूर्ण विषय था इसमें आपको अवश्य बोलने का समय देना चाहिये था । मान्यवर, नियमावली के नियम १३३ के अनुसार इस बात का प्राविधान किया गया है कि किसी प्रस्ताव के किये जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्तियुक्त वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे कि "अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।"

(२) जब उप नियम (१) के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो उससे आनुषांगिक प्रश्न या प्रश्नों को, और आगे वाद-विवाद के बिना तत्काल प्रस्तुत कर दिया जायगा : "...

(व्यवधान)

मेरा प्रश्न यह है कि आप इसमें अभी समय और दें जिससे कि हम लोग जो इस सदन में इधर बैठे हुये हैं वे अपनी बात को रख सकें । यह क्लोजर जो आपने मूव किया है वह तानाशाही का प्रतीक है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

बिलकुल नहीं ।

श्री प्रिय दर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, जो लड़का ऊपर गिरफ्तार किया गया है वह हमारे जो राजस्व मंत्री, माननीय प्रभुनारायण सिंह जी हैं उनका लड़का है..... (व्यवधान) इससे स्पष्ट

जाहिर है मान्यवर, कि उनका जो परिवार है वह भी इस काले कानून के विरोध में मैदान में आ चुका है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें दिया हुआ है कि जब मैं यह समझूं कि जानबूझकर क्लोजर के प्रस्ताव का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इसके बारे में एक बिल भी आने वाला है तो उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। इसलिये इसके ऊपर ही सब समय ले लेना मैं अनुचित समझता हूं। अतः मैं समझता हूं कि मैंने क्लोजर के प्रस्ताव को लेकर ठीक ही किया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री उदित नारायण शर्मा को पुकारे जाने पर) अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था देकर आपने विरोधीपक्ष के अधिकारों का हनन किया है। इस कारण हम ३ मिनट के लिये सदन का परित्याग करते हैं।

(कांग्रेस सत्तारूढ़ दल के सदस्य सदन के बाहर जाने लगे—दूसरी ओर से मेजों के थपथपाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप जले पर नमक न छिड़किये।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस अननुमोदन के प्रस्ताव पर हर पार्टी के सदस्यों को बोलने का आपको मौका देना चाहिये था। आप विरोधी पक्ष के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय सरकार की वकालत करते हैं मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री छांगुर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपने जो व्यवस्था दी है उसके विरोध में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रामकरन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मंजूर अहमद —

श्रीमन्, आपने जो व्यवस्था दी है उसके विरोध में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन से बाहर जाते हैं।

(सरकारी बेंचों से हंसी—श्री मंजूर अहमद सदन त्याग कर चले गये।)

(कांग्रेस–सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के सदन में वापस आने पर सदन में शोर)

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर, मैंने जो कुछ बातें सुनी मैं उनको दुहराना नहीं चाहता। इसके बाद जो विधेयक आ रहा है उससे स्पष्ट हो जायगा कि हम उसके द्वारा छात्रों का हित करना चाह रहे हैं अथवा अहित करना चाहते हैं। इस बारे उस समय मैं उसका पूरा जबाव दूंगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं है अतः मैं इस अननुमोदन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अननुमोदन करता है?

विभाजन की मांग होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और सदन निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत आ:

पक्ष में १५४

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी, श्रीमती
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण भगत सिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
गंगाप्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
ज नारायन श्री
त्रिवेणी, श्री
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बेनीसिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री

राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शमीम आलम, श्री
शिवकुमार श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)
शिवबचन, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्रीशचन्द्र, श्री
सजीवनलाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)

विपक्ष में—२२५

अजबसिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)

उमानाथ सिंह, श्री
उमा शंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करनसिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरुप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
घासीराम, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगननाथ खन्ना, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनारायण मणि, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदनसिंह, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मनसाराम, श्री

मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मेहरबानसिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)

श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री रामसिंह, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियाराम, श्री
सुखबीर, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास में कुछ लोगों की गैर हाजिरी के बारे में शिकायत आयी थी लेकिन यह बात गलत निकली । उन्होंने दस्तखत नहीं किये । ऐसा ही दूसरे पक्ष में भी हुआ होगा ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७०

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीपति मिश्र—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२०–१२५ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

*शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

इस विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १२८ के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है "किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गई हों और सदस्यों द्वारा की गई आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दे ।"

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि सदस्यों को इस विधेयक की प्रतिलिपियां गलत प्राप्त नहीं हुई हैं जबकि इस नियमावली में स्पष्ट है कि तीन दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिये । ये प्रतिलिपियां २४ घंटे पहले प्राप्त हुई हैं इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आक्षेप किया है कि इस पर विचार नहीं हो सकता । एक तो तीन दिन पहले बताया था कि प्रस्ताव रख दिया है, मिला नहीं था । इसलिये समय आज का दिया था । मैंने कल इजाजत दे दी थी कि इस पर विचार कल हो सकता है । उस रूल में दिया हुआ है कि जब तक अध्यक्ष इस पर विशिष्ट आज्ञा न दें । मैंने कल ही विशिष्ट अनुज्ञा दे दी थी कि विचार इस पर कल हो सकता है । आप (माननीय शिक्षा मंत्री से) कृपा करके जारी रक्खें ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, आप समय निश्चित कर दें कि इस पर कब मतदान होगा ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर वोट होगा तो फायदा क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के छात्र संघ संबंधी विधेयक जो विचारार्थ प्रस्तुत है इस पर यहां भी और बाहर भी बहुत सी बातें सामने आईं और इस पर बहुत विचार हुआ और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न था जिस पर काफी लोगों ने इसमें विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीपति मिश्र]

विनिमय में हिस्सा लिया । आज जब अननुमोदन का प्रस्ताव आया तो उस समय भी विधेयक के संबंध में बहुत कुछ बातें कही गईं । इसलिये मैं इस संबंध में थोड़ी और स्पष्ट बातें बता देना चाहता हूं । मेरा विश्वास है कि शायद सारी बातें अगर अच्छी तरह से ध्यान में रक्खी गईं होती तो इस पर इतना विचार न होता । जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक अध्यादेश द्वारा छात्र संघ के संबंध में और और बातों का परिनियम बनाने का अधिकार लिया गया था और वह अधिकार लेने के पश्चात एक स्टेट्यूट से-दूसरी आज्ञा से छात्रों की फीस की वसूली जो अनिवार्य होती थी वह रोक दी गई थी और यह इसलिये किया गया था कि जो स्थिति शिक्षा संस्थाओं की थी जिस तरह से शिक्षा संस्थायें चल रही थीं उन सब बातों को देखते हुए जो सरकार थी उसकी यह जिम्मेदारी थी कि वह छात्रों के लिये शिक्षा संस्थाओं में ऐसा वातावरण उपस्थित करे जिससे हमारे छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि इस संबंध में बार-बार प्रश्न उठा कि छात्रों के संबंध में कुछ ऐसी बातें निर्धारित होनी चाहिये जिनसे उनकी पढ़ाई लिखाई का समुचित प्रबन्ध हो सके । उन बातों को देखते हुए यह आपके सामने अध्यादेश लाया गया और उसके बाद अब विधेयक के रूप में परिनियम प्रस्तुत किये गये । यह जो विधेयक प्रस्तुत है इसके संबंध में दो तीन बातें की गयीं । एक बात तो यह कही गयी कि इससे छात्रों को दबाने की कोशिश करेंगे । दूसरे यह कहा गया, हमारे विकल जी ने कहा, कि बहुत से और छात्रसंघ बनाने का उपाय बना रहे हैं । कुछ और लोगों ने कहा, कि छात्रों को हम पुराने रुढ़िवादी ढांचे पर ले जाना चाहते हैं । इसलिये ये नियम हमने बनाये हैं । हममें से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि छात्र प्रतिक्रियावादी हों । छात्रों को प्रगतिशील बनाने की चेष्टा सब की होगी । हमारी भी है और उन लोगों से ज्यादा है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है । अभी पुलिस ने यहां एक हजार मास्टरों को गिरफ्तार किया है । लारियों में भर-भर कर, उनकी पिटाई की है, डंडे बरसाये हैं, इतना घोर अत्याचार हो रहा है । जो अपनी मांगे रखने आये थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, बुरी तरह से पिटाई की । उनको मारा गया, पीटा गया, खींचकर के बन्द कर दिया गया । यह जनतंत्र है या तानाशाही ?

श्री श्रीपति मिश्र—

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं जो भी उधर से कहा गया हो कि छात्रों में अनुशासनहीनता है उसको दबाने के लिये हमने यह किया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैं नहीं समझता कि छात्रों में अनुशासनहीनता है । मुझ को छात्रों में विश्वास है । मैं समझता हूं कि उनमें अनुशासनहीनता नहीं है । लेकिन उनका वातावरण जिस तरह का बना हुआ है, लेकिन हमारे वह साथी जिस तरह का बड़ी बड़ी मान्य जगहों पर व्यवहार करते हैं, उनका अनुकरण जब छात्र करते हैं, उस अनुहकरण का अवसर उनको न लगे, जिस तरह की वह दिशा देते हैं, उसका मौका उनको न लगे, बल्कि स्वतः अपने विचार से अपने गुरुओं के चरणों के पास बैठ कर अपने को विकसित करें, हम ऐसा वातावरण बनाने के लिए इस तरह का विधेयक लाये हैं । मैं प्रस्तुत विधेयक का थोड़ा सा अंश आपके सामने रखना चाहता हूं । सदस्यता की अनिवार्यता जिसके बारे में कहा गया है कि छात्रसंघ बढाना चाहते हैं, उनकी सदस्यता की अनिवार्यता एक तरह से आज भी मौजूद है, कहीं गयी नहीं है । केवल उद्दंडता को निकाल दिया है । एक जगह भी उद्दंडता को मैं शामिल नहीं करना चाहता हूं ।

इस विधेयक में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में, कालेज में जहां भी छात्र यूनियन बनाने का मौका होगा, वह सभी एसोशियेशन्स बना सकते हैं और इन विद्यार्थियों की जो एसोशियेशन्स होंगी उनमें चुनाव होंगे । बहुत से विषयों की और बहुत सी एसोशियेशन्स होंगी, उनकी जो

कार्यकारिणी बनेगी, वह एक छात्रसंघ सामान्य सभा होगी । इसके अलावा मैंने उनको इसमें शामिल किया है जो कि सामाजिक एसोशियेशन्स में होंगे । जो लोग खिलाड़ी होंगे, जो कैप्टेन होंगे, वह इसमें शामिल होंगे । जो ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने अपने कालेज और इन्स-टीट्यूशन का नाम प्रदेश में या देश के बाहर किया है, वह इसमें शामिल होंगे । इसके साथ ही साथ जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ६० प्रतिशत यानी फर्स्ट डिवीजन या ज्यादा मार्क्स लाते हैं वह भी शामिल होंगे । अब हमारी इस प्रकार की सभा बनेगी । आप देखेंगे कि इसमें चुने हुए लोग शामिल होंगे । जो फेल होगा वह इसमें शामिल नहीं होगा । मैं कभी नहीं मानता हूं कि जो फेल होता है वह छात्र इसमें शामिल होने का अधिकारी है, इसलिये ऐसे लोग शामिल नहीं हो सकते हैं जो २५ वर्ष का है वह भी इसमें शामिल नहीं होगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ने के लिये २५ वर्ष की आयु बहुत काफी है । हमारी आपकी सामान्य उम्र ६०,७० है, तो यह तो सतयुग तक में काफी समझा गया और २५ वर्ष बाद गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता था । तो अब जब ७० उम्र है तो २५ वर्ष आयु तक पढ़ना बहुत काफी है और उसके बाद कोई वहां बैठता है तो पढ़ने के लिये नहीं बैठता है । तो उस को छात्र यूनियन में हिस्सा देने के लिये हम उसको शामिल नहीं करना चाहते हैं । इस तरह से मान्यवर इसमें कहा गया है । इसी के साथ-साथ हमने उसमें रक्खा है कि हर एसोशियेशन में जो अध्यापक होंगे, वह उस के संरक्षक होंगे और कोषाध्यक्ष होंगे । इसी तरह से युनी-वर्सिटी यूनियन में वाइस चांसलर संरक्षक होगा लेकिन हमने संरक्षक को कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया है । वह केवल सुपरवाइज करेगा, बाकी सारे अधिकार बच्चों को होंगे क्योंकि उसकी सारी कार्यवाही चुना हुआ अध्यक्ष करेगा और उसके आदेश से सचिव बजट पास करेगा और कार्यकारिणी में पास किये हुये बजट के अनुसार सारी कार्यवाही होगी । उसका कोई अधिकार उस संरक्षक या कोषाध्यक्ष को नहीं होगा । जिस तरह से बुजुर्ग बैठते हैं उसी तरह से वह कार्यवाही करायेंगे ।

अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं । इसी के साथ-साथ इसमें एक कल्याण बोर्ड भी बनाया जाने वाला है जिसमें अध्यापकगण, डीन और वाइस चांसलर और विद्यार्थियों की सारी कार्यकारिणी शामिल होगी और विद्यार्थियों के कल्याण के लिये जो भी करेंगे इसमें शामिल किया जावेगा ।

इसी के साथ-साथ मैं दो चार बातें जवाब में कहना चाहता हूं, जो कि मेरे सामने बातें उठाई गई हैं । यह कहा गया था कि जरूरत क्या थी इसको लाने की, जरूरत क्या थी अध्यादेश लाने की, जरूरत क्या थी इस विधेयक को लाने की ?

श्री अध्यक्ष—

अध्यादेश पर अब ज्यादा बात नहीं होगी ।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । आप लोगों ने मुझे सलाह दी । बाजपेयी जी न, शर्मा जी ने । मैं मानता हूं कि उनको इस बारे में अनुभव भी है और उसी के साथ-साथ थ्योरी का भी उनको ज्ञान है । विकल जी को थ्योरिटिकल ज्ञान तो है लेकिन शायद अनुभव नहीं होगा । बार-बार यह कहा गया कि छात्रों को दबाने के लिये यह है । मैं अपने उन सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को छात्रों के बीच में जाकर उनको समझाने में, अगर उनमें आक्रोश है तो उसे बरदाश्त करने में और उनसे वाद-विवाद करने में कोई हिचक नहीं है । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं और फिर जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अपनी बात कहूंगा ।

श्री कृष्णचन्द्र—

मान्यवर, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जिस समय अध्यादेश वापस करने के बारे में वर्तमान सरकार विचार कर रही थी

[श्री कृष्ण चन्द्र]

तो उस समय हमारा ऐसा खयाल था कि इसके सारे पहलुओं पर विचार करके, छात्रान्दोलन संबंधी जितने भी पहलू हैं उन पर विचार करके यह सरकार कोई विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करेगी । लेकिन मान्यवर, मुझे निराशा हुयी कि इस आर्डिनेंस की अन्त्येष्टि के बाद और उस अन्त्येष्ठि में पंडित जी की पुरोहिताई के बाद भी जो विधेयक सरकार ने पेश किया है, वह लंगड़ा, अंधा और कुबड़ा है जिसके एक नाक नहीं है और एक कान नहीं है । हम उम्मीद करते थे कि चौधरी साहब, जो पहले मुख्य मंत्री थे, ने भी कोई गल्ती की होगी तो उन गल्तियों का प्रतिकार कर लिया जायेगा । मान्यवर ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने कुछ दिशायें न हों, कुछ रोशनी न हो । ऐसे महान पुरुषों की कमेटियां इस संबंध में बनी हैं जिन्होंने छात्रान्दोलन की ओर इशारा किया है और उससे संबंधित समस्याओं का प्रतिकार किस तरह हो, यह भी बताया है ।

श्रीमन्, राधाकृष्णन कमेटी बनी, गजेंद्रगडकर की अध्यक्षता में कमेटी बनी, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बनी और कोठारी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में मोटी-मोटी पुस्तकें लिखी । आज माननीय मंत्री कहते हैं छात्रों में अनुशासन हीनता नहीं है । शायद उन्होंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री, चौधरी साहब से बात करके यह घोषणा नहीं की है । मान्यवर, यह कहते हैं कि छात्रों में अनुशासनहीनता नहीं है । लेकिन इन्होंने आर्डिनेंस के जरिये उनका दमन किया, उन्हें जेलखाने भेजा और उस आर्डिनेंस के जरिये इन्होंने एक हड़कंप पैदा किया और अब यह सरकार एक अधकचरा विधेयक लाई है और इस विधेयक को पास कराने के बाद उन छात्रों को फुसलाना चाहती है, उनकी पीठ सहलाना चाहती है और डंडा मारने के बाद उन्हें लैमनजूस देना चाहती है । लेकिन मैं आपके सामने कह सकता हूं कि छात्रों में जो अनुशासनहीनता है क्या इस प्रकार उसका निराकरण हो सकता है ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोठारी कमीशन ने एक रास्ता दिखाया है कि अनुशासनहीनता किस प्रकार से खत्म हो । उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता को टकिल करने के लिए यूनिवर्सिटियां स्वयं ही सक्षम हैं । अनुशासनहीनता को दूर करना पुलिस का काम नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो वायलेंट ऐक्शन है, जोर-जबरदस्ती है उसको तय करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह फोर्स्ड वायलेंट ऐक्शन जो छात्र करते हैं उसकी जिम्मेदारी राजनैतिक दलों पर है ।

कोठारी कमीशन ने यह भी कहा है कि कोई भी राज्य सरकार आर्बीट्रेरी तरीके से, एकतरफा मनचाहा तरीके से इसको हल नहीं कर सकती है । रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को चाहिये कि वह राजनैतिक दलों को बुलाये और उस मीटिंग्स में छात्रों के प्रतिनिधियों को भी बुलाये और उनके सामने ये सारे प्रश्न रखे और जैसा वे लोग तय करें उनके अनुसार कोई विधेयक लाये । मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं कि कोठारी कमीशन की रट लगाकर क्या डेविल स्क्रिपचर्स को उद्धृति नहीं कर रहा है । कोठारी कमीशन की थोड़ी सी बात को संदर्भ रहित लेकर विधेयक में प्रविष्ट करवा देना और सारी बातों को भूल जाना शोभा नहीं देता है । कोठारी कमीशन के अनुसार सरकार को मीटिंग बुलानी चाहिये, विद्यार्थियों और छात्रों को बुलाना चाहिये था और उसमें जो निर्णय होता, उसके अनुसार एक विधेयक लाते लेकिन यह विधेयक जबरदस्ती, आर्बीट्रेरीली ले आया गया है और इसलिये इस विधेयक को इस सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

मान्यवर, आज छात्रों का एक संगठन था, किन्तु इस विधेयक के द्वारा एक-एक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, ६०,६०, ७०,७०, ८०,८० संघ बनाये जायेंगे । इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक विषय के अनुसार संघ बनेंगे । हर पाठ्य विषय का एक संघ ? मान्यवर, आज के युग में तो पाठ्य विषय बढ़ाये जा रहे हैं तो ये संघ और भी मल्टीप्लाई

होते जायेंगे और हो सकता है कि इनकी २ शताब्दी भी हो जाय । ऐसा करने से कितना बड़ा असंतोष पैदा होगा ?

दूसरी बात यह है कि विधेयक के अनुसार सामान्य सभा होगी जिसमें अप्रत्यक्ष एलेक्शन भी होंगे जिस प्रकार से म्यूनिसिपल बोर्ड में होते हैं । ऐसा करने से भी जो छात्र बच निकलेंगे तो फिर कार्यकारिणी समिति भी बनाई जायेगी और उससे भी जो बच निकलें तो फिर छात्र कल्याण बोर्ड होगा । मान्यवर, एक पुरानी कहावत है जैसा कि सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की यह पालिसी है कि डिवाइड करो और रूल करो । टुकड़े-टुकड़े कर दो इस हिन्दुस्तान के, टुकड़े टुकड़े कर दो इन भारतीय संस्थाओं के जिन्होंने प्रेरणा दी है भारत के स्वराज्य की, उसकी संस्कृति की रक्षा की, उसकी कला की रक्षा की, उसके व्यापार और व्यवसाय की रक्षा की और फिर हुकूमत करो । मान्यवर अंग्रेज तो चले गये लेकिन मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जहनियत उत्तराधिकार में इस सरकार को दे गये हैं । मान्यवर, वह उत्तराधिकार के रूप में उस थाती को अपने कलेजे से चिपटाये हुये हैं और मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह लोग उसी के प्रतीक हैं । यह लोग आज छात्रों के टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं और टुकड़े करके इनका सरकारीकरण करना चाहते हैं ।

एक सदस्य—

मलिखान सिंह जी कह रहे हैं कि वह चीज आपको उत्तराधिकार म मिली है ।

श्री कृष्णचन्द्र—

अगर हमें मिली होती तो आपका स्थान वह न होता । आप एक अच्छे लड़क का पार्ट अदा नहीं कर रहे हैं, बुरे लड़के का पार्ट अदा कर रहे हैं ।

एक सदस्य—

यह तो समय बतायेगा ।

श्री कृष्णचन्द्र—

मान्यवर मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सरकार को शक्ति की इतनी तृष्णा है, इनका खूनी पंजा इतना मजबूत होता चला जा रहा है कि विद्यार्थियों को टुकड़े-टुकड़े करने के बाद भी इनकी तृष्णा और पिपासा नहीं बुझी । छात्रों की एकता को टुकड़े-टुकड़े करने के बाद भी नियनों का सरकारीकरण करना चाहते हैं । यह बात नहीं है, मैं उनकी इस वृत्ति को पूरी तरह नहीं समझता । जिला परिषद् को मिटा दिया गया, उन्हें समाप्त कर दिया गया, प्रदेश के टाउन एरियाओं को इस सरकार ने मिटा दिया, नोटीफाइड एरियाओं को मिटा दिया । मान्यवर आज प्रदेश में केवल १७ नोटीफाइड एरिया बाकी बची हैं इनके खूनी पंजे से और बाकी सब इन्होंने अपने कब्जे में ले लीं । मान्यवर, आज उनकी खूनी पिपासा, शक्ति की प्यास और भूख मिटी नहीं है । उसने मान्यवर, अपने आपको यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विश्वविद्यालय में भी अपना चरागाह ढूंढ़ने के लिये भेज दिया । उपकुलपति होगा वेलफेयर बोर्ड का सदस्य · · · · ·

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । आपने १५ मिनट का समय निर्धारित किया है । तो विधेयक पर समय निश्चित नहीं किया जाता । यह आपकी स्वयं की रूलिंग है । आप अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों के संकलन में पेज ४२१ देखें । आपने ही सन् १९५९ में जब आप अध्यक्ष के पद पर थे, आपने यह रूलिंग दी है ।

अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का जो संकलन है उसके पृष्ठ ४२१ पर यह दिया हुआ है विधेयकों पर विचार के समय भाषण के लिये समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी—]

"१० मार्च, १९५९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार के समय जब श्री ब्रजगोपाल सक्सेना ने समय निर्धारित करने का सुझाव दिया तब श्री अध्यक्ष ने कहा, "किसी का टाइम मुकर्रर नहीं है । विधेयकों में टाइम मुकर्रर नहीं होता । हां, यह आवश्य है कि वे असंगत न हों" यह आपकी ५९ की रूलिंग है । अब आप नियम ९६ देखें उसमें भाषणों पर समय की सीमा केवल संकल्पों के लिये है । "किसी भाषण की अवधि अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना १५ मिनट से अधिक नहीं होगी परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बद्ध विभाग का भारसाधक मंत्री, जब वे उस पर पहली बार बोलें, २५ मिनट तक या इससे इतने और अधिक समय तक, जिसकी अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बोल सकेंगे ।" लिहाजा आप अपनी रूलिंग दोहरायें और माननीय शर्मा जी को बोलने दें ।

सहकारिता उपमंत्री (श्री महीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक औपचारिक रीति से इसलिये नहीं हो सकी कि विरोधी दल के मुख्य सचेतक किसी कारणवश उसमें सम्मिलित नहीं हुए लेकिन माननीय विकल जी तथा सजीवनलाल विरोधी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । उसमें यह निश्चय हुआ कि आज शाम तक हम इस विधेयक को पास करके उठेंगे और अनौपचारिक रूप से यह हमारा निश्चय हुआ । लिहाजा उस दृष्टि से तिवारी जी विचार कर लें कि वह जनरल डिसकशन पर कितना समय लेना चाहते हैं और फिर धाराओं पर कितना समय लेना चाहते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे खेद है कि कार्यमंत्रणा समिति का यहां हवाला दिया गया । जब तक कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों का सदन में पालन किया गया हमें कोई शिकायत नहीं थी लेकिन जब वहां के निर्णयों का पालन नहीं हुआ तो हमने निश्चय किया कि उसमें हम नहीं जायेंगे । अगर वहां कोई निर्णय हुआ होता तो प्रस्ताव पास हुआ होता आज सदन में लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया ।

श्री महीलाल—

मैंने इसीलिये कहा अनौपचारिक रूप से (कुछ रुक कर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि साढ़े ४ बजे तक इस पर विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं तिवारी जी के उठाये गये सवाल का जवाब दे दूं । आपने रूलिंग कोट की, मैं आपको इस संबंध में रूल पढ़े देता हूं संकल्प के लिए अध्याय १३ में पृष्ठ ३२ पर "समय नियतन और प्रस्तावों पर चर्चा अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे" । फिर १०९ नियम में लिखा है"भाषणों के लिये समय सीमा-अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय सीमा विहित कर सकेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह तो प्रस्ताव के लिये है ।

श्री अध्यक्ष—

यह भी प्रस्ताव है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह तो अनर्थ हो जायगा । आप जल्दी न करें । मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सेल्स टैक्स विधेयक पर मैं ही साढ़े ३ घंटे बोला हूं आपकी आज्ञा से । हां, सदस्य असंगत हो तो आप रोक सकते हैं । विधेयक पर विचार करने के लिये समय की कोई सीमा नहीं है और सदस्यों को अधिकार है वह अनिश्चित समय तक बोलें, क्योंकि विधेयक पर बोलने के लिये कोई समय निश्चित नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष—

सदन के सामने यह प्रस्ताव है कि इस पर विचार किया जाय । अतः मैं इस पर समय नियत कर सकता हूं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह समझा जाय कि विधेयक भी एक प्रस्ताव है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह तो नियम १०५ और नियम १०७ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आते हैं, उसके लिये है । वह आता है लोकहित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा के अन्तर्गत । यह नियम १०३ है । इसमें जो प्रस्ताव आता है वह १०५ नियम की शर्तों को पूरा करता है और १०७ की शर्तों को पूरा करता हो, ऐसे प्रस्तावों के लिये १०८ और १०९ है । विधेयकों की चर्चा तो इससे अलग है । श्रीमन्, इसके अन्तर्गत आप ले लेंगे तो बहुत अनर्थ हो जायगा । आप इस पर विचार कर लें तब अपनी रूलिंग दें ।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

हमारे माननीय मित्र तिवारीजी ने एक सवाल आपके सामने उठाया । यदि कोई विधेयक सदन के सामने आया है तो उसके संबंध में दो चीजें होती हैं । यह नहीं होता कि २–४–१० दिन तक सदन में उस पर बहस होती रहे । इस संबंध में दो प्रकार की प्रक्रिया है । एक प्रक्रिया तो यह है कि हमारी कार्य–मंत्रणा समिति यह प्रस्ताव करती है कि इस प्रकार से समय निर्धारण किया जाय और उसको यह सदन स्वीकार करता है । यदि किसी कारण ऐसा न हुआ हो तो उसके लिये नियम ३१३ है । उसमें दिया हुआ है "ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें ।" जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो अध्यक्ष उस बारे में सदन को सुचारु-रूप से चलाने के लिये कोई निर्देश दे सकते हैं ।

श्री महीलाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि साढ़े चार बजे तक साधारण वाद-विवाद चले और ५ बजे तक इसको पास कर दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह असंभव है । भाषण के बीच में आप इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रख सकते ।

श्री अध्यक्ष—

उनका भाषण तो मैंने समाप्त कर दिया ।

माध्यमिक शिक्षकों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इस समय ४ बज गये हैं। नियमों के अनुसार अब आपको कार्य-स्थगन प्रस्ताव आदि लेना चाहिये। अगर सरकारी पक्ष चाहे तो इसके लिये समय बढ़ा दे लेकिन आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपकी यह बात सही है। उसको मैं लिये लेता हूं। आज जो प्रस्ताव आये हैं और जो मंजूर हो चुके हैं, उनके लिये अब केवल २ रोज ही रह गये हैं—२३ और २४/२४ के लिये ३ मंजूर हो चुके हैं और २३ के लिये ४ मंजूर हो चुके हैं। इसलिये मैंने केवल एक ही स्वीकार किया है जिसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। कुछ लड़कों की गिरफ्तारी हुई। और लड़कों को छोड़ दिया गया और कांग्रेस (नई) के लड़कों को अटका कर रखा गया है, ऐसा उनका कहना है। और उनको ऊंची क्लास नहीं दी गई। वे छोड़ दिये गये हों। यह बात दूसरी है। लेकिन यह आक्षेप है कि इसमें पक्षपात हुआ। यह वक्तव्य के लिये रख लिया है। यह माननीय शिवकुमार पांडेय जी का है इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं और २४ तारीख को सबेरे इस पर स्पष्टीकरण देते हुये संबंधित मंत्री जी बतायें कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर गलती हुई है तो वे क्षमा मांग सकते हैं और मैं इसमें मैं कोई कमजोरी नहीं समझता। यह तो बहुत ऊंची बात है, अगर कोई गलती हो जाये और उसको स्वीकार कर लिया जाय। इस पर वक्तव्य २४ तारीख को होगा। तीन के बजाय उस दिन चार वक्तव्य हो जायेंगे। बाकी मैंने मंजूर नहीं किये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, बरेली में महात्मा गांधी जी का चित्र तोड़ दिया गया और तिरंगे झंडे को पददलित किया गया है। इसको कृपा करके स्वीकार कर लें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव यह दिया था कि इस समय माध्यमिक शिक्षक सारे प्रदेश के कोने-कोने से आये हुये हैं और उनको तीन ट्रकों में भर कर पुलिस ले गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह स्थगित हो गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्राथमिक शिक्षकों के विषय में वक्तव्य जरूर दिला दें।

(व्यवधान)

सहकारिता उपमंत्री (श्री महीलाल)—

मान्यवर, मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसको ले लीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हजारों अध्यापक प्रदेश से यहां आये हुये हैं।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

हम ऐसे शिक्षा मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते हैं जो अध्यापक के ऊपर लाठी चार्ज करवाता है, उनको जेलों में पहुंचाता है ।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)---

अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षकों की सरल मांगों को नहीं माना जा रहा है । इसके ऊपर शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य दिलाइये ।

(व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य न प्राथमिक शिक्षकों की बात और कुछ माध्यमिक शिक्षकों की बात को उठा कर उसमें यह भी बतलाया कि प्राथमिक शिक्षकों में से कुछ लोग गिरफ्तार कियेगे । मान्यवर, कई तरह के जलूस कई पार्टी व संस्थाओं की तरफ से निकलने वाले थे और चूंकि किसी को भी जलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गयी थी व्यवस्था को दृष्टि में रख करके, केवल प्राथमिक शिक्षक संघ वालों ने अपनी एक सभा की और उस सभा में मैं खुद गया था । मैंने उनको आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार अच्छी तरह से विचार करके जहां तक सम्भव है उसे पूरा करने की कोशिश करेगी ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिल बस्ती)---

मैं एक सूचना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उन शिक्षकों को क्या आश्वासन दिया, इस पर भी जरा प्रकाश डालें । उसको व पर्दे के अन्दर ही रखना चाहते हैं ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

प्राथमिक शिक्षक संघ वालों की क्या मांगें हैं, यह भी जरा बतला दें ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जहां तक माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रश्न है, वह प्रश्न हमारे विचाराधीन था । उसका एक विधेयक भी हम पहले ही पेश कर चुके थे । मैंने माध्यमिक शिक्षक वालों को और उनके प्रतिनिधियों को दिखलाया था और उनसे कहा था कि वे इसमें जो संशोधन देना चाहते हैं दे दें । कुछ अंशों में मैंने उनके संशोधन स्वीकार भी कर लिये हैं । कुछ माइनर बातें हैं जिनके लिये हमारी बातचीत चल रही है । इस पर अब आप वक्तव्य क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय---

गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिय माननीय मंत्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

(व्यवधान)

श्री चतराम गंगवार---

माननीय मंत्री जी ने प्राइमरी शिक्षक संघ वालों की क्या-क्या मांगें स्वीकार कर ली हैं, इसकी स्पष्ट घोषणा करें ।

श्री श्रीपति मिश्र--

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वक्तव्य देने की बात है, तो मैं इस पर कल सदन में वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं। और जहां तक घोषणा का सम्बन्ध है, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों नें भी देखा और उन सब से मेरी बातचीत हुई और उनके सामने ही मैं घोषणा कर चुका हूं तथा अपने कानों से उन्होंने उसे सुना।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्रीमन्, कल वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों से कहा कि अगर मैं आपकी मांगें पूरी नहीं करा पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा ? अगर यह बात सही है तो वे इसकी घोषणा क्यों नहीं कर देते ?

श्री श्रीपति मिश्र--

बोलने वाला मैं था और सुनने वाले ४ हजार प्राथमिक शिक्षक थे। माननीय सदस्य तो वहां दिखलाई भी नहीं पड़े थे, फिर उनको क्या मालूम कि मैं क्या बोला और क्या नहीं बोला ? मैं कहना चाहता हूं कि गैर जिम्मेदारी का कोई बयान मैं इस सदन में नहीं देता मैं इस पर कल वक्तव्य दूंगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

शिक्षकों के साथ जो बुरा व्यवहार किया गया है, उसको नजर में रखते हुए माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, इसके लिये उनको और कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे देंगी तो मैं उनके पास उसे भेज दूंगा।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, दूसरी कोई कार्यवाही सदन में नहीं हो सकती। आप यही व्यवस्था दें और सदन को जारी रखें। और कोई कार्यवाही बीच में नहीं हो सकती।

(श्री महीलाल के खड़े होने पर) यह किस नियम के आधार पर कर रहे हैं ?

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन यह निश्चय करता है कि पौने पांच बजे तक प्रस्तुत विधेयक पर सामान्य विवाद समाप्त हो जायेगा और ५ बजे हम इसको पारित कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह प्रस्ताव किस नियम के आधार पर आया है ?

श्री अध्यक्ष--

पहले सदन का समय बढ़ाइये ।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय यानी आज यह सदन ६ बजे तक बैठे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री महीलाल--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि पौने पांच बजे तक इस विधेयक पर सामान्य विवाद होगा और उसके बाद इसकी धाराओं पर विचार करके पास कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

पौने पांच बजे तक कैसे, पांच बजे तक सामान्य विवाद रहेगा । प्रश्न यह है कि ५ बजे तक सामान्य विवाद रहेगा और उसके बाद ६ बजे तक पारित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जायेगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के आधार पर यह प्रस्ताव पेश किया गया । जबतक नियम सामने नहीं आयेंगे सदन की कार्यवाही बिना नियम के नहीं चल सकती । सदन नियमों के अनुसार चलेगा, नियमों के बाहर नहीं चलेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

हमेशा ऐसा निश्चय हुआ है । नियम भी सुन लीजिये । सभा का उपवेशन ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे तक होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प विशेष द्वारा उपवेशन का समय बढ़ा सकेगा । अध्यक्ष स्वयं भी उपवेशन का समय १५ मिनट बढ़ा सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह तब होता है जब बीच में व्यवधान होता है । आप क्या चाहते हैं ? सदन में अशान्ति हो, नियमों के विपरीत काम हो ?

श्री अध्यक्ष--

यह नियम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कोई व्यवधान होगा तभी होगा न ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, अब जिस विषय पर विवाद हो रहा है आपने बड़ी कृपा की जो मुझे समय दिया ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

देखिये, अगर यही अव्यवस्था रहेगी..... (शोर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय उदित नारायण जी ने जिस सम : अपना भाषण जारी रखा.....

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह क्या कर रहे हैं आप ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि सदन को इसका अधिकार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह तो नियमों का हनन हो रहा है । इसको हम नहीं मान सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मानना पड़ेगा । आप कृपया बैठें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, यह सरकार जो नया विधेयक छात्रों के लिये लाई है, वह बधाई की पात्र है । न केवल इस सदन के विधायकों की ओर से बल्कि इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता की ओर से बधाई की पात्र है ।

(व्यवधान)

(मेंजे थपथपाई जाती रहीं)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह नियमों के विपरीत कार्य हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, यह सब नियमों के अनुकूल कार्य हो रहा है । नियमों के अन्तर्गत सदन को समय बढ़ाने का अधिकार है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह लोग जो अनुशासन के हामी थे वे आज हमको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं ।

(व्यवधान)

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)---

मुझे खेद है कि एक दफा हमको सदन में आप की रूलिंग के कारण वाक आउट करना पड़ा। हम लोग कांग्रेस की तरफ से ऐसा अपोजीशन का पार्ट अदा नहीं करना चाहते हैं जिसके शायद आप आदी हो गये ह। अध्यक्ष महोदय, एक खास ढंग के आदी हो गये हैं इसलिये उन्होंने हमारे साथियों से ऐसा किया। मुझे पसन्द नहीं है कि इस शोर में आपके लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वैसे शब्द ये हैं। वह उनको नहीं कहने चाहिये थे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्र निवदन करना चाहता हूं कि हमारे नारायणदत्त जी तिवारी ने जो सवाल उठाया था उसका आपने कन्विंसिंग उत्तर नहीं दिया।

दूसरी बात यह है कि श्री कृष्णचन्द्र जी बोल रहे थे। आपने उनको १५ मिनट का समय दिया था। वह पूरे नहीं हुये थे।

श्री अध्यक्ष---

वह पूरे हो गये थे।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

१५ मिनट आपने नहीं दिये। इससे जाहिर होता है कि यह पक्षपातपूर्ण बात हो रही है। ६ बजे तक समय बढ़ गया है। यह अपने आप उस समय तक पास हो जायगा, लेकिन कृष्णचन्द्र जी को आप बोलने दीजिये। आपने जो समय उनको दिया है उसको काट नहीं सकते। वह अपने आप ही खतम कर देंगे। कृष्णचन्द्र जी बोल लें तो उसके बाद आगे की कार्यवाही चले।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमारी सुन लीजिये.....

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठें।

एक सदस्य---

श्रीमन्, जब आप की कुर्सी पर राजर्षि टंडन जी बैठते थे तो वह सदा ही विरोधी पक्ष का साथ देते थे तो आप इस तरह से क्यों सरकार का पक्षपात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें। अब श्री कृष्ण चन्द्र अपनी बात ५ मिनट में कह लें।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक के द्वारा विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण किया जा रहा है। इसकी दलील में यह दे रहा हूं कि कोषाध्यक्ष जो संघ का बनेगा वह संरक्षकों के द्वारा जो निर्दिष्ट किया जायगा, वह बनेगा। इसी प्रकार से कार्यकारिणी के जो सदस्य होंगे वह डीन होंगे और जितने डीन्स, प्राक्टर्स हैं और उपकुलपति हैं यह सब कार्यकारिणी में होंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

ऐसा नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र---

यह आप के विधेयक में है। इसके अलावा जो छात्र कल्याण बोर्ड है उस को भी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से बिलकुल भर दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार

[श्री कृष्णचन्द्र]

ने विद्यार्थियों के टुकड़े किये, पहले तो इस अध्यादेश को लाकर उन का दमन किया और दमन कर के उन की रीढ़ को तोड़ डाला, वह छात्रों के टुकड़े कर रहे हैं, उनकी एकता को उछृंखल कर रहे हैं, उन्हें बांट रहे हैं। इस सरकार ने इस विधयक को लाकर छात्रों की एकता को नष्ट किया है, उस पर कुठाराघात किया है और तीसरा मेरा आरोप यह है कि यह सरकार उन की एकता को भंग कर के, उन की एकता को खत्म कर के छात्रों पर पुलिस के द्वारा, पुलिस के डंडों के द्वारा शासन कर के यह सरकार चलना चाहती है, जिस चीज का विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमेशा विरोध किया है और जिस को उन्होंने बराबर अस्वीकार किया है और जिस की उन्होंने सदा ही मुखालफत की है।

आज यह सरकार इस कानूनी शिकंजे के द्वारा विद्यार्थियों और छात्रों पर अपना आतंक जमाना चाहती है और विश्वविद्यालयों पर अपना कब्जा करना चाहती है। इस संबंध में डा० त्रिगुण सेन का एक वाक्य उद्धृत करूंगा। वह पहले हमारे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम अपने विश्वविद्यालयों को पुलिस और थानों में परिवर्तित नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हम विश्वविद्यालय के छात्रों को डंडे से नहीं चलाना चाहते, हम चाहते हैं कि वे उपकुलपतियों के द्वारा ही संचालित हों। यदि ऐसा दिन आ गया जैसी कि इस बिल में कल्पना है तो इन विश्वविद्यालयों में हमें वाइस चांसलर यानी वी० सी० की जगह पी० सी० यानी पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति करानी होगी। अगर यह सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालयों का संचालन उपकुलपति करें और पुलिस कमिश्नर न करें तो वह श्री त्रिगुणसेन और भारत सरकार के इरादों और उनकी इच्छाओं और सिद्धान्तों का आदर करे। वह देखें कि भारत सरकार की इस संबंध में नीति क्या है, भारत सरकार किस तरह से छात्र समस्याओं का निबटारा करना चाहती है और ऐसी नीति का प्रतिपादन कुछ साल पहले भारत सरकार से हुआ था।

मैं सरकार से चाहता हूं कि वह पुलिस कमिश्नर रखने की बात न पैदा करें बल्कि वहां पर उपकुलपतियों का ही प्रशासन रहने दें ताकि आगे आने वाला इतिहास यह न कहे कि श्री त्रिभुवन नारायणसिंह के मुख्य मंत्रित्व में जो सरकार बनी थी उसने विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की जगह पर पुलिस कमिश्नर बिठा दिये। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां यह न कहें कि श्री त्रिभुवन नारायण सिंह की अध्यक्षता में चलने वाली सरकार ने छात्रों को समाप्त कर दिया, उनको मिटा दिया, उनको तहसनहस कर दिया, उनकी जहनियत को विश्रृंखल बना दिया। यदि देश में छात्रों की एकता समाप्त हो गई यदि उनकी रीढ़ टूट गई तो वह देश के लिये दुर्दिन होगा। इसलिये मैं आखरी बार चेतावनी देना चाहता हूं कि इस विधेयक को सरकार वापिस करे और एक कांप्रिहेन्सिव बिल लाये जो इन छात्रों की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, विपक्ष की ओर से इस विधेयक के बारे में जो कहा गया है, उसको मैं सुनता रहा। सचमुच में यह एक विचारणीय विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष वालों ने वही काम किया जो एक वकील जिसके पास कोई तर्क नहीं होता है, मेज को पीटने लगता है। उनके पास कोई तर्क तो था ही नहीं, इसीलिये उन्होंने मेज को ही पीटना शुरू कर दिया।

माननीय उदित नारायण जी ने श्रीमन्, एक बात कही। वे बड़े दावे के साथ किसी एक्सपर्ट कमेटी का हवाला दे रहे थे कि बंगाल के अन्दर ६० फीसदी ऐसे लड़के नैक्सेलाइट हो गये हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन थे। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि वे उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करें जो लड़के नैक्सलाइट हो गये हैं, वे अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं बल्कि वे विद्यार्थी हैं जो माउत्सतुंग को अपना बाप कहते हैं, जो इस देश को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। वे कोई विद्यार्थी नहीं हैं और नहीं गरीबी के कारण हुये हैं बल्कि मार्क्सवादियों के कारण हुये हैं।

आज विकल जी ने अपने गांव की एक कहानी ही सुना दी। कहानी तो बड़ी सुन्दर थी, मैं उसे दुबारा नहीं कहना चाहता हूं। अगर उनके अपने गांव की ऐसी कहानी है तो गांव को अगर ठीक करना चाहें तो वे करें यह तो नहीं होना चाहिये कि अगर बेटा गल्ती करता है तो बाप को तो ऐसा नहीं करना चाहिये।

माननीय कृष्ण चन्द्र जी ने जो विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट किये, उनसे ऐसा दिखलाई दिया कि उनके विचार में यह विधेयक नंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, उसके कान नहीं है। तो यह ऐसा ही हुआ जैसा कि ५ अंधे व्यक्ति थे, वे एक हाथी के पास गये। एक ने उसके पैर को छूकर कहा कि यह तो पेड़ का तना है, एक ने पूंछ को छुकर कहा कि यह तो पेड़ की शाखा है और एक ने कान छूकर कहा कि यह तो छाज है। श्रीमन्, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग विपक्ष की ओर बैठे हुए हैं, और इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, वे उन ५ नेत्रहीनों की तरह से हैं। इस प्रदेश की ६ करोड़ जनता सदा-सदा के लिए इस संविद की सरकार को आशीर्वाद देगी, इस विधेयक के लिये। मैं भी एक कालिज के अन्दर प्रेसीडेन्ट था और मेरे बाद उस यूनियन के अध्यक्ष माननीय गोविन्द सिंह जी नेगी रहे।

हम लोग सरदार पटेल की जयन्ती मनाते थे, महात्मा गांधी की जयन्ती मनाते थे। कालिजों के अन्दर वे एक्टीविटीज करते थे जिनसे छात्रों के चरित्र का विकास होता था। आपके बच्चे भी विश्वविद्यालय के अन्दर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि जिन अधिकारों की आप मांग कर रहे हैं उनके पूरा होने पर आपके बच्चे शिक्षा पा सकेंगे? आज भी विश्वविद्यालय की हर फैकल्टी में एसोशियेशन हैं। अगर माननीय विकल जी ने विश्वविद्यालय तक पढ़ा हो, और मैं समझता हूं कि पढ़ा होगा, तो उन्हें मालूम होगा कि विश्वविद्यालय में हर एक फैकल्टी में एसोशियेशन्स हैं।

इस विधेयक ने केवल यह किया है कि इन फैकल्टीज में की सदस्यता को अनिवार्य कर दिया है और जो निर्वाचित लोग हों उनसे एक केन्द्रीय संसद बनेगी, प्रतिनिधि सभा बनेगी, और वह ऐसे लोगों की होगी जिनमें हर एक फैकल्टी के प्रतिनिधि होंगे, कल्चरल एसोशियेशन के प्रतिनिधि होंगे, ६० प्रतिशत नम्बर पाने वाले छात्रों के प्रतिनिधि होंगे, जो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे और जो डिबेटर्स होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे तो जो एक विद्यार्थियों की क्रीम होगी, वे इस प्रतिनिधि सभा में होंगे। उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होंगे। वह उसकी कार्यकारिणी बनायेंगे। जहां तक सदस्यता के अनिवार्य होने की बात है, अनिवार्यता उसमें रखी गयी है। जो भी छात्र होगा उसको अनिवार्यतः उसका मेम्बर होना पड़ेगा। जनसंघ ने भी यही कहा था और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भी यही कहा था कि मेम्बरशिप अनिवार्य होनी चाहिये। बताइये वह है या नहीं? वह अनिवार्य है। हर एक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से उसका मेम्बर होना पड़ेगा। यही सब पार्टियों का कहना था।

माननीय अध्यक्ष आप तो पुरानी पीढ़ी के हैं, आप नहीं जानते कि आज वहां क्या होता है। आज कल ऐसे ऐसे लड़के वहां पढ़ते हैं कि बाप भी वहीं पढ़ता है और बेटा भी वहीं पढ़ता है अपनी संतानों के साथ लोग वहां पढ़ रहे हैं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आज एक सबजैक्ट में एम० ए० किया कल को दूसरे में दाखिला ले लिया, फिर तीसरे में ले लिया। इस प्रकार से राजनीति का मंच मनाये हुये हैं। "दादा" बन कर सब लोगों पर हावी हुए बैठे हैं। इसके लिये विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है। ऐसे लोगों के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा है, जिनके कारण कालेज का अनुशासन समाप्त हो रहा है। विपक्ष में बैठ कर भी लोगों को सही बातों को कहना चाहिये, जैसे उधर बैठकर सरकार से हमने अध्यापकों के बारे में कहा। आप भी जरा अपने हृदय पर हाथ कर सोचिये।

माननीया बाजपेयी ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण दिया और कहा कि 'प्राइम मिनिस्टर वाज वर्किंग इन हरी' और उसका हवाला देकर उन्होंने कहा कि चौधरी साहब वाज वर्किंग इन हरी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि व्हाइल चौधरी साहब वाज एक्टिंग इन हरी, यू आल

]श्री नित्यानन्द स्वामी]

वर स्लीपिंग। आप लोग उस समय क्यों सो रहे थे। आपकी संख्या तो कैबिनेट में ज्यादा थी, १३ की संख्या थी आपके दल के मिनिस्टरों की। आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया ? आपने एक मत से उसको स्वीकार किया था। जैसा कि माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने कहा कि हमको आपके पापों को धोना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि हमने इसका विरोध किया। अगर आपने विरोध किया होता तो यह यहां न होता। आपने विरोध नहीं किया। आपने कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद इसलिये किया कि उसके द्वारा आप बी० के० डी० को खा जाना चाहते थे लेकिन बी० के० डी० इतनी मजबूत निकली कि खायी नहीं जा सकी। इस समय आप इसका विरोध इसलिये कर रहे हैं .... (व्यवधान) .... सुबह से शाम तक आप जनतंत्र और अनुशासन की बात कहते हैं और जब कोई बोलने लगता है तो आप शोर मचाते हैं।

आपने कहा कि वाइस चांसलर के बजाय पुलिस कमिश्नर को वहां पर सीट न दी जाय। पुलिस कमिश्नर को सीट वहां कहां दी गयी है। आपने कई बार यह बात कही है कि हमको दिवा स्वप्न होता है, मालूम पड़ता है वह दिवा स्वप्न आपको हुआ है। आपके दिल में इस बात का डर है कि जब आपके सहयोग से नक्सलपंथी कार्यवाही वहां की जायगी तो उसको समाप्त कर दिया जायगा।

श्रीमन्, जहां तक मजाक की बात है, वह दूसरी है। मैंने माननीय विकल जी से सदन के बाहर भी कहा था और अब सब माननीय सदस्यों से कहता हूं कि आप इस बिल पर इस दृष्टिकोण से विचार करें कि यूनिवर्सिटी में उनका लड़का पढ़ रहा है। इस विधेयक में ऐसी एक भी बात नहीं है जिससे लड़कों का विकास किसी प्रकार से रुक सके। विद्यार्थियों का इससे विकास होगा लेकिन राजनीति के अखाड़े से वे दूर रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने कालेज की सारी ऐक्टीविटीज को चलाने दिया जायगा। केवल कोषाध्यक्ष के पद पर और संरक्षक के रूप में अध्यापक रहेंगे। फिर इन दोनों को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। विद्यार्थियों के कार्य कलापों में वे किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डाल सकेंगे। अतः मैं फिर माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस भावना से इस बिल का समर्थन करें कि उनका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और जिसे कल देश और समाज की जिम्मेदारी को भी वहन करना है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करेंगे।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

मेरा यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्रसंघ) विधेयक १९७० एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)। उसके दो चार कारण हैं।

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

तीन मिनट मुझे बोल लेने दें।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी—

एक लाइन का प्रस्ताव है कि प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय और जो सदस्यों के नाम होंगे वह बाद में दिये जायंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप उस वक्त बोले नहीं। जब शिक्षा मंत्री बोल चुकें उसके बाद एकदम बोलना चाहिये था।

श्री गनेश दत्त बाजपेयी—

मैं पांच दफा खड़ा हो चुका हूं लेकिन आपकी कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर नहीं हुये। मैं बूढ़ा हो गया खड़े होते होते।

अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि सदन से कि बहुत विचारणीय यह बिल है। मैं इसका स्वागत भी करता हूं, यह आया है। मैं तीन चार बातें जो बुनियादी हैं,

कोठारी कमीशन के जो सजेशन हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने उस कमीशन की रिपोर्ट नहीं देखी है जिसमें लिखा है कि पालिटिकल पार्टीज को बुलाया जाय वह तय करें कि किस ढंग से यूनियनों का कांस्टीटयूशन हो। हम लोगों को जिन्होंने सारे यूनियनाइजेशन का अध्ययन किया है जानते हैं कि जो विभाग की हरिजंटल यूनियन होती है वह स्प्लिंटराइजेशन करती है। जो वर्टिकल यूनियन होती है जिसका डाइरेक्ट इलेक्शन हो उसका संगठन मजबूत करती है, चाहे वह लेबर की हो या स्टूडेन्ट्स से की हो। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि क्या विद्यार्थियों को संगठन हारिजंटल यूनियन से कर के इन डाइरेक्ट इलेक्शन करवाने से आप मजबूत यूनियन बना सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप नहीं बना सकते हैं, कृपा करके इस पर गौर कर लें। मैं इनडाइरेक्ट एलेक्शन से चुना हुआ जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हूं। मेरा यह भी निवेदन है कि ६० फीसदी के बजाय ५० फीसदी मार्क्स रखें। यों तो कानपुर में तमाम कालेज हैं उन्होंने किसी न किसी के इशारे पर ९० फीसदी तक मार्क्स ऐसे लोगों को दे दिये हैं जिनको मैं दस फीसदी न दूं। मीडियम इंटेलिजेंस के लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिये। हम खुद नहीं चाहते हैं कि कई कई साल तक यूनियन्स के अधिकारी बने रहें।

दूसरे, कोठारी कमीशन ने लिखा है कि टीचर्स, ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेन्ट्स का पोलराइजेशन रोकना चाहिये। टीचर्स चाहते हैं कि स्टूडेन्ट्स से बिलकुल अलग उनका वर्ग हो। यह पृथकता जन्म देती है सस्पिशन और अनादर को। टीचर्स के हृदय में स्टूडेन्ट्स के प्रति वात्सल्य है लेकिन उनसे अलग अलग रहने से कभी भी जो चाहते हैं, जो डेसीडरेटम है, जो उद्देश्य है टीचर्स और प्रबन्धकों का वह नहीं हो पाता है। यह पोलराइजेशन खत्म होना चाहिये। बिल में इस कमी को पाता हूं।

मैं नहीं कहता कि अभी आप इसको ठीक कर दें। आप ज्वायन्ट काउन्सिल बना दें और उस दिशा में कदम उठावें। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जो आप इतना महत्वपूर्ण बिल ला रहे हैं तो जो कोठारी कमीशन ने, आचार्य नरेन्द्र देव कमीशन ने, राधाकृष्णनन कमीशन ने जो तीन चार बुनियादी बातें रक्खी हैं कि पोलराइजेशन खतम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टीचर्स स्टूडेन्टस को उनको अन्दर ले, तो उनको रक्खें। यह जो नकशा बनाया है कि होरीजन्टल यूनियन्स हों और फेडरल सुपर स्ट्रक्चर हो और इन्डायरेक्ट इलेक्शन हो यह ठीक नहीं है। पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स का जो केन्द्रीय स्ट्रक्चर आपने बनाया है उस का डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये। इसी तरह से इसमें बहुत सी बातें विचारणीय है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनमें भगवान की कृपा से कुछ चिन्तन की सामर्थ्य है उनको भी इसमें रक्खें और इस प्रकार विचार करें। यह बड़ा वेलूएबुल बिल है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको आप सिलेक्ट कमेटी में भेजें। मैं कुछ ज्यादा इस समय नहीं कहना चाहता हूं। समय भी नहीं है।

श्री मही लाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाद-विवाद समाप्त किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने क्लोज दी थी, गिलोटिन कहा है। यह गलोटीन सदन में १० वर्ष पहले हुआ होगा। कोई लिखित प्रस्ताव नहीं आया है, मुंह जबानी सदस्य ने तीन बार अपना प्रस्ताव बदला है। श्रीमन्, आपको प्रस्ताव याद है ?

श्री अध्यक्ष—

यह निर्णय था कि सामान्य विवाद समाप्त किया जाय। ५ बज गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के पेज ४७४ का हवाला देना चाहता हूं ।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहता हूं और करूंगा ।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं चाहता हूं कि आप बैठ जायं । मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं पढ़ना चाहता हूं । जो प्रस्ताव रक्खा गया है वह सदन के इतिहास में १० साल बाद हुआ है । गिलोटिन प्रणाली यहां नहीं हुई है । जो सदस्य सरकारी पक्ष में हैं वह विरोध पक्ष में भी बैठ सकते हैं । गिलोटिन गलत काम है ।

श्री अध्यक्ष—

आप पढ़िये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन् मैं आपका ध्यान ४७४ पेज पर दिलाना चाहता हूं:

"This method is not provided for by the standing orders but is applied when the need arises, by special orders of the house, known officially as "Allocation of Time" orders, and colloquially as "Guillotine" or "Closure by compartment" orders.

चूंकि नियमों में प्राविधान नहीं होता है इसलिये यह गिलोटिन कहलाते हैं ।

"The provisions of these orders are described in detail in the third Section of this Chapter. They may be regarded as the extreme limit to which procedure goes in affirming the rights of the majority at the expense of the minorities of the House, and it cannot be denied that they are capable of being used in such a way as to upset the balance, generally so carefully preserved, between the claims of business and the rights of debate,"

श्री अध्यक्ष—

आप पूरा कीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह जो ग्लोटीन प्रणाली है वह अन्तिम सीमा है । यह ग्लोटीन की प्रणाली अन्तिम सीमा है और सदन में जो अल्पमत है उसके अधिकारों का हनन हो सकता है । इस लिए श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे हृदय में किसी प्रकार से कोई शंका या अविश्वास पैदा हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये । चूंकि सरकारी पक्ष चाहता है कि २४ को सदन उठ जाय और आपने भी कह दिया कि सदन दो दिन है जब कि सरकारी पक्ष ने नहीं कहा कि दो दिन है । श्रीमन्, कोई भी सरकार हो वह तो यही चाहती है कि एक घंटे में सारे बिल पास हो जायं । यह आपके देखने की चीज है । आप सरकार के नहीं, श्रीमन् सारे सदन के हैं । मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख हुआ एक पार्लियामेन्टेरियन होने के नाते या तो हम सारे नियम तोड़ें, या वाक आउट करें, या यह फाड़ें या हमारी सुनी जाय । हम किस प्रकार अपनी पीड़ा को आप तक पहुंचायें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कार्य मंत्रणा समिति में हैं और वह कार्य व्यवस्था निश्चित करती है। एक दफा आप रूठ गये। कल भी जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके हिसाब से कार्य हुआ। इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति में आपने कहा कि हम जाते हैं, हमारी मंशा के मुताबिक काम नहीं हुआ। कल शाम आप मुझसे कहते। मैं तो यहां था नहीं। कार्य मंत्रणा समिति में जो तय करना होता है शांति से करते हैं। लेकिन आप वहां आना नहीं चाहते। अगर इस बात पर तुल गये कि कोई भी विधेयक आयगा तो उसपर दो दो तीन तीन घंटे बोलेंगे तो कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता। मुझे आगे के लिये भी सोचना पड़ता है। कल आपने कहा ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं। आप चले ही गये। आखिर में विकल जी ने कहा कि मैं बात आपसे करूंगा। मालूम नहीं उन्होंने बात की या नहीं। अगर यह कार्य सब सदन पर ही डाल देंगे तो कार्य मंत्रणा समिति बेकार बन जायेगी। मुझे याद है। एक गिलोटीन पंचायत राज के सम्बन्ध में हुआ। टंडन जी तब यहां स्पीकर थे। उसे नैनीताल में पास कराना पड़ा। हर एक खण्ड पर घंटे भर सदस्य बोलते जायं, तो कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। मेरे पास ३१३ नियम जरूर हैं जिसका उपयोग मैं कर सकता हूं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो मुझे कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में आप आयें। मैं फिर उसकी मीटिंग बुला सकता हूं। उसमें बैठ कर बात कर लें और रीजनेबुल एटीट्यूड रखें। यह नहीं कि हम जो कहें वही सब मानें। कल आपने बतलाया भी नहीं कि कौन सी चीज हो गयी जिससे नाराज होकर आप चले गये।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

१८ तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उसमें यह निश्चय हुआ था कि यह जो विधेयक और अननुमोदन का प्रस्ताव है उसे २२ तारीख को दिन भर लेंगे। हम इसको भी रखना चाहते थे और सब लोगों ने इस पर सहमति भी दे दी थी कि कौन सी चीज पहले आ जाय। यह चीज तय नहीं हो सकी थी इसलिये एक ही रोज का कार्यक्रम हो गया था। मैं नहीं जानता कि तिवारी जी इस बात को मानेंगे या नहीं। तिवारी जी और विकल जी जानते हैं कि इस तरह की बातचीत हुई थी। उस दिन रिकार्डिंग इसलिये नहीं हुई थी कि कौन सी चीज अननुमोदन की या और कोई चीज हो यह तय नहीं हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय भी वहां पर थे और यह तय हुआ था कि २२ तारीख को ये दोनों ही ले लिये जायं। यह तो आप ही की तरफ से सुझाव था कि यह लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

"If on any occasion with the delay any motion becomes unduly protracted, the Speaker may, after taking the sense of the house fix the time limit for the conclusion of the discussions on any stage or all stages of the bill or the motion as the case may be."

ऐसा इसमें दिया है। मेरा कहना यह था कि क्यों इस प्रकार का झगड़ा हो। आप बीच में ही उठकर दरवाजे पर आ जायं और कह जायं कि मैं नहीं आऊंगा। इस प्रकार का रोष क्यों हो? और अगर ऐसा होता है तो सदन के सामने यह भी आयेगा और उस समय इसको मैं ही कन्ट्रोल करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, आप ऐसे शब्दों को कह रहे हैं। श्रीमन्, आपने कहा कि रूठ गये। यह पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह पार्लियामेंट्री शब्द है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं नहीं जानता कि आप क्यों रूठ रहे हैं। मान्यवर, आप आज सारे विरोधी दल से रूठे नजर आते हैं लेकिन हम आपसे रूठे नहीं हैं।

श्री श्रीपति मिश्र--

जब पहले बहस प्रारम्भ हुई तिवारी जी ने आरम्भ की और उसके आगे भी कुछ हुआ और यह बहस बढ़ती ही गई थी। फिर माननीय चतुर्भुज शर्मा जी खड़े हुये। कृष्ण चन्द्र शर्मा जी बोल चुके थे। लाल बत्ती जल चुकी थी। पांच मिनट उनको और दिये गये और यह सोच कर कि उनके बाद कोई चीज नहीं आयेगी। मैं तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि ये सब बाधा ही हैं जिससे और तरह की प्रक्रियाओं का सहारा लेना ही पड़ता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सरकार को एक ही चिन्ता है कि जिस तरह से हो यह विधेयक पारित हो जाय। हम चाहते हैं कि विधेयक का जो रूप है, प्रारूप है वह सबके सामने आ जाय। इस कारण सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना चाहिये। इस कारण मैं आग्रह करूंगा, श्रीमन्, कि इसका अवसर दें।

श्री बंसत लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, इस बिल के बारे में जो मतदान होगा उसकी आपने राय ले ली थी। हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि कृष्ण चन्द्र जी को ५ मिनट का समय दे दें तो हम शान्तिपूर्वक सहयोग प्रदान करेंगे। पांच मिनट का समय इसीलिये दिया था कि फिर कोई बहस नहीं होगी। मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि ६ तो यों ही हो जायेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र--

मान्यवर, मेरा भाषण चल रहा था और व्यवधान के बीच आपने कुछ माननीय सदस्यों से कहा था और आपने मुझे बोलने की इजाजत दी थी.....

श्री अध्यक्ष--

आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बैठिये।

श्री श्रीपति मिश्र--

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे दो-एक बातें कहनी हैं क्योंकि इस पर अनेक प्रकार की बहस होती चली आ रही है। मुझे तो इतना कहना है कि मैं उम्मीद करता था.....

श्री अध्यक्ष--

आपके सामने प्रवर समिति का भी सवाल है।

श्री श्रीपति मिश्र--

मुझे ध्यान है। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं उम्मीद करता था कि इस सम्बन्ध में जो भी विवाद होगा वह एक निश्चित विवाद होगा। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसको पढ़ा नहीं गया होगा, लेकिन जब माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा ने डीन और फैकल्टी के लोग और दूसरे दूसरे लोगों की बातें करने लगे तो उस समय क्रोध में ज्यादा बहस हो रही थी--अध्ययन से

कम बहस हो रही थी। मुझे उसके बारे में कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। माननीय बाजपेयी ने बताया कि जो इनडाइरेक्ट इलेक्शन होगा उससे ज्यादा अच्छाई नहीं होगी, बल्कि नुकसान होगा और कहा कि एक ही यूनियन होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यूनियन तो एक ही रहेगी। हर विषयों के लिये चुनाव होगा और कार्यकारिणी से मिलकर एक सामान्य सभा होगी। तो इस तरह से एक केन्द्रीय यूनियन होगी। इससे पहले चुनाव जो होता था वह आम चुनाव से होता था। आम चुनाव के के नतीजों के सम्बन्ध में वाइस चान्सलर, गार्जियन्स, कोठारी कमीशन, इस तरह के जितने लोग हैं जिनकी राय और सम्मति इस सम्बन्ध में आवेश हो सकती थी, उसकी सारी सम्मति से यह विधेयक बना है और इस तरह की इसमें बात नहीं है कि हम डाइरेक्ट चुनाव करें। इसलिये इन सब चीजों को देखते हुये यह सब किया गया है और इसका जो रूप बना है इस रूप में कोई बाधा इसके पास करने में नहीं होनी चाहिये। मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि बिल को पास करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक १९७० प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में — परिभाषाएं

(क) "विश्वविद्यालय अधिनियम" का तात्पर्य किसी ऐसे उत्तर प्रदेश अधिनियम से है जिसके द्वारा अथवा जिसके अधीन कोई विश्वविद्यालय निगमित हो,

(ख) "कालेज" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय अधिनियम में यथा परिभाषित किसी सम्बद्ध कालेज, सहयुक्त कालेज या संघटक कालेज से है,

(ग) "पाठ्य-विषय" का तात्पर्य ऐसे विषय से है जिसके लिये एक पृथक अध्ययन बोर्ड हो,

(घ) ऐसे अन्य पदों के, जो यहां पर परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिय विश्वविद्यालय अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों में दिये गये हों।

श्री अध्यक्ष—

खण्ड २ पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

छात्र-संघ की अनिवार्य सदस्यता

३--(१) किसी विश्वविद्यालय या कालेज में प्रविष्ट प्रत्येक छात्र धारा ४ में उल्लिखित संघों में से अपनी इच्छा के किसी एक संघ की सदस्यता के लिये दो रुपया वार्षिक चन्दे का भुगतान करेगा।

(२) उक्त चन्दा छात्रों से शिक्षा वर्ष के प्रथम महीने में, देय शिक्षा शुल्क के साथ वसूल किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा चन्दा ३० जून, १९७१ को समाप्त होने वाले शिक्षा वर्ष के संबंध में वसूल नहीं किया जायगा।

(३) कोई छात्र, जो उपधारा (१) के अधीन अपने द्वारा चुने गये संघ के अतिरिक्त ऐसे एक या एकाधिक संघ का सहयुक्त सदस्य होना चाहे तो प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त संघ के लिये एक रुपया वार्षिक चन्दे का अतिरिक्त भुगतान करेगा।

(४) किसी छात्र द्वारा धारा ६ में उल्लिखित केंद्रीय संघ में अपनी सदस्यता के लिये कोई अतिरिक्त चन्दा देय नहीं होगा, किन्तु धारा ३ में उल्लिखित संघों की सदस्यता या सहयुक्त सदस्यता के लिए वसूल किये गये चन्दे में से एक-तिहाई का भुगतान केंद्रीय संघ की निधि में उक्त संघों के अंशदान के रूप में किया जायगा।

श्री वीर बहादुर सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के शब्दों "धारा ४ में उल्लिखित संघों में से अपनी इच्छा के किसी एक" के स्थान पर शब्द 'अपने विश्वविद्यालय या कालेज के छात्र' रख दिया जाय।

मान्यवर, यह जो विधेयक रखा गया है इसमें बुनियादी गड़बड़ी है क्योंकि मूल विधेयक को ही बदल दिया गया है और उल्टा-सीधा कर दिया गया है।

एक बात तो यह है कि जब तो विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिये था और जो टीचर्स मामले में जानकारी रखते थे उनको भी बुला कर इस विधेयक के बनाने में उनका सहयोग सरकार को लेना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सरकार मनमाने ढंग से यह विधेयक लायी है जो विद्यार्थियों के लिये हितकर नहीं है।

दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी डायरेक्ट इलेक्शन न करके इनडायरेक्ट इलेक्शन कर सकेंगे, डायरेक्ट नहीं कर पायेंगे। जो विद्यार्थी पैसे वाला होगा वह अध्यक्ष हो सकेगा और जो विद्यार्थी गरीब होगा, अच्छा तथा भला होगा वह नहीं चुना जा सकेगा। इसमें तरह-तरह की गड़बड़ी होगी।

श्री श्रीपति मिश्र--

मुझे माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के शब्दों "धारा ४ में उल्लिखित संघों में से अपनी इच्छा के किसी एक" के स्थान पर शब्द "अपने विश्वविद्यालय या कालेज के छात्र" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(इस समय ५ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नित्यानन्द स्वामी पीठासीन हुए।)

छात्र यूनियन के तीन हिस्से कर दिये गये हैं यानी तीन यूनियनें कर दी गयी हैं और उनका एक प्रतिनिधि केन्द्रीय यूनियन में आयेगा और इस तरह से १०, २० प्रतिनिधि उसमें आ पायेंगे और तब वह केन्द्रीय छात्र यूनियन बनेगी जो सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेगी और अगर कोई विद्यार्थी फेल हो गया हो तो वह यूनियन में भाग नहीं ले सकेगा। यह बिल्कुल उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन है।

श्री श्रीपति मिश्र--

मुझे दुख है अधिष्ठाता महोदय कि माननीय सदस्य किसी छात्र के फेल होने को उसका फंडामटल राइट समझते हैं। मुझे उनका संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय। अभी कोठारी कमीशन का नाम लिया गया। कोठारी कमीशन में एक बात यह कही गयी है कि आप यूनीवर्सिटी तथा कालेज यूनियन की मदद करेंगे लेकिन सरकार ने जो यह विधेयक रखा है उसमें कहीं यह नहीं रखा गया है कि विद्यार्थी को छात्र यूनियन को, यूनिवर्सिटी अथवा कालेज अथवा यह सरकार कोई सहायता देगी। आपने यह रखा है कि छात्र यूनियन बना लें और पैसा इकट्ठा करके काम करें। यह सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है।

श्री श्रीपति मिश्र--

मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। आप को ज्ञात होगा कि हर कालेज की छात्र यूनियन बनेगी। वह अपना १/३ धन केन्द्रीय संघ को देगी और उससे वह संघ संचालित होगा। उसके लिये पैसे का अभाव नहीं रहेगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

संघों का वर्ग

४--(१) विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक कालेज में निम्नलिखित छात्र-संघ होंगे, अर्थात:--

(१) प्रत्येक पाठ्य विषय की उन्नति के लिए एक संघ,

(२) सामाजिक सेवा की उन्नति के लिए एक संघ,

(३) सांस्कृतिक कार्यकलापों की उन्नति के लिए एक संघ।

(२) प्रत्येक सदस्य उपधारा (१) में उल्लिखित संघों में से किसी एक संघ का, जिसे वह चुने, सदस्य बन जायगा।

(३) कोई छात्र अपनी इच्छानुसार धारा ३ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट अतिरिक्त चन्दे का भुगतान करने पर एक या एकाधिक अन्य संघों का सहयुक्त सदस्य बन सकता है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिष्ठाता जी, अभी तक ऐसा होता था कि जिसको आप केन्द्रीय यूनियन कह रहे हैं उसमें हर फैकल्टी से कार्यकारिणी के लिये सदस्य चुने जाते थे। आपने ऐसा कर दिया है कि जो तीन यूनियनें बनादी हैं, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी ही वहां पहुंच पायेंगे। उससे हर फैकल्टी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा।

श्री श्रीपति मिश्र---

मान्यवर, यह मैं नहीं मानता हूं। इसका कारण यह है कि जो यूनियन बनेगी उसकी कार्यकारिणी के चुने हुये पदाधिकारी सभी सदस्य सामान्य सभा के सदस्य होंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

संघ की कार्यकारिणी समिति का संगठन

५---(१) प्रत्येक संघ की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(१) संरक्षक .. जो अध्यापकों में से, यथास्थिति, उपकुलपति या प्रिंसिपल द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(२) अध्यक्ष
(३) उपाध्यक्ष
(४) सचिव एवं संपादक
(५) संयुक्त सचिव
(६) पांच अन्य सदस्य
} जो संघ के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित किये जायंगे।

(७) कोषाध्यक्ष .. जो संरक्षक द्वारा अध्यापकों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(२) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक संघों की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं होगा।

(३) किसी संघ का कोई सदस्य कार्यकारिणी समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा, यदि--

(क) वह उसी विश्वविद्यालय या कालेज में अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या कालेज में एक से अधिक शिक्षा-वर्ष के लिए एक ही कक्षा में रहा हो; या

(ख) उसकी आयु उस शिक्षा वर्ष की पहली जुलाई को २५ वर्ष से अधिक हो; या

(ग) उसने दो से अधिक स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त कर ली हों।

स्पष्टीकरण---इस धारा तथा धारा ७ के प्रयोजनों के लिए, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, बेचलर आफ लाज की डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री मानी जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह---

मान्यवर, मेरा संशोधन यह है.....

श्री महीलाल---

मान्यवर, जिनका संशोधन है वही पेश कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

उन्होंने अनुमति ले ली है।

श्री गोविन्द सिंह---

मान्यवर, यह विधेयक और खंड किस के लिये लाया जा रहा है यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजेज के विद्यार्थियों के लिये लाया जा रहा है। २१ वर्ष का नवयुवक चाहे वह पढ़ा लिखा न हो इस सदन का सदस्य हो सकता है और वह मुख्य मंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है और करोड़ों रुपयों का बजट स्वीकृत कराकर खर्च कर सकता है। लेकिन एक ग्रेजुयेट और पोस्ट ग्रेजुयेट जो २१ साल का है जो जनतंत्र का पाठ पढ़ता है वह कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बन सकता है। क्या आप जनतंत्र को मिसाल उस नौजवान को देना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है? कितनी बड़ी डिसपैरिटी है। मंत्री जी बतायें कि इसके पीछे उनका मंशा क्या है? २१ वर्ष के नवयुवक को चाहे वह पढ़ा लिखा न हो पार्लियामेंट के लिये वोट देने का तथा विधान सभा का सदस्य होने का अधिकार हमारे संविधान ने दे रखा है। लेकिन यहां पर अधिकार नहीं देते हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि सामान्य सभा में कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य होंगे। एक नियम यह है फर्स्ट डिवीजन होगा। अगर २५ साल की उम्र की कैद रखी जायेगी तो वह यूनिवर्सिटी से निकल चुका होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हर विद्यार्थी जो शिक्षा संस्था में प्रवेश लेता है और जिससे यूनियन की फीस वसूल की जाती हो उसको कार्यकारिणी में आने का अधिकार होना चाहिये.....

श्री श्रीपति मिश्र---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो २५ वर्ष का जिक्र किया है, यह बात सही है कि कहीं-कहीं ज्यादा दिन रहना अनुभव की बात होती है, प्रशंसा की बात होती है लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में, किसी क्लास में २५-३० वर्ष की उम्र तक रहना कोई अनुभव की या उत्तम बात नहीं है। माननीय सदस्य ने जो इस सदन में २५ वर्ष के सदस्यों के आने की बात कही है, वह तो यहां आना एक प्रतिभा की बात है लेकिन २५ वर्ष तक यूनिवर्सिटी में पड़ा रहना, यह अयोग्यता की बात है और इसको मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

केन्द्रीय संघ का संघटन और उसके कृत्य

६---(१) विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक कालेज के लिए एक केन्द्रीय संघ होगा जो धारा ४ में उल्लिखित संघों का शीर्ष-निकाय होगा।

(२) केन्द्रीय संघ के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात ---

(क) धारा ४ में उल्लिखित संघों के कार्यकलापों का समन्वय करना

(ख) छात्रों में सामूहिक, साहचर्यपूर्ण तथा बौद्धिक जीवन को बढ़ावा देना;

(ग) छात्रों के मानस में लोकतांत्रिक परम्पराओं को बैठाना, और

(घ) सामान्यतया उनके कल्याण और हित की देखभाल करना।

(३) उक्त कृत्यों को पूरा करने के लिये केन्द्रीय संघ,—

(क) सामयिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समस्याओं पर व्याख्यान-माला, वाद-विवाद, विचार गोष्ठियां तथा वक्तृता प्रतियोगितायें आयोजित करना और सामान्य रुचि के व्याख्यानों तथा अध्ययन मण्डलियों का आयोजन करना तथा प्रदर्शनियों और सामूहिक जलसों का आयोजन करना;

(ख) पुस्तकालय, वाचनालय, पुस्तक-बैंक और जलपान गृह का अनुरक्षण करना;

(ग) स्वावलम्बन प्रेरक एवं समाजसेवी कार्यकलापों का सूत्रपात तथा संगठन करना; तथा

(घ) किसी भी विषय के, जिससे छात्रों के कल्याण और हित पर प्रभाव पड़ता हो, सम्बन्ध में, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या कालेज के प्राधिकारियों को प्रत्यावेदन देना।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ का उपखंड (१) निम्न प्रकार पुनः लिखा जाय—

"६—(१) विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक कालेज के लिये एक छात्र संघ होगा जिसका विश्वविद्यालय या कालेज का प्रत्येक छात्र अनिवार्यतः सदस्य होगा।"

अध्यक्ष जी, यह परम्परा रही है कि जो विद्यार्थी २ रुपये सदस्यता शुल्क दे देता था वह अपनी यूनियन का मेम्बर हो जाता था। आज हम जो यह व्यवस्था बनाये हैं, जो नियम बनाये हैं उसमें कहा गया है कि तीन यूनियनें बनेंगी, उसमें से किसी एक यूनियन का सदस्य उसे बन जाना है। पहले यह था कि सिर्फ एक यूनियन ही थी। इस नियम के लागू होने से विद्यार्थियों में एक अलगाव की भावना पैदा होगी क्योंकि हर फैकल्टी का असोसिएशन होगा और इस तरह से तीन यूनियनें होंगी जिससे कोई फायदा नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो पुरानी परम्परा रही है उसके अनुसार एक ही यूनियन रहे और जो विद्यार्थी २ रुपये जमा करे उसको मेम्बर मान लिया जाय और उसी के अनुसार यूनियन का काम चले।

श्री श्रीपति मिश्र—

पुरानी परम्परा के अनुसार यूनियन को चलाने की बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी एक ऐसे प्रतिभाशाली सदस्य के मुंह से। लेकिन मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वे किसी न किसी विषय से सम्बन्धित असोसिएशन के सदस्य होंगे ही और इस प्रकार प्रत्येक छात्र अपनी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी असोसिएशन का अनिवार्य सदस्य होगा। उस असोसिएशन का चुनाव होगा, और उसका वह चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। इसलिये मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (१) निम्न प्रकार पुनः लिखा जाय—

"६—(१) विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक कालेज के लिये एक छात्र संघ होगा जिसका विश्वविद्यालय या कालेज का प्रत्येक छात्र अनिवार्यतः सदस्य होगा।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि खंड ६ का उपखंड (२) (क) निकाल दिया जाय। इसमें जो प्राविधान किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं इसलिये इसको निकाल दिया जाय।

श्री श्रीपति मिश्र---

श्रीमन्, इसमें जो तीन यूनियन की बात कही गयी है, तो यूनियन तीन नहीं हैं, असोसिएशन्स हैं और एसोसिएशन का हर विद्यार्थी यूनियन में है इसलिये मुझे इसे निकालना स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (२) (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

केन्द्रीय संघ की सामान्य सभा

७---(१) केन्द्रीय संघ की एक सामान्य सभा होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:---

(क) संरक्षक, उपकुलपति या प्रिंसिपल, जैसी भी दशा हो;

(ख) धारा ४ में उल्लिखित प्रत्येक संघ की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं संपादक, संयुक्त सचिव तथा निर्वाचित सदस्य;

(ग) प्रत्येक छात्र, जिसने पूर्ववर्ती शिक्षा वर्ष में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा के प्रथम भाग की परीक्षा या अन्तिम परीक्षा या साठ प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों;

(घ) धारा ४ में उल्लिखित प्रत्येक संघ का एक सदस्य, जिसे विश्वविद्यालय की दशा में डीन द्वारा, तथा किसी कालेज की दशा में विभागाध्यक्ष द्वारा सर्वोत्तम वक्ता निर्णीत किया गया हो;

(ङ) विश्वविद्यालय या कालेज, जैसी भी दशा हो, द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक छात्रावास या हाल का ज्येष्ठ छात्रावास-प्रिफेक्ट;

(च) सभी खेलों और क्रीड़ाओं की, जिनके लिये यथास्थिति, विश्वविद्यालय या कालेज, विशिष्ट चिह्न प्रदान करता है, टीमों के कप्तान (जो गैर-खिलाड़ी कप्तान न हों);

(छ) प्रत्येक ऐसा छात्र, जिसने खेलकूद की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अखिल भारतीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिता में विशेष सम्मान अर्जित किया हो या जिसने प्रतियोगी के रूप में उक्त परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अखिल भारतीय प्रतियोगिता में राज्य का या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का, प्रतिनिधित्व किया हो।

(२) सामान्य सभा केन्द्रीय संघ का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय होगा।

(३) सामान्य सभा में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

(क) अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष
(ग) सचिव
(घ) संयुक्त सचिव

} जो सामान्य सभा के सदस्यों द्वारा, किसी विश्वविद्यालय की दशा में छात्र कल्याण के डीन और किसी कालेज की दशा में प्रिंसिपल द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अध्यापक के पर्यवेक्षण में हुये, निर्वाचन में गुप्त मतदान द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(४) सामान्य सभा वर्ष के बजट पर, जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाय, विचार करेगी और उसे पारित करेगी।

(५) इसे विचार गोष्ठियां, वक्तृता प्रतियोगितायें और अध्ययन मण्डलियों को विनियमित करने के लिये उपविधियां बनाने का अधिकार होगा।

(६) इसकी एक शिक्षा-वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी, और इसकी बैठकें अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा बुलायी जायेंगी।

(७) इसका कार्यकाल शिक्षा वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे :—

"७—(१) विश्वविद्यालय या कालेज छात्र संघ की सामान्य सभा होगी, जिसका विश्वविद्यालय या कालेज का प्रत्येक छात्र अनिवार्यतः सदस्य होगा,

(२) सामान्य सभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :

(क) अध्यक्ष,
(ख) उपाध्यक्ष,
(ग) सचिव,
(घ) संयुक्त सचिव,
(ङ) इक्कीस कार्य समिति के सदस्य।

(३) उपधारा (२) में इंगित पदाधिकारियों का चुनाव संघ के समस्त सदस्यों द्वारा 'एक सदस्य एक वोट' सिद्धान्त के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा किया जायगा।"

मान्यवर, धारा ७ के अन्दर केन्द्रीय संघ का गठन किया गया है जिसके सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत गुणगान गाया है कि इसमें छात्रों की क्रीम पहुंचेगी। मुझे एक चायनीज कहानी याद आती है छोटी सी। एक चायना मैन ने एक खरगोश मारा और उसका सूप बनाया। उनके एक मित्र पहुंचे। कहा, क्या है? तो उन्होंने सूप पिलाया। बहुत पसन्द किया। दूसरे दिन एक और सज्जन पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपने खरगोश मारा है और बड़ा अच्छा सूप बनाया है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मित्र का मित्र हूं। तो उन्होंने उनको भी सूप पिलाया। तीसरे दिन एक साहब और पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मित्र के मित्र का मित्र हूं। तो उन्होंने उनको भी सूप दिया। वह बहुत पतला था। तो उन्होंने शिकायत की कि सब को तो बढ़िया सूप पिलाया और मुझको एकदम पानी दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई, जैसे आप मित्र के मित्र के मित्र ह बैसे ही यह सूप के सूप का सूप है। तो यह प्रजातंत्र के प्रजातंत्र का प्रजातंत्र बना रही है धारा ७। मैं नहीं चाहता कि यह चायनीज सूप पिलाया जाय। इसमें जो दावा किया गया

है कि सामूहिक जीवन का अंग बनेगा, मान्यवर, नित्यानन्द स्वामी जी यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं (हंसी) मान्यवर, आप की उस हैसियत को मैं नहीं देख पा रहा हूं जिस हैसियत में आपने वह शब्द कहे थे। आपने दिवा स्वप्न की बात कही थी। तो यह दिवा स्वप्न के नहीं सन्निपात के शब्द हैं क्योंकि सामूहिक जीवन का जहां तक सवाल है पूरे विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वर्ष में एक दिन भी सारे छात्र सामूहिक रूप में बैठें। उनके सामूहिक जीवन पर यह कुठाराघात है। दूसरे, कौन विद्यार्थी वहां पहुंचेंगे? जो साधन सम्पन्न होंगे, जिनको हमेशा से पढ़ने-लिखने की सुविधा रही है। उस विद्यार्थी का वर्गीकरण कहां हुआ जो गरीब ह, जिसको पढ़ने-लिखने की दिक्कत है? उसका स्थान इसमें कहीं नहीं है क्योंकि सांस्कृतिक, पढ़ाई और सामाजिक कार्यक्रमों से लड़कों का भेद नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी कालेज में कोई विद्यार्थी जा रहा है तो यह जरूर पहचाना जा सकता है कि यह गरीब का लड़का है या साधन सम्पन्न का लड़का है। उस आधार पर इस विधेयक में कोई कार्यक्रम नहीं है और सामाजिक परिस्थिति से अलग है.....

श्री अधिष्ठाता--

आप संशोधन पर ही बोलिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह इनडायरेक्ट रूप से जिसमें रुपये की प्रधानता होगी और मेम्बर खरीदा जा सकता है इसके बदले डायरेक्ट एलेक्शन हो, हर एक छात्र का एक वोट हो।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि दावा भरा जाता है कि इससे शिक्षा का, छात्रों का और प्रजातंत्र का पोषण हो रहा है। तो इस सरकार का राज्याभिषेक प्रजातंत्र के रक्त से हुआ है जिस तारीख से यह असेम्बली बैठी है। क्योंकि छात्र और शिक्षक आज सिकचों के अन्दर बैठे हुये हैं। अब अगर कोई राजनैतिक पाप का घटक बच गया है तो वह राजनैतिक घटक इससे पूरा होगा और बढ़ेगा। यह पुरानी कहावत है कि घटक फिर रहता नहीं है वह फूट जाता है।

श्री श्रीपति मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारतीय पंचामृत है चाइनीज सूप नहीं बना है। यह भारतीय पंचामृत बने यही हमारा प्रयत्न है। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"७--(१) विश्वविद्यालय या कालेज छात्र संघ की सामान्य सभा होगी जिसका विश्वविद्यालय या कालेज का प्रत्येक छात्र अनिवार्यतः सदस्य होगा।

२--सामान्य सभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:--

(क) अध्यक्ष,
(ख) उपाध्यक्ष,
(ग) सचिव,
(घ) संयुक्त सचिव,
(ङ) इक्कीस कार्य समिति के सदस्य।

(३) उपधारा (२) में इंगित पदाधिकारियों का चुनाव संघ के समस्त सदस्यों द्वारा 'एक सदस्य एक वोट' सिद्धान्त के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८ से १४, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

केन्द्रीय संघ की कार्यकारिणी समिति

८—(१) केन्द्रीय संघ की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जो इसकी कार्यकारी प्राधिकरण होगी और वह सामान्य सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(२) केन्द्रीय संघ की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात—

(क) अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष
(ग) सचिव
} वही होंगे जो सामान्य सभा के क्रमिक पदों के धारी हों।

(घ) संयुक्त सचिव
(ङ०) सम्पादक एवं पुस्तकाध्यक्ष
} जो सामान्य सभा के सदस्यों द्वारा, किसी विश्वविद्यालय की दशा में छात्र कल्याण के डीन और किसी कालेज की दशा में प्रिंसिपल द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अध्यापक के पर्यवेक्षण में हुए, निर्वाचन में गुप्त मतदान द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(च) दस अन्य सदस्य

(छ) किसी विश्वविद्यालय की दशा में छात्र-कल्याण के डीन, और किसी कालेज की दशा में एक ऐसा अध्यापक जो प्रिंसिपल द्वारा नाम-निर्दिष्ट हो।

(ज) कोषाध्यक्ष, जो, यथास्थिति, उप-कुलपति या प्रिंसिपल द्वारा नाम-निर्दिष्ट अध्यापक होगा।

(३) कार्यकारणी समिति बजट तैयार करेगी और उसे सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(४) यह सामान्य सभा के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, संघ के सभी कार्यकलापों तथा निधियों पर नियन्त्रण रखेगी।

(५) इसकी बैठक साधारणतया महीने में एक बार होगी और किसी भी दशा में दो बैठकों के बीच का अन्तराल दो माह से अधिक नहीं होगा जिसमें सत्र के लिए विश्वविद्यालय या कालेज के पुनः खुलने के दिनांक से एक महीने की अवधि और वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक महीने पहिले की अवधि की गणना नहीं होगी।

(६) इसकी बैठकें अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा बुलाई जायेंगी।

(७) इसका कार्यकाल शिक्षा वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त हो जायगा, किन्तु जब तक कि नयी सामान्य सभा संघटित न हो जाय, कोषाध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा और उस पद के केवल उन अधिकारों का प्रयोग करेगा जो संघ की निधियों को अनुरक्षित रखने और बहिर्गामी कार्यकारिणी समिति द्वारा नियमित रूप से व्यपगत व्यय के सम्बन्ध में किसी देय धन का भुगतान करने के लिए आवश्यक हो।

संघों और इसकी निकायों तथा अधिकारियों के संबंध में प्रक्रिया और अधिकार

९—सामान्य सभा के पदाधिकारियों और केन्द्रीय संघ की कार्यकारिणी समिति के अधिकार, कर्तव्य और कृत्य तथा निर्वाचन की प्रक्रिया और इन निकायों तथा विभिन्न संघों की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

कल्याण बोर्ड

१०—(१) छात्रों के कल्याण तथा हित पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में, यथास्थिति, उप-कुलपति या प्रिंसिपल को परामर्श देने के लिये एक कल्याण बोर्ड होगा।

(२) इसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) उपकुलपति या प्रिंसिपल, जैसी भी दशा हो,

(ख) किसी विश्वविद्यालय की दशा में समस्त डीन और किसी कालेज की दशा में समस्त विभागाध्यक्ष,

(ग) किसी विश्वविद्यालय की दशा में प्राक्टर,

(घ) केन्द्रीय संघ की कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्य।

(३) इसकी बैठक एक शिक्षा वर्ष में कम से कम तीन बार, यथास्थिति, उपकुलपति या प्रिंसिपल की अध्यक्षता में होगी।

यह अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियमों तथा अध्यादेशों पर अभिभावी होगा

११—इस अधिनियम के उपबन्ध, भले ही किसी विश्वविद्यालय अधिनियम या किन्हीं परिनियमों अथवा अध्यादेशों में कोई प्रतिकूल बात दी हो, प्रभावी होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

१२—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन, सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

१३—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम को प्रवृत्त करने के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में आदेश प्रकाशित करके, यह निदेश दे सकती है कि अधिनियम या कोई विश्वविद्यालय अधिनियम अथवा तद्धीन बनाया गया कोई परिनियम या अध्यादेश, तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के दौरान जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा।

(२) उप धारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ९, १९७० का निरसन

१४—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्रसंघ) विधेयक, १९७०

छात्रों में स्वस्थ दिशा में सामूहिक, साहचर्यपूर्ण तथा बौद्धिक जीवन को बढ़ावा देने और उनके मानस में लोकतांत्रिक परम्पराओं को बैठाने के उद्देश्य से राज्य के विश्वविद्यालयों और उनके संघटन, सहयुक्त तथा सम्बद्ध कालेजों के छात्र-संघों की सदस्यता और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रवृत्ति

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र-संघ) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय और उसके कालेजों के सम्बन्ध में लागू होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मैं श्रीमन्, इस खंड ८ का विरोध करना चाहता हूं। वह इसलिये कि इतने संकोच के साथ जो सामान परोसा गया है उसमें बड़ी कोताही की गई है। यह जो विधेयक पास हो रहा है इसमें रखा गया है कि यह जुलाई, १९७१ से पहले लागू नहीं होगा अगर सरकार इस बात पर विश्वास करती है कि यह सही चीज है तो आज से ही इसको लागू कर देना चाहिये। कोई इलाज अगर सरकार सही मानती है तो उसमें देर करने की क्या आवश्यकता है। ६ महीने के बाद पता नहीं है कि नोट बैंक में भुनेगा या नहीं? आज दिसम्बर है और जुलाई की बात कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो विधेयक है इसको तत्काल लागू किया जाय क्योंकि अगर उन को विश्वास है तो जल्दी होनी चाहिये यों तो वहां मर्ज मलेरिया का है और इलाज जुखाम का कर रहे हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मैं भी मन्त्री जी से अपील करती हूं कि कम से कम इस संशोधन को तो वह मान लें।

श्री श्रीपति मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अवश्य इसको स्वीकार कर लेता लेकिन इसको स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि जनवरी में ही उनकी पढ़ाई को बन्द कर के चुनाव करायें। उससे उनका बहुत नुकसान होगा। इसलिये मैं उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता हूं। इसलिये जुलाई से जब सत्र आरम्भ होगा तब से यह शुरू किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, खण्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीपति मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

*श्री जगदीश गांधी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने कृपा कर के मुझे इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस विधेयक की उपयोगिता का सब से बड़ा सबूत तो यह है कि इधर के लोगों के विचारों को सुनने के बाद और उनसे सहमत होने के बाद विरोधी पक्ष के अधिकतर लोग सन्तुष्ट हो कर चले गये और यह इस बात का सबूत है कि जो विचार इधर से रखे गये वे मान्य हैं। दूसरे, किसी भी राष्ट्र की सब से बड़ी और मूल्यवान सम्पत्ति उस राष्ट्र के युवक होते हैं और वे यदि स्वस्थ, मेधावी, चरित्रवान, विचारवान हों तो उस राष्ट्र का परम सौभाग्य होता है। ज्ञान की पिपासा को लेकर जो छात्र विश्वविद्यालय में जाते हैं वही वास्तव में छात्र हैं, जो क्षात्रों के अनुशासन का पालन करते हैं वे ही हमारे भावी नागरिक बनते हैं।

इस विधेयक में जो बातें लिखी हुई हैं उनमें से एक भी बात का विरोध विरोधी पक्ष की ओर से नहीं हुआ है। इस विधेयक के खंड ४ (१) में लिखा है कि हर एक पाठ्य विषय के लिये एक संघ बनेगा, क्योंकि पाठ्य विषयों के संघ ठीक से नहीं चल रहे थे इसलिए इसका किसी ने विरोध नहीं किया। दूसरा था कि शिक्षा के लिए संघ बने, उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया। इसी तरह से आगे है कि सामाजिक शिक्षा की उन्नति के लिये एक संघ बने, सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिये एक संघ बने, इसका भी किसी ने विरोध नहीं किया है। इस बिल के जितने भी उद्देश्य हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। इसमें है कि विद्यार्थियों के सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक और अन्य समस्याओं पर व्याख्यानमाला, वादविवाद, विचार, गोष्ठियां, वक्तृता प्रतियोगितायें आदि होंगी और इन अच्छी-अच्छी चीजों का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। म कहना चाहता था कि आज सबेरे से इतनी देर तक किसी भी माननीय सदस्य ने विधेयक की किसी भी बात का विरोध नहीं किया है और उधर के लोगों को भी दिल से सब बातें पसन्द आई हैं और इस की सब बातों को उधर के लोग पसन्द करते हैं और इसके लिये मैं विरोध पक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं।

केवल एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय श्री कमलापति जी जो इस अध्यादेश के हवाई जहाज पर चढ़कर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आना चाहते थे उस पर वह नहीं आ सके, यह उनका सहारा था लेकिन उसको पकड़कर भी वह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं बन सके। मैं उनसे कहूंगा कि यदि वह यहां का मुख्य मन्त्री बनाना चाहते हैं तो वह विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों की कोई भलाई की बात सोचें। आज इस प्रदेश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है और उस को दूर करने के लिये ही चौधरी चरण सिंह के दिल में यह भावना थी कि हमारे विद्यार्थियों के लिये ऐसा वातावरण बने कि वह शिक्षा संस्थाओं में शांतिपूर्वक विद्यालाभ कर सकें और इसी के लिये उन्होंने यह अध्यादेश लाये थे। यह अध्यादेश इस प्रदेश के लिये ही नहीं सारे प्रदेश के लिये एक आदर्श सिद्ध होगा और शांति के साथ विद्यार्थी अपना विद्या उपार्जन कर सकेंगे और उसके बाद बेरोजगारी और गरीबी को दूर कर सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णचन्द्र—

श्रीमन्, यह विधेयक पर बोल रहे हैं या और किसी विषय पर ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय जगदीश गांधी जी माननीय चरण सिंह की कितनी ही तारीफ करें उन्हें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है।

श्री श्रीपति मिश्र—

अब मुझे कुछ और नहीं कहना है। मैं यह चाहूंगा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७०, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र गौर के ग्राम सेवक श्री राम कृपाल मिश्र की सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

दिनांक १४ नवम्बर, १९७० को श्री सुखपाल पान्डेय विधायक ने जिलाधिकारी बस्ती के समक्ष शिकायत करते हुए श्री बृजकिशोर तिवारी, भूतपूर्व खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक-गौर, जिला बस्ती द्वारा श्री रामकृपाल मिश्र, भूतपूर्व ग्रामसेवक पैकोलिया को लिखे गए तथाकथित पत्र दिनांक ५-३-१९७० की फोटोस्टेट कापी प्रस्तुत की। जिला अधिकारी ने जांच करने के लिए मूल पत्र भी प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया, जिसे सदस्य महोदय ने दो-चार दिन बाद देने को कहा, लेकिन उन्होंने मूल पत्र नवम्बर, १९७० के द्वितीय सप्ताह में शासन के समक्ष प्रस्तुत किया। सदस्य महोदय के अनुसार यह पत्र श्री तिवारी, भूतपूर्व क्षेत्र विकास अधिकारी, गौर ने श्री रामकृपाल, ग्राम सेवक को लिखा था। इस पत्र में राम कृपाल से गलत तरीके से धन लेने का उल्लेख है। उक्त मूल पत्र जिला अधिकारी, बस्ती को जांच के लिये भेज दिया गया। उक्त क्षेत्र विकास अधिकारी श्री तिवारी को गौर (बस्ती) ब्लाक से हरैया (आजमगढ़) को स्थानान्तरित किया जा चुका है। प्रसंगगत मामले में अभी जिला अधिकारी बस्ती, द्वारा जांच कराई जा रही है। मामले में शीघ्रातिशीघ्र जांच पूर्ण कराने का प्रयास किया जायगा और रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

चूंकि पूरे मामले की जांच हो रही है अतः इसके अतिरिक्त अन्य किसी सूचना का प्रस्तुत करना इस समय जनहित में नहीं होगा।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्षेत्रीय विकास अधिकारी ने जो पत्र लिखा है, मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—

आप पत्र प्रस्तुत न करें, प्रश्न जो चाहें पूंछ लें।

श्री सुखपाल पांडेय—

इस पत्र के जो १, २ व ३ प्वाइंट्स हैं, मैं उन पर माननीय मंत्री जी से सूचना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि समय बहुत कम है, आप उन्हें पत्र बाद में दे दीजिये, उनसे अब प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र श्री रामकृपाल मिश्र, ग्राम सेवक, पैकोलिया को लिखा गया था, वह आपको मिला है या नहीं ?

श्री मलिखान सिंह—

माननीय सदस्य ने वह पत्र मेरे सचिव को दिया था और वह जिलाधीश को जांच के लिये भेज दिया गया है।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या यह सही है कि उस पत्र के आधार पर या बाद ही इस ग्राम सेवक की सर्विसेज टर्मिनेट की गयी हैं क्योंकि बी० डी० ओ० के कहने के मुताबिक उसने काम नहीं किया है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब सारा पत्र ही जांच का आधार बना हुआ है तो ग्रामसेवक के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ?

श्री मलिखान सिंह—

जिस समय ग्राम सेवक पर कार्यवाही की गयी थी, उस समय उसने यह पत्र नहीं दिखाया था। बाद में भी जब जिलाधीश ने जांच करने के लिए मूल पत्र की प्रति प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया तो माननीय सदस्य ने ४–५ दिन बाद देने को कहा, लेकिन उन्होंने यह पत्र १८ नवम्बर, १९७० को सम्बन्धित सचिव को दिया है। जांच हो रही है और जिलाधीश स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं और यदि यह साबित हो जायगा तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

श्री मेनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, असली पत्र दे दिया गया है। इस बात को देखते हुए कि ग्राम सेवक को खत लिखा गया है, रंजिश की गुंजाइश है तो इसके कारण उस ग्राम सेवक की सर्विसेज समाप्त कर दी गयीं। यदि यह पत्र सही पाया गया तो क्या सरकार उस ग्राम सेवक को तुरन्त नियुक्त करने के आदेश देगी ?

श्री मलिखान सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने अभी बताया कि जिस समय ग्राम सेवक को हटाया गया, उस समय उसने यह पत्र नहीं दिया, इसलिए विचार नहीं हुआ। और यदि यह सही साबित हुआ तो अवश्य कार्यवाही की जायगी। इसलिए उस पर विचार नहीं हुआ। अगर यह साबित हो जायगा कि पत्र सही है तो उस पर न्याय होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह पत्र ५ मार्च, १९७० को लिखा गया। ग्रामसेवक की सर्विस टर्मिनेट हुई है मई के महीने में। यह ऐसा बेसिक पत्र है जिस के आधार पर बी० डी० ओ० और ग्राम सेवक में तनाव पैदा हुआ। चूंकि ग्राम सेवक छोटा कर्मचारी है, उसकी सर्विस टर्मिनेट हो गयी। मेरा प्रश्न यह है कि जब जांच हो रही है तो उसके दौरान में ग्राम सेवक को जो सर्विस टर्मिनेट कर दी गयी है उसको रिइंस्टेट करने पर पुनर्विचार करेंगे?

श्री मलिखान सिंह—

मैं बता चुका हूं कि जो पत्र दिया है वह १४ नवम्बर को दिया है, इसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो चुकी हैं।

श्री रियासत हुसैन—

यही अन्तर पड़ रहा है। माननीय सुखपाल जी ने कब पत्र दिया है, वह यह बतला रहे हैं। यह जो पत्र लिखा गया है जो आधार है डी० पी० ओ०, बी० डी० ओ० और ग्रामसेवक के तनाव का वह लिखा गया है ५-३-१९७० को।

श्री अधिष्ठाता—

मिला कब?

श्री मलिखान सिंह—

१४ नवम्बर को जिला अधिकारी को मिला। जो जिलाधीश को दिया गया वह उस पत्र की फोटोग्राफिक कापी थी। उनसे कहा गया कि असली कापी दे दीजिये। तब आप ने १८-११-१९७० को हमारे सचिव को पत्र दिया। उसको जिलाधीश के पास भेज दिया। हो सकता है कि वह पत्र एक्सपर्ट के यहां जाय। जब जांच का सही निष्कर्ष निकलेगा तो उस वक्त न्याय होगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

इस पत्र में लिखा है कि ३०० रुपये फी ट्यूबवेल.....

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप पूरा पत्र पढ़ेंगे तो प्रश्न करने का समय निकल जायगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

'आप लोग जानते हैं कि रुपया में ही केवल लूंगा। ऐसा नहीं है। अतिरिक्त नियोजन अधिकारी को देना पड़ता है'। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज वहां पर जांच हो रही है। ए० डी० एम० पी० और ऐडीशनल ए०डी०एम०पी०गवाहों पर दबाव डाल कर कर्मचारियों को तबाह कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी उन लोगों का स्थानान्तरण करके जांच करवाएंगे?

श्री मलिखान सिंह—

बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण हो गया है आजमगढ़। और आप किसका चाहते हैं?

श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उसमें केवल बी० डी० ओ० ही सम्मिलित नहीं हैं, उसमें जिला स्तर के अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी भी सम्मिलित हैं, लेनदेन में शरीक हैं, इस जांच के कब्ल, इस क्षेत्र के जो नियोजन अधिकारी हैं, हरिजन अधिकारी इत्यादि हैं, सब को ट्रांस्फर करके जांच करवाएंगे?

श्री मलिखान सिंह—

पहले यह साबित हो जाय कि पत्र सही है। जो इस पत्र में दस्तखत बने हैं वह पढ़ने में नहीं आते। सब की जांच हो रही है। जो-जो इसके झगड़े में आएंगे वह बख्शे कोई नहीं जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि यदि निष्पक्ष जांच के बाद पत्र का सत्य होना साबित हुआ, तो इस बात का आश्वासन देंगे कि ग्रामसेवक की सर्विस जो टर्मिनेट की गयी है रिइंस्टेट करने की कृपा करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

उस पर यह देखा जायगा कि और कितने उसके ऊपर चार्ज हैं। अगर वास्तव में मैला फाइडी है तो विचार किया जावेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच करायें तो मैं चाहता हूं कि इसके जो दस्तखत हैं वह बी० डी० ओ० के हैं या नहीं इसकी जांच करा ली जाय। तो क्या इस बात को देखते हुये दस्तखत को जो पुलिस की शाखा है वहां भेज दिया जावेगा ताकि वहां से यह तस्दीक हो जावे कि उनके दस्तखत ह या नहीं। यदि दस्तखत ह तो मैं चाहूगा कि नियोजन अधिकारी जो बी० डी० ओ० की लिंक हैं उनके अलावा किसी दूसरे से जांच कराई जाय।

श्री मलिखान सिंह—

मैं बतला चुका हूं कि जांच होगी और जो भी दोषी होगा वह दंड पायेगा, किसी को छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री सुख पाल पांडेय—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को जानकारी है कि बी० डी० ओ०, बृज किशोर तिवारी, हरैया में गये हैं और वहां भी गंभीर आरोप लगे हैं ?

श्री मलिखान सिंह—

इसकी जानकारी नहीं है।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के चुनाव के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मुझे एक सूचना देनी है कि आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के ५ सदस्यों के निर्वाचनार्थ प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नामांकन पत्र ठीक पाये गये हैं। इनकी एक सूची संलग्न है। नामों की वापसी के लिये २३ दिसम्बर, १९७० के अपरान्ह ३ बजे तक का समय नियत है। अतः यदि उस समय तक अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार २४ दिसम्बर, १९७० को विधान वाचनालय में १२ बज से ४ बजे तक होगा।

सूची

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये उम्मीदवारों की सूची

१—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (मुरादाबाद)
२—श्री शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल)
३—श्री रियासत हुसैन (मुरादाबाद)
४—श्री हुकम सिंह परिहार (आगरा)
५—श्री शिव वक्ष सिंह राठौर (मैनपुरी)
६—श्री श्रीशचन्द्र (हरदोई)
७—श्री धर्मदत्त वैद्य (बरेली)
८—श्री चन्द्रपाल आजाद (मथुरा)
९—श्री लक्ष्मण स्वरूप (मेरठ)
१०—श्री चेतराम गंगवार (बरेली)
११—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (बुलन्दशहर),
१२—श्री सूबेदार सिंह (मैनपुरी)
१३—श्री मंसा राम (मैनपुरी)
१४—श्री सतीश चन्द्र शर्मा (एटा)
१५—श्री चौधरी रामपाल सिंह (कानपुर)
१६—श्री तजपाल (मथुरा)।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ दिसम्बर, १९७०।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये ता० प्र० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र १९७० के तीसरे मंगलवार के लिये श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में संलग्न तालिका

प्रश्न संख्या ३—जिला बलिया में निम्नलिखित १८ आयुर्वेदिक औषधालय तथा १८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं :—

आयुर्वेदिक चिकित्सालय

(१) नगरा, (२) कुरेजी, (३) हरिपुर, (४) रेवती, (५) सहतवार, (६) दुबे छपरा, (७) सुल्तानपुर, (८) जमालपुर, (९) चन्द्रवार, (१०) खन्डवा, (११) चकरा, (१२) विद्याभवन नरायनपुर (१३) कथोंडा, (१४) पुर, (१५) वितबडागांव, (१६) परसिया, (१७) टोला शिवनरायन (१८) कोटवा नारायनपुर।

इनमें से ५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के पास अपनी भूमि व भवन हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(१) नगरा, (२) रतनपुरा, (३) नरहनी, (४) पेना, (५) कोटवा, (६) विरबारवारी, (७) रतसर, (८) रेवती, (९) पन्दह (१०) बछुरी, (११) सोनवानी, (१२) मनियार, (१३) सरायभर्तो, (१४) मुरली छपरा, (१५) दुबहर, (१६) चिलकहर तथा जिला परिषद् चिकित्सालयों म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (१७) बांसडीह तथा (१८) सियर

इनमें से ८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास अपने भवन हैं तथा ९ के पास अपनी भूमि है।

उत्तर प्रदेश पत्रिका

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ ३४ पर)

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण विधेयक, १९७०]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है:

(ख) "गुंडा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

(१) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भारतीय दंड संहिता के अध्याय १६, अध्याय १७ या अध्याय २२ के अधीन दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, या

(२) जो सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या

(३) जो यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० के अधीन कम से कम तीन बार सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या

(४) जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति होने की हो।

गुंडों का बहिष्कासन इत्यादि

३—(१) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि—

(क) कोई व्यक्ति गुण्डा है; और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट या अपहानि करते हैं या करने के लिये आयोजित है, या

अधिनियम सं० १०४, १९५६ उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, १९१०।

(ii) ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय १६, अध्याय १७, या अध्याय २२ के अधीन या दि सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन या यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने में अथवा किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है, और

(ग) साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेम के संबंध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं,

तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खंड (क),

(ख) और (ग) के संबंध में उसके विरुद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा, और उसको उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा ।

(२) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उसकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या विलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे हो, स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहे, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायेगा ।

(३) तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (१) के खंड (क), (ख), और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हैं, लिखित आदेश द्वारा—

(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से, यदि कोई निर्दिष्ट किया जाय, और ऐसे समय के भीतर, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, जिले या, यथास्थिति, उसके भाग से स्वयं बाहर चला जाये और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये;

(ख) (१) ऐसे व्यक्ति से, ऐसे रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, अपनी गतिविधि की सूचना देने, या स्वयं उपस्थित होने, अथवा दोनों कार्य करने की तब तक के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(२) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करने से तब तक के लिये प्रतिसिद्ध या निर्बन्धित करने का;

(३) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसी आदेश में निर्दिष्ट की जाय, आचरण करने का तब तक के लिये निदेश दे सकता है —

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये ।

अस्थायी अवधि के लिये वापस लौटने की अनुज्ञा

४—जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा ३ की उपधारा (३) के खंड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का निदेश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, प्रवेश करने या वापस आने की अनुज्ञा दे सकता है, और किसी भी समय ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है ।

आदेश की अवधि में बढ़ोत्तरी

५—जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना अव्यवहारिक होगा, देने के पश्चात धारा ३ के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिला कर दो वर्ष से अधिक न होगी ।

अपील

६—(१) धारा ३, धारा ४ या धारा ५ के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

(२) अपीलार्थी या उसके वकील को किसी ऐसे अभिलेख का जो धारा ३ के अधीन हुई जांच यदि कोई हुई हो, के समय उसे प्रगट न किया गया हो, निरीक्षण करने या उसके संबंध में सूचना दिये जाने का अधिकार न होगा।

(३) आयुक्त आदेश की, परिष्कार सहित अथवा रहित, पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

कतिपय प्रयोजनों के लिये मुचलके

७—(१) जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा ३ के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, या आदेश दिया गया हो किन्तु ऐसे आदेश का प्रवर्तन धारा ६ के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, की उपस्थिति सुनिश्चित करने, या

(ख) धारा ३, धारा ४, धारा ५ या धारा ६ के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में दिये गये आदेश में निर्दिष्ट किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने; के प्रयोजनार्थ, किसी एसे व्यक्ति से, प्रतिभूओं सहित या रहित, बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के उपबन्ध ऐसे बन्ध-पत्र के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वह उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बन्ध-पत्र क संबंध में लागू होते हैं।

(२) विशेषतः और उपरोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) जिला मजिस्ट्रेट धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करत समय उसकी गिरफ्तारी के लिये वारन्ट, जिसमें उक्त संहिता की धारा ७६ क अनुसार पृष्ठांकित निदेश दिया गया हो, जारी कर सकता ह, और उक्त संहिता की धाराय ७५ से ९२, तक के उपबन्ध जहां तक हो सक, एसे वारन्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय हो,

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिससे किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बधन या शर्त के अनुपालन के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, ऐसा करने में चूक करता है तो उसे उस कालावधि के लिये जिसके लिये उक्त निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बन्धन या शर्त की प्रवृत्ति हो या उस कालावधि के भीतर जब तक कि वह, प्रतिभूओं सहित या रहित, यथास्थिति, आदेश क अनुसार बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता, कारागार को सुपुद किया जायगा अथवा यदि वह पहले स ही कारागार में है तो वह कारागार में निरुद्ध रखा जायगा, व उक्त संहिता की धारायें १२० से १२२ तक व १२३—क, १२४, १२६ व १२६—क के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे मानों जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों,

(ग) उक्त संहिता की धारायें ५१३, ५१४ व ५१४—क, इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बन्ध-पत्रों के संबंध में आवश्यक परिवतनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगी मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों।

साक्ष्य की प्रकृति

८—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा ३ या धारा ५ के अधीन आदेश दिये जाने के लिये आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं या नहीं, किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है जिसे वह प्रमाणक मूल्य का समझे, तथा भारतीय साक्ष्य समिनियम, १८७२ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आदेश का निरसन

९—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त किसी भी समय धारा ३ के अधीन दिये गये आदेश का, चाहे उस आदेश की धारा ६ के अधीन पर पुष्टि की गयी हो या नहीं, निरसन कर सकता है।

धारा ३ से ६ के अधीन आदेशों का उल्लंघन करने के लिये दण्ड

१०—जो व्यक्ति धारा ३, धारा ४, धारा ५ या धारा ६ के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है किन्तु ६ माह से कम नहीं होगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा।

बहिष्कासित गुंडे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुये पुनः प्रवेश आदि पर उसका बल प्रयोग द्वारा हटाया जाना

११—(१) यदि धारा ३, धारा ४, धारा ५ या धारा ६ के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिये जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति—

(क) आदेश द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले या उसके भाग से अपने को हटाने में चूक करता है; या

(ख) उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का आदेश दिया गया था, पुनः प्रवेश करता है;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये जैसा वह निदेश दें हटवा सकता है।

(२) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके प्रति उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई कार्य या चूक करने के लिये युक्तियुक्त सन्देह हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो तदुपरान्त उस व्यक्ति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान के लिये, जैसा वह निदेश दें, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(३) इस धारा के उपबन्ध धारा १० के उपबन्धों के अतिरिक्त है और उनके प्रभाव को कम नहीं करते।

अपराध का संज्ञान

१२—कोई मजिस्ट्रेट धारा १०के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिवाय—

(क) ऐसे तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर; या

(ख) पुलिस आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या सन्देह पर कि ऐसा अपराध किया गया है;

संज्ञान नहीं करेगा।

आदेशों के संबंध में अपवाद

१३—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

अधिनियम के अधीन किये गय कार्य के लिये संरक्षण

१४—(१) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐस कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो कोई वाद, अभियोग या अन्य विविध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(२) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी बात से, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किय जाने के लिये अभिप्रेत हो, हुयी या सम्भावित क्षति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

१५—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि म करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन [सम्बद्ध नियमों के] उनके अधीन पहल की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन

१६—उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश सं० १५, १९७०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

इधर कुछ वर्षों से इस राज्य में गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। प्रायः देखने में यह आया है कि कुछ असामाजिक तत्व शान्तिपूर्ण नागरिकों की जान, सम्मान या सम्पत्ति के लिये त्रास, संकट और हानि के कारण बने हुये हैं जिससे समाज में लोगों के अन्दर असुरक्षा की भावना पैदा होती है। गुंडों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु तथा उनके असामाजिक कार्यों की रोक-थाम के लिये और उनको समुचित दण्ड देने के लिये इस समय कोई उपयुक्त प्राविधान नहीं है।

अतएव, यह आवश्यक समझा गया है कि प्रदेश में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने व गुंडों पर नियंत्रण करने के लिये इस राज्य में एक कानून होना चाहिये।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक, १९७० के ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में जिनमे विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त है, संबंधी ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० के खंड ९ (१) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

खंड ९ (२) में यह व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायेंगी और ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन के अधीन होगी जो दोनों सदनों द्वारा उसमें किये जायं। इस प्रकार सरकार के अधिकार विधान मंडल के नियंत्रण में होंगे।

प्रस्तावित प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये पीछे पृष्ठ ७५ पर)

उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण विधेयक, १९७०

ऐसे कतिपय कार्यकलापों के जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हों और ऐसे कार्यों के जिनसे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, निवारण की और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्यकलापों का निवारण अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने के लिये आदेश देने का अधिकार

२—(१) यदि राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाय कि उसे किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने से, जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो या जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह ऐसा आदेश (जिसे एतदपश्चात् निरोधादेश कहा गया है) दे सकती है जिसमें यह निदेश हो कि वह व्यक्ति निरुद्ध किया जाय।

(२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये—

(१) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :

(क) कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी भी आधार पर, चाहे वे जो भी हों, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अभ्यर्पण कराने या संघ से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संबंध विच्छेद कराने का अभिप्राय हो, अथवा जिससे ऐसा कराने के किसी दावे का समर्थन होता हो, या जिससे भारत की प्रभुता और उसकी राज्य क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार किया जाय, या उस पर आपत्ति की जाय, या उचे विच्छिन्न किया जाय अथवा विच्छिन्न करने का अभिप्राय हो, या

(ख) कोई ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को घातक हथियारों के प्रयोग से उलटना या समाप्त करना हो, या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिए व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

(२) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

(क) भारत के मानचित्र, या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, या महात्मा गांधी की किसी प्रतिमा अथवा अन्य सचित्र प्रतिरूप, को विकृत करना, क्षतिग्रस्त करना, जलाना, अपवित्र करना, नष्ट करना या किसी अन्य प्रकार से उसे अपमानित करना, या,

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिये व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना, अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "घातक हथियारों" का तात्पर्य आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ, तलवारों, ढालों, कटारों तथा चाकुओं से है।

(३) निम्नलिखित कोई भी अधिकारी अर्थात् :

(क) जिला मजिस्ट्रेट,

(ख) अपर जिला मैजिस्ट्रेट, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत हों,

यदि उपधारा (१) में की गई व्यवस्था के अनुसार उसका समाधान हो जाय, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(४) यदि उपधारा (३) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो वह इस तथ्य की सूचना तुरन्त राज्य सरकार को उन कारणों सहित भेजेगा जिनके आधार पर उक्त आदेश दिया गया हो और साथ ही ऐसे अन्य ब्योरे भी देगा जो उसकी राय में विषय से संबंधित हों, और इस प्रकार कोई भी आदेश, उस व्यक्ति, जिसके संबंध में आदेश दिया गया हो, के निरुद्ध किये जाने के दिनांक के पश्चात् १२ दिन से अधिक दिन तक प्रवृत्त न रहेगा जब तक कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय।

निरोधादेश का निष्पादन

३—निरोधादेश का निष्पादन उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन के लिये व्यवस्थित रीति में किया जा सकता है।

निरुद्ध स्थान तथा उसकी शर्तों को विनियमित करने का अधिकार

४—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध में कोई निरोधादेश दिया गया हो:

(क) ऐसे स्थान में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अन्तर्गत अनुरक्षण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिये दंड संबंधी ऐसी शर्तें भी हैं, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, निरुद्ध किया जा सकेगा, तथा

(ख) राज्य सरकार के आदेश से राज्य के भीतर किसी एक निरोध के स्थान से दूसरे निरोध के स्थान को हटाया जा सकेगा।

कतिपयकारणों से निरोधादेश न तो अवैध होगा और न ही परिवर्तन शून्य होगा

५—कोई भी निरोधादेश केवल इस कारण कि—

(क) तदधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है आदेश देने वाले अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने का स्थान, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है, आदेश देने वाले अधिकारी की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, न तो अवैध होगा और न परिवर्तन शून्य होगा।

फरार व्यक्तियों के संबंध में अधिकार

६—(१) यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा धारा २ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में निरोधादेश दिया गया है, फरार हो गया है अथवा

अपने को इस प्रकार छिपाये हुए है कि उक्त आदेश निष्पादित न किया जा सके, तो उक्त सरकार या अधिकारी—

क) किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को जिसका उस स्थान पर क्षेत्राधिकार हो जहां उक्त व्यक्ति सामान्यतय: निवास करता हो, ऐसे तथ्य की लिखित सूचना देगा, और तदुपरान्त दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ८७, ८८ तथा ८९ के उपबन्ध उक्त व्यक्ति और उसकी संपत्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह आदेश जिसमें उसे निरुद्ध करने का निदेश दिया गया है, मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट हो,

(ख) गजट में आदेश को अधिसूचित करके उक्त व्यक्ति को ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट हों, प्रस्तुत होने का निदेश दे सकता है, और यदि उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन न करे तो उसे, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त निदेश का पालन करना उसके लिये संभव न था और यह कि उसने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश में उल्लिखित अधिकारी को उस कारण से, जिससे आदेश का अनुपालन करना असंभव हो गया था, और आवासीय गतिविधियों से सूचित कर दिया था, ऐसी अवधि के लिये ,जो एक वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दंड अथवा अर्थ-दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

निरोधादेश के कारणों को आदेशसे प्रभावित व्यक्तियों को बतलाया जाना

७—(१) यदि कोई व्यक्ति निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाय तो ऐसा आदेश देने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, किन्तु निरुद्ध किये जाने के दिनांक से अधिक से अधिक पांच दिन के भीतर उसे ऐसा आदेश दिये जाने के कारणों के संबंध में संसूचित करेगा, और उसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का शीघ्रतम अवसर देगा।

(२) उपधारा (१) की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि प्राधिकारी उन तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझे।

(३) यदि अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय हो कि निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है, तो वह संबद्ध व्यक्तियों का निरोध ऐसी अवधि के लिये जारी रख सकती है जिसे वह उचित समझे, और यदि उसका ऐसा समाधान न हो तो वह निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा संबद्ध व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी।

परामर्शदात्री परिषद् का संघटन

८—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, जब भी आवश्यक हो, एक या एकाधिक परामर्शदात्री परिषद् संघटित कर सकती है।

(२) प्रत्येक ऐसे परिषद् में तीन व्यक्ति होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्चन्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों में से नियुक्त किये जायेंगे।

(३) राज्य सरकार, परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों में से किसी सदस्य को, जो उच्चन्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश हो, उक्त परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

परामर्शदात्री परिषद् को अभिदेश

९—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई निरोधादेश दिया गया हो, राज्य सरकार, आदेश के अधीन निरुद्ध किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा ८ के अधीन अपने द्वारा संघटित परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष उन कारणों को जिन पर आदेश दिया गया हो, तथा ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा

प्रस्तुत अभ्यावेदन को, यदि कोई हो, राज्य सरकार की टिप्पणी के साथ और यदि ऐसा आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो धारा २ की उपधारा (४) के अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी रखेगी।

परामर्शदात्री परिषद् की प्रक्रिया

१०—(१) परामर्शदात्री परिषद, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से अथवा राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये किसी व्यक्ति से अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से ऐसी अग्रेतर सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझे अथवा यदि सम्बद्ध व्यक्ति अपनी सुनवाई कराने का इच्छुक हो तो उसकी व्यक्तिशः सुनवाई करने के पश्चात् निरुद्ध किये जाने के दिनांक से दस सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी।

(२) परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट में, उसके पृथक भाग में, परामर्शदात्री परिषद् की इस सम्बन्ध में राय निर्दिष्ट होगी कि सम्बद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं।

(३) यदि परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में मतभेद हो तो बहुसंख्यक सदस्यों की राय परिषद् की राय समझी जायगी।

(४) इस धारा में कोई बात किसी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध निरोधादेश दिया गया हो, परामर्शदात्री परिषद् को किये गये अभिदेश से सम्बन्धित किसी भी मामले में विधि व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने का अधिकार नहीं प्रदान करती है तथा परामर्शदात्री परिषद् की कार्यवाहियों तथा उसकी रिपोर्ट, सिवाय रिपोर्ट के उस भाग के जिसमें परामर्शदात्री परिषद् का मत निर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी।

परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट पर कार्यवाही

११—(१) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उस की राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण हैं तो राज्य सरकार ऐसे निरोधादेश की पुष्टि कर सकती है, और संबद्ध व्यक्ति की निरुद्ध को ऐसी अवधि के लिये जारी रख सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(२) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त करण नहीं है तो राज्य सरकार निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा उक्त व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी।

निरुद्ध करने की अधिकतम अवधि

१२—धारा ११ के अधीन पुष्टीकृत किसी भी निरोधादेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकने की अधिकतम अवधि निरुद्ध करने के दिनांक से एक वर्ष होगी।

निरोधादेशों का विखंडन

१३—(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २१ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी निरोधादेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय विखंडित या परिष्कृत किया जा सकता है, भले ही ऐसा आदेश धारा २ की उपधारा (३) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा क्यों न दिया गया हो।

(२) किसी निरोधादेश के विखंडन, समाप्ति या अकृतता के न्याय निर्णयन से उसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे मामले में धारा २ के अधीन कोई नया निरोधादेश दिये जाने में बाधा न पड़ेगी जिसमें उक्त विखंडन, समाप्ति या न्याय निर्णयन के दिनांक के पश्चात् ऐसे नये तथ्य उत्पन्न हुये हों जिन पर, यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपर्युक्त आदेश दिया जाना चाहिए:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई भी बात राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को उन कारणों पर जिनके आधार पर आदेश विखंडित, समाप्ति या अकृत न्याय निर्णीत हुआ था, नवीन तथ्यों के साथ, नया निरोधादेश जारी करते समय विचार करने से नहीं रोकेगी।

निरुद्ध व्यक्तियों को अस्थायी रूप से मुक्त करना

१४--(१) राज्य सरकार किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किये गये किसी व्यक्ति को, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये, या तो बिना शर्त या निदश म निर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जो उस व्यक्ति को स्वीकार हों, मुक्त कर दियाजाय, और किसी भी समय उसे मुक्त करने के आदेश को रद्द कर सकती है।

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त करने के निर्देश में, उससे निर्देश में निर्दिष्ट शर्तों का सम्यक पालन करने के लिये प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित कोई बन्ध-पत्र लिखने की अपेक्षा कर सकती है।

(३) उपधारा (१) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उस आदेश में जिसमें, यथास्थिति, उसे मुक्त करने या उसकी मुक्ति को रद्द करने का निदेश हो, निर्दिष्ट समय और स्थान पर तथा प्राधिकारी के समक्ष अपने को अध्यर्पित करगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण से, उपधारा (३) में निर्दिष्ट रीति से अपने को अध्यर्पित न करें तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड, जो दो वर्ष तक हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड, या दोनों ही दंड दिये जायेंगे।

(५) यदि उपधारा (१) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अधीन उस पर आरोपित या उसके द्वारा लिखे गये बन्ध-पत्र की किन्हीं भी शर्तों को पूरा न करे तो बन्ध-पत्र की समपृहृत हुआ घोषित किया जायेगा और उससे आबद्ध व्यक्ति को उसके लिये शस्ति देनी होगी।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण

१५--इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या किसी व्यक्ति क विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकगी।

उद्देश्य और कारण

पिछली सरकार ने ५ अगस्त, १९७० को (केन्द्रीय) प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट, १९५० के अनुरूप, जो ३१ दिसम्बर, १९६९ को समाप्त हो गया था, उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० प्रख्यापित किया था। वर्तमान सरकार ने स्थिति का सिंहावलोकन करने के पश्चात् अध्यादेश को वापस ले लिया है और एक सीमित व्याप्ति का नया विधायन लाने का निर्णय किया है। यह प्रस्ताव है कि केवल ऐसे कतिपय कार्यकलापों के, जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हों अथवा जिनसे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, निवारण किया जाय। यह भी निर्णय किया गया है कि उच्च न्यायालय का कोई कार्यरत न्यायाधीश परामर्शदात्री समिति का सभापति होगा तथा अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों अथवा जिला न्यायाधीशों में से की जायेगी। तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

त्रिभुवन नारायण सिंह,
मुख्य मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसमें राज्य सरकार को कोई नियम बनाने का अधिकार दिया गया हो।

२—विधेयक के खण्ड ४ में ऐसे व्यक्ति जिसके संबंध में निरोधादेश दिया गया है, ऐसे स्थान में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अन्तर्गत अनुरक्षण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिये दंड संबंधी ऐसी शर्तें भी हैं, निरुद्ध किया जा सकेगा इन्हें राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। यह प्राविधान सामान्य प्रकार का है।

त्रिभुवन नारायण सिंह,
मुख्य मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन-पत्र

प्रस्तावित विधेयक के अधीन कार्यवाही में कोई विशेष वित्तीय दायित्व निहित नहीं है।

२—निरुद्ध व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने के लिये विधेयक के खंड ८ में एक परामर्शदात्री परिषद् के गठन करने का प्राविधान किया गया है। परामर्शदात्री परिषद् को इस कार्य के लिये कोई भत्ता या मानदेय नहीं दिया जायेगा और इस कार्य में सहायता देने के लिये कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं दिये जायेंगे, परन्तु उच्च न्यायालय के कुछ कर्मचारी जिनकी सेवायें परिषद् इन मामलों में उपयोग करता है उन्हें प्रत्येक मामले में कुछ मानदेय दिया जायेगा। चूंकि यह कहना कठिन है कि प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामले उक्त परिषद् को विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे इसलिए इस संबंध में होने वाले व्यय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

त्रिभुवन नारायण सिंह,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २४४—एल० ए—१९७१—८४५।